परिणाम बजट

OUTCOME BUDGET

2015-16

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय

Ministry of Law and Justice

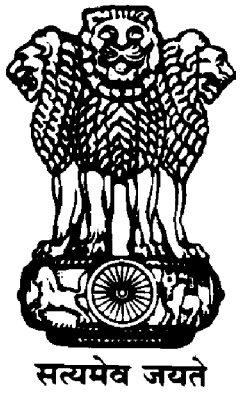

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परिणाम बजट
OUTCOME BUDGET
2015-2016

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law And Justice

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	i.	कृत्य और संगठनात्मक	1–7
2.	ii.	वित्तीय और परिणाम बजट	8–11
3.	iii.	सुधार उपाय और नीति संबंधी पहल	12–23
4.	iv.	कार्य निष्पादन समीक्षा पिछले लक्ष्यों की समीक्षा	24–32
5.	v.	वित्तीय समीक्षा और व्यय की प्रवृत्तियां	33–34
6.	vi.	संविधानिक और स्वायता निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा	35–40
7.	उपाबंध–i	संगठनात्मक चार्ट, विधि कार्य विभाग	41
8.	उपाबंध–ii	संगठनात्मक चार्ट, विधायी विभाग	42
9.	उपाबंध–iii	संगठनात्मक चार्ट, न्याय विभाग	43
10.	उपाबंध–iv	वित्तीय परिव्यय, प्राक्कलित वास्तविक निष्कर्ष एंव प्राक्कलित/ बजटीय परिणाम	44–51
11.	उपाबंध–v	योजनागत/योजनेतर स्कीमों के संबंध में लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां	52–59
12.	उपाबंध–vi	कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित विवरण तालिका	60
13.	उपाबंध–vii	मांग सं. 64 वित्तीय समीक्षा और व्यय की प्रवृत्तियों का स्कीम–वार विवरण	61
14.	उपाबंध–viii	लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों का विवरण	62
15.		2014–15 अनुदान उपशीर्ष पर व्यय का विवरण	63–69
16.		शीर्षवार व्यय का विवरण	70

अध्याय 1

1. कृत्य और संगठन

संघ के विधि और न्याय मंत्रालय में तीन विभाग हैं, अर्थात विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग। उन विभागों के माध्यम से मंत्रालय संविधान में अधिकथित उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में व्यवस्थिरत परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायता करता है।

2. जहां तक सरकार के क्रमशः विधायी कारोबार तथा मंत्रालयों/विभागों को विधिक मामलों में सलाह देने का संबंध है, विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। अतरू उक्त दोनों विभागों के पास ऐसी कोई विनिर्दिष्ट स्कीमें नहीं हैं, जिन्हें विनिर्दिष्ट और परिमाणात्मक कार्यपालन के रूप में निष्पादित किया जा सके।

2. विधि कार्य विभाग

कृत्य और उत्तरदायित्व

1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य मदों का आबंटन किया गया हैः–

(क) विधिक विषयों पर मंत्रालयों को सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण–लेखन और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसे मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना है।

(ख) भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना।

(घ) सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरणपोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यसक्तिययों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ आपसी व्यवस्था।

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं के निष्पादन और संपत्ति के हस्तांतरण–पत्रों के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए या उसके विरुद्ध किए गए वादों में वाद–पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना।

(च) भारतीय विधि सेवा।

(छ) सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना।

(ज) विधि आयोग।

(झ) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष व्यवसाय करने के लिए पात्र व्यक्ति।

(ञ) उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की परिधि को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष व्यवसाय करने के लिए पात्र व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।

(ट) नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन।

(ठ) आय–कर अपीलीय अधिकरण।

(ड) विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण।

(ढ) निर्धनों को कानूनी सहायता।

2. विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी सौंपा गया हैः–

(i) नोटरी अधिनियम, 1952

(ii) अधिवक्ता, अधिनियम, 1961

(iii) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ;

(iv) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001

(v) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005

1.2. यह विभाग विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, आय–कर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय कर अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है। यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों, अर्थात भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्ति से भी जुड़ा है। विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने व वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहन देने तथा विधि व्यवसाय में सुधार लाने के उद्देश्य से यह विभाग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुछ संस्थानों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान तथा भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान प्रदान करता है।

3. संगठन की संरचना

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै एवं बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय। विभाग के कर्तव्यों की प्रकृति को मुख्यतः दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सलाह कार्य और मुकदमा संबंधी कार्य। विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक–I में दिया गया है

(क) मुख्य सचिवालय–:

(i) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण–लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में वितरित किया गया है। सामान्यतरू, प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्यक विधि सलाहकार हैं।

(ii) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा–कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है। इस समय इस अनुभाग के प्रधान एक अपर सचिव हैं।

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमा–कार्य का संचालन मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग करता है। इस समय इस अनुभाग के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

(iv) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग करता है। इस समय इस अनुभाग के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

(v) विभाग में एक विशेष सेल अर्थात् कार्यान्वयन सेल है, जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है। यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है। यह सेल राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 का कार्य भी देखता है और इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वयन का कार्य भी सौंपा गया है।

(vi) रेलवे बोर्ड, दूरसंचार विभाग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो, प्रत्येक में संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक–एक स्वीकृत पद है और इन पदों के पदधारी उक्त कार्यालयों में ही कार्य करते हैं। लोक उद्यम विभाग में भी संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक पद स्वीकृत है और पदधारी अधिकारी उक्त विभाग में माध्यस्थम के स्थायी तंत्र की स्कीम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक अपर विधि सलाहकार पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में माध्यस्थम के मामलों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, एक उप विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्यरत है और विभिन्न स्तरों के कुछ अधिकारी, जैसे कि अपर विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और पूर्ति और निपटान महानिदेशालय और न्याय विभाग में भी तैनात हैं।

(ख) शाखा सचिवालय, मुंबई :–

मुंबई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार हैं। उनकी सहायता के लिए अपर विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार, सहायक विधि सलाहकार और अन्य सहायक कर्मचारिवृंद हैं। इस शाखा सचिवालय में मुकदमा कार्य एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता और तीन अपर सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है।

(ग) शाखा सचिवालय, कोलकाता :–

कोलकाता स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हैं, जिनकी सहायता के लिए अपर विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार, सहायक विधि सलाहकार और अन्य सहायक कर्मचारिवृंद हैं। इस शाखा सचिवालय में मुकदमा–कार्य का संचालन एक वरिष्ठन सरकारी अधिवक्तां और दो अपर सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है।

(घ) शाखा सचिवालय, चेन्नैः–

चेन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं। उनकी सहायता के लिए सहायक विधि सलाहकार और अन्य सहायक कर्मचारिवृंद हैं।

(ड.) शाखा सचिवालय, बंगलूरुः–

बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं।

4 विधायी विभाग

जहाँ तक संघीय सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता हैं इसलिए इसके पास ऐसी विशिष्ट स्कीमें नहीं हैं, जिन्हें विनिर्दिष्ट और परिणामात्मक कार्यपालन के रूप में निष्पादित किया जा सके। तथापि, एक सेवा प्रदाता के रूप में यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों की सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

विधायी विभाग से मुख्य रूप से संबंधित विषय–वस्तुओं की रूपरेखा निम्नानुसार है :

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमण्डल के लिए टिप्पणों की प्रारूपण एवं सांविधानिक दृष्टि से संवीक्षा करना;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अन्तर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी है, संसद में पुरःस्थापित करने से पहले उनका प्रारूपण तैयार करना, उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजनाः विधेयक से सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर–सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर–सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त, चयन तथा स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अन्तर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी शामिल है;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओ, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिन्दी में उनका अनुवाद करना;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है;

(x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्राों के विधान–मंडलो, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का केन्द्र और राज्यों/विधान–मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजनः

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित विषय;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामलें;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान;

(xviii) संघ एवं राज्य सरकारों आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ix) केन्द्रीय अधिनियमों, आध्यादेशों और विनियमों का प्रकाशन तथा हिन्दी और संवधिान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवादों का प्रकाशन करना और विधिक तथा कानूनी दस्तावेजों का भी अनुवाद करना।

(xx) सांविधिक, सिविल तथा दंडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों की हिन्दी अनुवाद का पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशन;

2. विधायी विभाग के नियन्त्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खण्ड हैं अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरादायी हैं।

(क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्य विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरादायी है। यह खण्ड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाअें में कन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरादायी है। राजभाषा खण्ड, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो प्रत्यक्ष रूप से विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

(ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध हैं, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में, विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिनन राज्यों के उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों तथा विधि महाविद्यालयों में प्रदर्शनियां भी लगाता है। हिन्दी में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन तथा पाठ्य पुस्तक अथवा संदर्भ पुस्तक के रूप में प्रयोग हेतु ऐसी पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान करने की स्कीम के अन्तर्गत 5,00,000/– (पाँच लाख रु. मात्र) तक के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत, हिन्दी में उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए वार्षिक रूप से 50,000/– रू. (पचास हजार रु. मात्र) के प्रथम पुरस्कार, रु. 30,000/– (तीस हजार रु. मात्र) के द्वितीय पुरस्कार तथा रु. 20,000/– (बीस हजार रु. मात्र) के तृत्तीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

3. विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी उपाधायी परामर्शी तथा सहायक विधायी परामर्शी सम्मिलित हैं। सभी प्रकार के प्रमुख विधानों के

संबंध में विधायी प्रारूपण और विभिन्न कानूनों के तहत अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य अधिकारियों के समूहों को वितरित किए गए हैं। प्रत्येक समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक–II पर है।

5. न्याय विभाग

न्याय विभाग (डी.ओ.जे.), विधि एवं न्याय मंत्रालय (एम.ओ.एल.एंड जे.) का एक अंग है। न्याय विभाग को गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) द्वारा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

भारत सरकार (कार्य संचालन) नियमावली, 1961 के अनुसार, न्याय विभाग द्वारा संभाले जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैंः–

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र तथा उन्हें पद से हटाना; उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति संबंधी अधिकार (अवकाश भत्तों सहित), पेंशन और यात्रा संबंधी भत्ते।
2. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाना आदि, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति संबंधी अधिकार (अवकाश भत्तों सहित), पेंशन और यात्रा संबंधी भत्ते।
3. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।
4. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोड़कर) (किन्तु इस प्रकार के न्यायालय की अवमानना सहित) तथा उनमें लिया जाने वाला शुल्क।
5. उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों का संघटन और संगठन सिवाय इन न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित उपबंधों के।
6. संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का संघटन और संगठन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।
7. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी।
8. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन।
9. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।
10. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।
11. गरीबों को विधिक सहायता
12. न्याय प्रशासन
13. न्याय तक पहुंच, न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार

6. <u>संगठनात्मक ढांचा</u>

विभाग के प्रमुख सचिव (न्याय) हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के वरिष्ठ अधिकारी है। सचिव,

(न्याय) के अतिरिक्त, इसके संगठनात्मक ढांचे में तीन संयुक्त सचिव, पांच निदेशक/उप सचिव और सात अवर सचिव शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों के अतिरिक्त, इस विभाग को हाल ही में गठित न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन के सहित योजनागत एवं योजनेतर स्कीमों के कार्यान्वयन एवं उनकी निगरानी का कार्य भी सौंपा गया है। विभाग का वर्तमान संगठनात्मक ढांचा अनुलग्नक–III पर है।

विभाग द्वारा कार्यान्वित और निगरानी की जा रही योजनाएं

न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित और निगरानी की जा रही योजनाएं निम्नानुसार हैं:–

7.1. योजनागत स्कीमें

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है और इसकी अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ–साथ है। यह उन मुद्दों के निराकरण का एक मंच प्रदान करता है जो न्यायपालिका के निष्पादन को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय मिशन में जोर दिया जाने वाला क्षेत्र अधीनस्थ न्यायपालिका में अवसंरचना का विकास है। निम्नलिखित अन्य स्कीमें/कार्यक्रम भी राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों में सहायता प्रदान करते हैं:–

1. न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना'।
2. जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना। यह योजना ''ई–न्यायालय एम एम पी'' नाम से एक मिशन मोड परियोजना के तौर पर क्रियान्वित की जा रही है।
3. न्याय तक पहुंच–भारत सरकार की परियोजना।
4. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) से बाह्य रूप से सहायता प्रदत्त परियोजना, ''भारत में कमजोर वर्गों की न्याय तक पहुंच''।
5. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के संचालन हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता'।
6. न्यायिक सुधार संबंधी कार्य अनुसंधान और अध्ययन।
7. मॉडल न्यायालयों की स्थापना (यह योजना अभी अनुमोदित की जानी है)।

7.2. योजनेत्तर स्कीमें:

न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित एवं निगरानी की जा रही योजनेतर स्कीमें निम्नानुसार हैं।

1. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल को इसके संचालन व्यय को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान।
2. कुटुम्ब न्यायालयों को संचालित करने के लिए राज्यों को विनिर्दिष्ट दरों पर केन्द्रीय सहायता।
3. विधिक कार्यक्रम की निगरानी एवं उसका मूल्यांकन करने तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धान्त निर्धारित करना।

'न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनागत एवं योजनेतर स्कीमें और इसके द्वारा संभाले जाने वाले विषयों का लक्ष्य सुगठित न्यायिक प्रशासन को सुकर बनाने, न्यायालयों में मामलों के बैकलॉग एवं लंबितता को कम करने के लिए उच्च न्यायालयों एवं राज्यों को सहायता मुहैया कराना है।

अध्याय–2

वित्तीय और परिणाम बजट

भाग–I

वर्ष 2015–2016 के लिए अनुदान संख्या 64– विधि और न्याय के संबंध में स्कीम–वार बजट संबंधी आबंटनों का सारणीबद्ध प्रारूप निम्नलिखित अनुसार है :

(रुपए करोड़ में)

		2015––2016 बजट		
अनुदान सं0 64	**मुख्य शीर्ष**	**योजना**	**गैर––योजना**	**योग**
विधि और न्याय	**राजस्व**	806.65	2717.00	3523.65
	पूंजी	0	102.75	102.75
	योग	1103.00	2614.25	3420.90
1. सचिवालय–साधारण सेवाएं				
1.01 विधि कार्य विभाग	2052	0	46.93	46.93
1.02 विदेशी मुद्रा विनिमय अपीलीय अधिकरण (ए टी एफ इ)	2052	0	9.32	9.32
1.03 विधायी विभाग	2052	0	17.63	17.63
1.04 न्याय विभाग	2052	0	6.47	6.47
1.05 अन्य	2052	0	28.31	28.31
योग		0	108.66	108.66
2. राज्य के अंग				0
2.01 निर्वाचन	2015	0	1555.40	1555.40
2.02 सामान्य निर्वाचन व्यय	2015	0	547.00	547.00
2.03 मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना	2015	0	40.00	40.00
योग		0	2142.40	2142.40
3. राजवित्तीय सेवाएं				0.00
3.01 आय–कर अपीलीय अधिकरण	2020	0	146.05	146.05
3.02 राष्ट्रीय कर अधिकरण	2020	0	0.03	0.03
योग		0	146.08	146.08
4. न्याय प्रशासन				0.00
4.01 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	2014	0	10.74	10.74
4.02 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण	2014	2.00	0.00	2.00

4.03 विशेष न्यायालय (कुटुम्बू न्याकयालय)	3601	0	5.00	5.00
4.05 विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायपालिका हेतु अवसंरनचनात्मक सुविधा के लिए सहायता अनुदान	2014	0.00	0.00	0
4.06 अन्य व्यय	2014		181.50	181.50
4.07.01–02 भारत में न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ बनाना (एस.ए.जे.आई)	2014	5.00	0.00	5.00
4.08 न्याएयिक वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन	2014	219.30	197.26	416.56
4.10 अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र	2014	0.00	0.02	0.02
4.11 राज्यर सरकारों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना एवं उनकें संचालय के लिए सहायता अनुदान	2014	0.01	0.00	0.01
योग	–	219.30	197.26	416.56
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	–			
5.01 न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं	3601	443.69	0.00	443.69
5.02 संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602	63.00	0	63.00
5.03 अन्य कार्यक्रम	2070	0.00	19.85	19.85
5.04 अन्य प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित पूंजी निर्गत	4070	0	102.75	102.75
योग		506.69	122.60	629.29
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	80.66	0.00	80.66
योग		80.66	0.00	80.66
कुल योग		**806.65**	**2717.00**	**3523.65**

अध्याय–2

भाग–II

2. न्याय विभाग

वित्तीय और परिणाम बजट के बीच तदनुरूपता स्थापित करने के लिए बजट अनुमानों के विवरण की उर्ध्वाकार (वर्टिकल) कमी और क्षैतिज (होरिजेंटल) विस्तार दर्शाने वाला तालिकाबद्ध प्रारूप (वर्ष 2015–16 के लिए न्याय विभाग के लिए प्रस्तावित बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं)

(रुपये करोड़ में)

	शीर्ष	2015–16 बजट (प्रस्तावित)		
		योजना	योजनेतर	कुल
	राजस्व			
सचिवालय–सामान्य सेवाएं				
न्याय विभाग, न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन सहित	2052	0.00	7.46	10.32
	2052		2.86	
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से इतर अन्य राज्यों के लिए न्यायपालिका हेतु अवसंरचना संबंधी सुविधाएं	3601	443.69	0.00	443.69
न्याय पालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु विधायिका रहित एवं विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	3602	63.00	0.00	63.00
अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता अनुदान	2552	56.30	0.00	56.30
ग्राम न्यादयालय की स्थापना और संचालन के लिए राज्योंा को सहायता	3601	0.01	0.00	0.01
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई–न्यायालय–चरण–I)	2014	2.00	0.00	2.00
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई–न्यायालय–चरण–II)	2014	227.13	0.00	227.13
न्याय तक पहुंच– भारत सरकार (सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के 08 राज्य)	2014	7.00	0.00	7.00
भारत में कमज़ोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच (यूएनडीपी) (ईएपी) एसएजेआई (चरण–II)	2014	5.00	0.00	5.00

न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन	2014	2.50	0.00	2.50
मॉडल न्यायालयों की स्थापना*	2014	0.01	0.00	0.01
राष्ट्रीय मिशन–कार्य योजना का कार्यान्वयन**	2014	0.01	0.00	0.01
न्याय का प्रशासन				
राष्ट्रीय न्यायायिक अकादमी (एन जे ए)	2014	0.00	10.86	10.86
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा)	2052	0.00	145.00	145.00
कुटुम्ब न्यायालय	3601	0.00	5.00	5.00
कुल		**806.65**	**171.18**	**977.83**

वित्तीय परिव्यायों, संभावित वास्तविक परिणामों और संभावित/बजटीय परिणामों, चाहे वे मध्यवर्ती/आंशिक और अन्तिम, जैसा भी मामला हो, के ब्यौरे **अनुलग्नक–IV** में दिए गए हैं। वर्ष 2015–16 के लिए न्याय विभाग की योजनागत स्कीमों के संबंध में लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–V** में है।

अध्याय–3

भाग–I

सुधार उपाय और नीति सम्बन्धी पहल

1. विधायी विभाग

विधायी विभाग एक सेवा उन्मुख विभाग है और इस प्रकार उसके पास ऐसी काई विनिर्दिष्ट स्कीमें नहीं हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट भौतिक और परिमाणात्मक कार्य पालन से संबद्ध किया जा सके और मानीटर किए जा सकने योग्य कार्यपालन पैरामीटरों में निष्पादित किया जा सके। तथापि विधायी विभाग द्वारा नीचे वर्णित कतिपय पहल की गई हैं।

2. विधायी प्रारूपण एवं अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधि प्रारूपण में ऐसे कौशल को बढ़ाने के लिए सतत् एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। विधायी प्रारूपण की अपनी चुनौतियां हैं और सटीक तथा स्पष्ट विधान के प्रारूपण के लिए विशेषज्ञता अपेक्षित है। मौजूदा उपलब्ध व्यक्तियों की विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता होती है। देश में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.) की स्थापना विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खण्ड के रूप में की गई थी। अपनी स्थपना के आरंभ से यह संस्थान विधायी प्रारूपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। संस्थान द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:–

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में तीन महीने की अवधि की बुनियादी पाठ्यक्रमय

(ii) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम।

अपनी स्थापना के आरंभ से आई.एल.डी.आर. ने छब्बीस बुनियादी पाठ्यक्रम तथा विधायी प्रारूपण के सत्रह मूल्यांकन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है।

2.1 हिन्दी में विशेष मूल्यांकन पाठ्यक्र

विभिन्न राजय सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ विधायी प्रारूपण का कार्य हिन्दी में किया जाता है, के अधिकारियों की सुविधा के लिए 10 नवंबर, 2014 से 10 दिसंबर, 2014 तक एक विशेष विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल 7 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया तथा इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विधायी प्रारूपण का आयोजन ऐसे समय पर किया गया जब आई.एल.डी.आर. ने देश में अपनी स्थापना तथा विधायी परामर्शी समुदाय के उल्लेखनीय सेवा प्रदाता के रूप में 25 वर्ष पूरे किए हैं।

2.2 आंतरिक प्रशिक्षण

इस विभाग के अधिकारियों के लाभ के लिए 27.10.2014 को आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया। यह पाठ्यक्रम

भारतीय विधिक सेवा के सभी अधिकारियों/अधीक्षकों (विधि) तथा सहायकों (विधि) के लाभ के लिए शुरू किया गया है जिसे विधायन के सटीक प्रारूपण के लिए विधायी प्रारूपण में उनकी निपुणता बढ़ाने के लिए रूपांकित किया गया है।

2.3 परिणाम रूपरेखा दस्तावेज

केन्द्र सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में निष्पादन मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) स्थापित करने का निर्णय लिया है। परिणाम रूपरेखा दस्तावेज़ (आरएफडी) एक कन्द्रीय प्रणाली है जिसे पीएमईएस के कार्यान्वयन हेतु डिजाईन किया गया है। मंत्रीमंडल सचिवालय का कार्यनिष्पादन प्रबंधन डिविजन (पीएमडी), आरएफडी की तैयारी तथा कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग करता है। विधायी विभाग के लिए आरएफडी तैयार करके इसे अंतिम रूप देकर इसे इस विभाग की वेबसाईट पर डाल दिया गया है। आरएफडी 2014–15 के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं ताकि इस विभाग द्वारा उत्कृष्ट निष्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

2.4 आई.एल.डी.आर. एक आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

आर.एफ.डी. 2014–15 में विभाग द्वारा की गई प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में आइ.एल.डी.आर. आई.एस.ओ. प्रमाण लेने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। परिणामतः एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू.एम.एस.) विकसित की गई तथा आइ.एल.डी.आर. में रखी गई। तत्पश्चात्, आंतरिक तथा बाह्य ऑडिट किया गया और अंततः आइ.एल.डी.आर. को उसमें क्यू.एम.एस. के कार्य का मूल्यांकन के आधार पर आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणन प्रदान किया गया। आई. एल.डी.आर. को आई.एस.ओ. प्रमाणन दिए जाने के पश्चात् प्रमाणन निकाय द्वारा एक निरीक्षण लेखापरीक्षा की गई है।

2.5 विधायन इत्यादि के क्षेत्र में कम्प्यूटर तकनीक तथा इंटरनेट और निकनेट पर भारत संहिता

विभाग के पास मंत्रालय की वेबसाइट पर इंडिया कोड में निहित केन्द्रीय अधिनियमों की पुनः प्राप्ति का इंडिया कोड सूचना सिस्टम (आई.एन.सी.ओ.डी.आई.एस.) कार्यक्रम है। यह एक वेब समर्थित डाटाबेस है जिसमें अखिल भारतीय अनुप्रयोग के अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों को रखा गया है। यह पूर्ण रूप से टेक्स्ट सर्च की सुविधा प्रदान करता है तथा इसमें वर्ष 1834 से अब तक के सारे केन्द्रीय अधिनियम उपलब्ध हैं। यह विभाग राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित किए गए इस पुनः प्राप्ति कार्यक्रम का संसद के अधिनियमों की पुनः प्राप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा मुख्य तथा अधीनस्थ विधायन के प्रारूपण एवं विधीक्षा में विधायी परामर्शियों को भी मदद मिल रही है। संसद के अधिनियमों को अद्यतन करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है तथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विभाग इंडिया कोड संबंधी संपूर्ण डाटा को अद्यतन करने के लिए सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय कर रहा है। कथित पुनः प्राप्ति प्रणाली के साथ–साथ मुख्य पृष्ठ (होम पेज) जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। इंटरनेट पर www.indiacode.nic.in उपलब्ध है। संसद में पेश नवीनतम अधिनियमों तथा प्रख्यापित अध्यादेशों को भी इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र इनकोडिस के अलावा विविध सपोर्ट सुविधाएँ जैसे, इंडिया कोड इंफॅमेशन सिस्टम का नियमित अपडेशन तथा रख–रखाव, व्यापक डीडीओ पे–रोल सिस्टमए ई–मेल आदि प्रदान करता है। सभी अप्रबंधनीय नेटवर्क डेवाईस को प्रबंधनीय स्विचों में बदल कर विभाग के लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) की पुनः संरचना की गई है। जिससे नेटवर्क की सुरक्षा और गति में वृद्धि हुई है। सारे नेटवर्क के आधार को पहले ही फाईवर ऑप्टिक केबल में बदला जा चुका है। मुख्य सचिवालय के सभी अनुभागों, अवर सचिव स्तर तथा इससे उच्चतर अधिकारियों तथा मुख्य अधिकारियो के वैयिक्तिक सहायकों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें एलएएन से जोड़ा गया है। प्रबंधनीय नेटवर्क डिवाईसिस द्वारा राजभाषा खंड में एलएएन स्थापित किया गया है। विधि साहित्य

प्रकाशन में एल.ए.एन. स्थापित करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

विधायी विभाग के अधिकारिक वेबपेज को नया तथा उन्नत रूप देने के लिए एन.आई.सी. सेल की सहायता से इसकी पुर्नरचना की गई है।

वेबपेज को अधिक आकर्षण रूप में पुर्नरचित तथा प्रसारित किया गया है ताकि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कार्य संरचना, किए गए कार्य, संचालित किए गए पाठ्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम और घोषणाएँ, महत्वपूर्ण लिंक आदि प्रतिबिंबित हों तथा साथ ही दी गईं सेवाओं की भी अभिव्यक्ति हो।

3. अधिनियमों/नियमावलियों आदि का प्रकाशन

प्रकाशन अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत का संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, कूननी परिभाषाओं की अनुक्रमाणिक और संसदीय अधिनियमों की वार्षिक जिल्द आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के उपांतरित संस्करण निकालता रहता है।

भारत का संविधान के नवीन संशोधनों को पुस्तक रूप में डिग्लॉट संस्करण के लिए सम्मिलित किया गया है। इंडिया कोड खण्ड 32 से 37 विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2010 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड को पुस्तिका के रूप में मुद्रण के लिए भेजा जा चुका है। वर्ष 2011 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड को पुस्तिका के रूप में मुद्रण के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है। वर्ष 2012 तथा 2013 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड का पुस्तिका के रूप में संकलन प्रक्रियाधीन है। 7 केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित अंग्रेजी संस्करणों की हस्तलिपि, जिसमें नवीन संशोधन भी यथावत सम्मलित है, को तैयार और उनकी जांच की गई है, तथा डिग्लॉट संस्करण के लिए राजभाषा खण्ड को भेज दी गई है।

4. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.)

वर्ष 1982 के प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग दो दशक से भी ज्यादा समय में सार्वदेशिक हो पाया और वर्ष 2004 में लोक सभा के आम चुनावों के दौरान देशभर के सभी मतदान केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों कोए भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से संयुक्त रूप से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् ईसीआईएल (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद) और बीईएल (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर) के साथ मिलकर 1989 में विकसित किया गया था।

4.1 वर्ष 1998 से उनका बार–बार प्रयोग एक अभूतपूर्व सफलता सिद्ध हुआ है। प्रथम चरण का आकलन वर्ष 2000 में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों में अंतःस्थापित अभिकल्प धारण एवं सॉफ्टवेयर इन दो कंपनियों द्वारा विकसित किया गया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रो.पी.वी. इन्द्रेसन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तकनीकी समर्थन और मूल्यांकन के बाद इसके लिए पेटेंट दाखिल करवा दिया गया है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की दक्षता को कई चुनावों में जांचा गया है। न्यायिक निर्णयों द्वारा भी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की दक्षता का समर्थन किया गया है।

4.2 स्वामित्व एकक होने के नाते इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन कहीं भी आसानी से उपलब्ध होने वाला उत्पाद नहीं है। इसलिए, नई इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रापण न केवल खुले टेंडर द्वारा अव्यावहारिक है बल्कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें ईसीआईएल तथा बीईएल द्वारा विकसित और निर्मित की गई थीं।

4.3 इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के अब तक के प्रापण का विवरण निम्नलिखित अनुसार है।

क्रम सं.	खरीद का वर्ष	कुल इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1.	1989–90	150000	750000000
2.	2000–2001	142631	1499880443
3.	2001–2002	135481	1422900000
4.	2002–2003	190592	2006100000
5.	2003–2004	336045	3530000000
6.	2004–2005	125681	1315400000
7.	2006–2007	250000	2893742332
8.	2008–2009	180000	1900000000
9.	2009–2010	100000 जमा 27000 बैलेट यूनिट	1139294685
10.	2013–14	382876 जमा 251651 बैलेट यूनिट	3116900000
	योग	1610430 जमा 409876 जमा 251651 बैलेट यूनिट	19574217460

वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 तथा 2014–15 के दौरान, कोई ईवीएम प्राप्त नहीं की गई। चूंकि, आयोग द्वारा पहले ही वर्ष 2015–16 के लिए उत्पादकों से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन और वीवीपीटी का क्रय प्रस्तावित है, अतः वर्ष 2015–16 के लिए शीर्ष "ईवीएम" के अंतर्गत रु. 400–00 करोड की राशि तय की गई है।

5. मतदान फोटो पहचान–पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ई.पी.आई.सी.)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान–पत्रों का उपयोग धीरे–धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली, रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटा पहचान–पत्र जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैंए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि

को छोड़कर) एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों कोए जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और साथ ही नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान–पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति का प्रबोधन करता है।

5.2 निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य होए मतदाता फोटो पहचान–पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान–पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि उन सभी व्यक्तियों को जल्द ही जल्द मतदाता पहचान–पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं–

(i) सभी मतदाओं के मतदता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।

(ii) मतदाताओं को अपने फोटो की प्रतियां देने की अनुमति है जोकि मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए स्कैन की जाती हैं।

(iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की गई है।

(iv) मतदाताओं के नामांकन पर ध्यान केंद्रित करने तथा ई.पी.आई.सी. बनाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।

(v) मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनवाने की प्रक्रिया के बारे में निर्वाचकों को सूचित करने हेतु विशेष प्रचार अभियान चलाये गये हैं।

5.3 इस संबंध में देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण उपलब्ध अद्यतन डाटा के अनुसार निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	**राज्य/संघ शासित क्षेत्र**	**ई.पी.आई.सी. कवरेज का %**
1	2	7
रा– 01.	आंध्र प्रदेश	100.00
रा– 02.	अरुणाचल प्रदेश	97.61
रा– 03.	असम	94.97
रा– 04.	बिहार	90.60
रा– 05.	गोवा	98.66
रा– 06.	गुजरात	99.96
रा– 07.	हरियाणा	100.00
रा– 08.	हिमाचल प्रदेश	100.00

रा– 09.	जम्मू और कश्मीर	89.54
रा– 10.	कर्नाटक	99.25
रा– 11.	केरल	100.00
रा– 12.	मध्य प्रदेश	100.00
रा– 13.	महाराष्ट्र	91.60
रा– 14.	मणिपुर	99.62
रा– 15.	मेघालय	100.00
रा– 16.	मिजोरम	100.00
रा– 17.	नागालैंड	99.03
रा– 18.	उड़ीसा	97.33
रा– 19.	पंजाब	100.00
रा– 20.	राजस्थान	99.67
रा– 21.	सिक्किम	100.00
रा– 22.	तमिलनाडु	100.00
रा– 23.	त्रिपुरा	100.00
रा– 24.	उत्तर प्रदेश	99.94
रा– 25.	पश्चिम बंगाल	100.00
रा– 26.	छत्तीसगढ़	97.76
रा– 27.	झारखण्ड	99.51
रा– 28.	उत्तराखण्ड	100.00
सं– 01.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह	90.51
सं– 02	चंडीगढ़	99.95
सं– 03.	दमन और दीव	97.99
सं– 04.	दादर एवं नगर हवेली	100.00
सं– 05.	राष्ट्री राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	100.00
सं– 06.	लक्षद्वीप	100.00
सं– 07.	पुण्डुचेरी	100.00
	कुल	**98.03**

6. निर्वाचन सुधार

6.1 निर्वाचन सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संपूर्ण विस्तृत निर्वाचन सुधारों से संबंधित मामले विधि आयोग को उल्लिखित किए गए हैं।

6.2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम जन चौकीदार एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 62 की उप धारा (5) के आधार पर मतदाता नहीं है तथा फलतः संसद अथवा किसी राज्य के विधान मंडल से चुनाव लड़ने से निरर्हित हो गए इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियमए 2013 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसारए ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जा चुका है, जैसाकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमए 1951 की धारा 62 की उप धारा (5) में दिया गया है। इस उपधारा के अधीन मत देने पर प्रतिशेध के कारण मतदाता होने से प्रविरत नहीं होगा।

6.3 निर्वाचनों का संचालन नियमावलीए 1961 में निर्वाचन आयोग के परामर्श से संशोधन किए गए थे जिसमें निर्वाचन व्यय की ऊपरी सीमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई है।

(विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं– 50603(ई) दिनांक 28–02–2014)

अध्याय–3

भाग–II

न्याय विभाग

सुधार संबंधी उपायों और नीतिगत पहलों का ब्यौरा और ये किस प्रकार से अन्य बातों के साथ–साथ वैकल्पिक प्रदायगी तंत्रों सामाजिक और महिला अधिकारिता आदि के संबंध में मध्यवर्ती परिणामों और अन्तिम परिणामों से संबंधित हैः–

(i) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशनः

2011, न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त 2011 में न्याय प्रणाली में विद्यमान विलंब और बकायों को कम करके न्याय तक पहुंच बढ़ाने और ढांचागत बदलावों एवं निश्पीदन संबंधी मानक और क्षमताएं स्थापित करने के माध्यम से जबावदेही को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थीं। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकायों और लंबित रहने को चरणबद्ध तरीके से कम करने की दिशा में एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है। जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कंप्यूमटरीकरण सहित न्यागयालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अधीनस्थ न्यायपालिका की नफरी में वृद्धि अत्यधिक मुकदमेबाज़ी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय की प्रक्रिया में अपेक्षित बदलाव लाना तथा मानव संसाधन विकास पर जोर दिया जाना शामिल है। राष्ट्रीय मिशन की कालावधि पांच वर्षों की है।

(ii) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (सी. एस. एस.) :

न्याययिक अवसंरचना का विकास विगत में न्यायपालिका पर बढ़ते कार्यभार के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाया। इस स्थिति का निराकरण करने के लिए केन्द्र सरकार न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वितीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के संसाधनों का संवर्धन करती है। यह योजना वर्ष 1993–94 से चल रही है और इसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था। इसमें न्यायालय भवनों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है। वर्ष 2011 तक केन्द्रों और राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत बराबर का अंशदान दिया करती थीं किन्तु वर्ष 2011–12 से वित्त पोषण का तरीका संशोधित कर दिया गया है और अब केन्द्र सरकार निधियों का 75 प्रतिशत अंशदान कर रही है। पूर्वोत्तर राज्य के मामलों में केन्द्रो सरकार वित्त पोषण का 90 प्रतिशत अंशदान मुहैया कराती है। तथापि केन्द्रीय वित्त पोषण योजना के लिए किये गए बजटीय आवंटन के अध्यधीन है।

वर्ष 2015–16 के लिए न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के लिए 563.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) जिला और अधीनस्थन न्यायालयों का कंप्यूटिरीकरण (ई–न्यायालय मिशन मोड परियोजना)

I. चरण – I

ई–न्यायालय मिशन मोड परियोजना देश के जिला अधीनस्थ न्यायालयों के आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए एक राष्ट्रीय ई–शासन परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य न्यायालयों

के आईसीटी सुविधाओं से सुसज्जीकरण के माध्यम से वादकारियों वकीलों और न्यायपालिका को अभिनिर्धारित सेवाएं प्रदान करना है।

ई–न्यायालय परियोजना की संकल्प्ना वर्ष 2005 में भारत के उच्चतम न्यायालय की ई– समिति द्वारा अनुमोदित भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्व्यन हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना' के आधार पर की गई थी। फरवरी 2007 में सरकार ने 441.80 करोड़ की लागत से 2100 न्यापयालय परिसरों में 13,348 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की एक परियोजना अनुमोदित की थी।

सितम्बर 2010 में सरकार ने 14,249 न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना लागत को 935.00 करोड़ रुपए तक के संशोधन और परियोजना की समयावधि 31 मार्च, 2014 तक के संशोधन का अनुमोदन प्रदान किया। यह ई–न्यायालय मिशन मोड परियोजना का चरण–। है।

93 प्रतिशत से अधिक कार्यकलापों को 31 मार्च 2014 तक पूरा कर लिया गया था। शेष कार्यकलापों के लिए सरकार ने 8 मई 2014 को परियोजना की समयावधि को एक वर्ष तक अर्थात 31 मार्च 2015 तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया था जिसे इसकी मूल अनुमोदित लागत 935.00 करोड़ रुपए के भीतर शुरू किया जाना था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

वर्ष 2015–16 के भुगतानों में कुछ अंतर हो सकता है और इसलिए वर्ष 2015–16 के लिए इस योजना के अंतर्गत 2.00 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव है।

II. चरण–II (नई योजना)

जनवरी 2014 में उच्चतम न्यायालय की ई–समिति ने ई–न्यायालय परियोजना के चरण–II के लिए नीतिगत एवं कार्य योजना दस्तावेज (इसके पश्चात नीति दस्तावेज) अनुमोदित किये। उच्चतम न्यायालय की ई–समिति द्वारा देश के उच्च न्यायालयों के परामर्श से और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से तैयार की गई नीति दस्तावेज में न्यायालयों को आईसीटी सुविधाओं से और अधिक सुसज्जित करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार न्याय विभाग ने 2765.00 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से 4 से 5 वर्षों में पूरा होने के लिए ई–न्यायालय परियोजना के चरण–II के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन व्यय वित्त समिति द्वारा किया गया है और व्यय वित्त समिति ने अपने दिनांक 11 नवम्बवर 2014 की बैठक के कार्यवृत्त के तहत 1,670,00 करोड़ रुपए की लागत के परियोजना घटकों के लिए अनुमोदन प्रदान किया। 752.20 करोड़ रुपए की लागत से अधीनस्थय न्योयालयों के मामलों के रिकॉर्डों की स्केनिंग और डीजाईटेशन से संबंधित घटक के संबंध में व्य्य वित्त समिति ने इस प्रस्ताव को संसाधनों के आबंटन हेतु 14वें वेतन आयोग के साथ उठाने की सिफारिश की है और यदि इसमें कोई कमी होगी तो उसे राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि यह कार्यकलाप उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तदनुसार न्याय विभाग ने परियोजना के इस घटक के लिए 14वें वित्त आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त 287.76 करोड़ रूपए की लागत के परियोजना प्रबंधन एवं कार्मिक शक्ति संसाधनों संबंधी घटक के लिए व्यय वित्त समिति ने विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार व्यय विभाग के कार्मिक स्कन्ध से कार्मिक शक्ति के सृजन एवं वित्त पोषण के लिए इस मुद्दे को पृथक रूप से उठाने की सिफारिश की है। तदनुसार 287.76 करोड़ रुपए की परियोजना के परियोजना प्रबंधन एवं कार्मिक शक्ति संसाधन के लिए व्यय विभाग के कार्मिक स्ककन्धे को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2015–16 के लिए 227.13 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

(iv) न्याय तक पहुंच – पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर (भारत सरकार परियोजना)

न्याय तक पहुंच – पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीमर न्याय तक पहुंच परियोजना पूर्वोत्तर के (सिक्किम सहित) आठ राज्यों और जम्मू कश्मीर में कुल 30.00 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित की जा रही है।

योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

– समाज के उन कमजोर और असुरक्षित वर्ग विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति समुदायों की विधिक आवश्यकताओं का समाधान करना जिनके पास यह सुनिश्चित करने के अपेक्षित संसाधन नहीं है कि उनके अधिकार गारन्टी प्राप्त है।

– न्याय प्रदायगी प्रणालियों की क्षमताओं में सुधार लाना ताकि वे लोगों को सेवाएं दें सकें और सामान्यन लोगों को इन सेवाओं की मांग करने और अपने अधिकारों एवं हकदारियों तक पहुंचने की शक्तियां प्राप्त हो सके।

– सुरक्षित लोगों की विधिक जागरूकता और उन्हें उनके समाधान ढूढ़ने की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अभिनव कार्यकलापों को सहायता प्रदान करना।

– नौ परियोजनागत राज्यों में कमजोर वर्ग के लोगों को विधिक सहायता और विधिक सशक्तिकरण मुहैया कराने में विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता करना।

इस परियोजना को 9 राज्यों नामतः अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2015–16 के लिए 7.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

(v) भारत में कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच – यू.एन.डी.पी. से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी)

न्याय विभाग ने न्याय तक पहुंच संबंधी मुद्दे पर यू.एन.डी.पी. के साथ वर्ष 2006 से सहभागिता उस समय की जब उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया था जिनमें विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता थी।

वर्तमान में न्याय तक पहुंच परियोजना अपने दूसरे चरण (2013–2017) में है पहले चरण के कार्यकलापों के अनुक्रम में दूसरे चरण में न्याय के मांग पक्ष और प्रदायगी पक्ष दोनों पर ध्यान दिया गया है और इसमें बुनियादी स्तर और नीति स्तर दोनो में न्याय प्रदायगी स्टेक होल्डरों सहित अनेक स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर विशेष ध्यान देने के प्रयास को प्रोत्साहन दिया गया। भौगोलिक कवरेज की दृष्टि से इस परियोजना में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे आठ राज्यों में 1–2 चयनित जिलों में बेहतर प्रभाव के लिए प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया है।

यह परियोजना पूर्ववर्ती चरण में प्राप्त परिणामों का स्थायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। पहले चरण से प्राप्त अनुभवों को विधिक सहायता एवं विधिक सशक्तिकरण के वहनीयम प्रबलित और मापनीय माडलों के विकास के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है। पूरे विश्व में विधिक सहायता विधिक सशक्तिकरण और उन्नति न्याय प्रदायगी संबंधी सर्वोत्तम प्रणालियों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंगीकार करने की दृष्टि से साझा किया जाएगा। दूसरे चरण में विधिक सहायता एवं विधिक सशक्तिकरण संबंधी ऐसी परियोजनाओं को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया

जाएगा जो उस लागत के भीतर मापनीय और दोहराने योग्य हैं जिसका वहन सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं विशेष रूप से विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किया जा सकता है।

परियोजना के अंतर्गत सहक्रियाशीलता को बढ़ाने प्रयासों के दोहरेपन को दूर करने और इसके प्रभाव को इष्टातम तक पहुंचाने की दृष्टि से न्यायिक अकादमियों (एसआईआरडी) आयोगों विधि विद्यालयों बार काउंसिलों अन्य मंत्रालयों और एनजीओ सहित अन्य संस्थाओं के साथ कार्यकलापों की योजना तैयार की जा रही है।

इस परियोजना में मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में न्याय विभाग की सहायता करने की दृष्टि से न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन को तकनीकी सहायता भी उपलब्धे कराई जा रही है। न्याध्य प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्री य मिशन के अधिदेश की अनुपूर्ति करने के लिए इस परियोजना में प्रमुख मुद्दों पर अनुसंधान करने के लिए न्याय विभाग की नीति और अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी प्रयासों को सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसंधान सहायता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) और अन्य सांविधिक निकायों को भी प्रदान की जाएगी।

पूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए परियोजना में भारत और पूरे विश्व में अन्य देशों के साथ सूचना को साझा करने तथा अनुभवों के आदान–प्रदान करने में सहायता प्रदान की जाएगी ताकि गरीबों के लिए उन्नत विधिक सहायता संबंधी नीतियों दृष्टिकोणों और प्रणालियों के मायने में अच्छी कार्यप्रणालियों से सीखने का अनुभव मिल सके।

वर्ष 2015–16 के लिए 5.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

(vi) न्याय सुधारों संबंधी कार्य अनुसंधान एवं अध्येयन

न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन द्वारा न्याय सुधारों संबंधी कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन संबंधी एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत न्याय प्रदायगी के क्षेत्र में कार्य अनुसंधान मूल्यांकन शुरू करने अध्ययनों की निगरानी करने संगोष्ठियों सम्मेलनों कार्यशालाओं का आयोजन करने अनुसंधान एवं निगरानी कार्यकलापों के लिए क्षमता संवर्धन रिपोर्ट सामग्री के प्रकाशन अभिनव कार्यक्रमों क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना की पात्र कार्यान्वगयन एजेंसियों में भारतीय लोक प्रशासन संस्थीन (आईआईपीए) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससी) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) भारतीय विधि संस्थान (आईएलआइ) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लांईड इकनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) राज्य न्यायिक अकादमियां (एसजे) और न्याय प्रदायगी विधिक शिक्षा और अनुसंधान एवं न्यानयिक सुधारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। योजना के दिशानिर्देशों को जारी कर दिया गया है और अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं।

वर्ष 2015–16 के लिए 2.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

(vii) ग्राम न्यांयालय

ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का अधिनियमन नागरिकों को उनके घर के पास न्याय तक पहुंच मुहैया कराने के प्रयोजनार्थ बुनियादी स्तरों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम 2 अक्तूबर 2009 से लागू हुआ। राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने हेतु अनावर्त्ती व्यय के लिए और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को चलाने हेतु आवर्ती व्यय की लागत को पूरा करने के लिए वितीय सहायता प्रदान की जाती है। आवर्ती और अनावर्ती सहायता, योजना के दिशानिर्देशों में यथा उपबंधित वित्तीय सीमा के अधीन है।

(viii) विधिक सहायता (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) (नाल्सा) योजनेत्तरः

विधिक सहायता (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)(नाल्सा) पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों सिद्धान्तों दिशानिर्देशों का निर्धारण करता है और उसके लिए प्रभावी और किफायती योजनाएं तैयार करता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ताल्लुक विधिक सेवा समितियां इत्यादि को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्य निष्पादित करने के लिए कहा गया हैः

(i) पात्र लोगों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं मुहैया कराना
(ii) विवादों का सुलहनामा से निपटान करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन और
(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कैम्प आयोजित करना।

वर्ष 2015–16 के लिए 145.000 करोड़ रुपए (योजनेतर) का प्रस्ताव किया गया है।

(ix) कुटुम्ब न्यायालय (योजनेतर)

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियमए 1984 में विवाह एवं पारिवारिक मामलों के साथ–साथ इनसे जुड़े मामलों के संबंधित विवादों में सुलहनामा को बढ़ावा देने एवं उनका त्वरित निपटान सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्यों द्वारा अपने–अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। राज्यों से प्रत्येक जिले में कम से कम एक कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। राज्यों से प्रत्येक जिले में कम से कम एक कुटुम्बल न्यायालय की स्थापना करने पर विचार करने के लिए कहा गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में 410 कुटुम्ब न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में एक विवरण अनुलग्नक–VI पर संलग्न है।

कुटुम्ब न्यायालयों के लिए केन्द्रीय वितीय सहायता की एक योजना वर्ष 2002–03 में शुरू की गई थी। योजना के अनुसार नए कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर कुटुम्ब न्यायालय भवन के निर्माण के लिए योजनागत बजट के तहत 10.00 लाख रुपए प्रति न्यायालय का अनुदान मुहैया कराया गया था। योजनेतर के तहत कुटुम्ब न्यायालयों के संचालन व्यय के लिए 5.00 लाख रुपए प्रति न्यायालय की सहायता मुहैया कराई जाती है।

वर्ष 2015–16 के लिए योजना हेतु प्रस्तावित बजट अनुमान 5.00 करोड़ रुपए है।

अध्याय – 4

कार्य निष्पायदन समीक्षा पिछले लक्ष्यों की समीक्षा

निष्पादन समीक्षाः

पहले से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2012–13 के निष्पादन सहित विगत के निष्पादन तथा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 की पहली तीन तिमाहियों की समीक्षा। अंतर के कारण देते हुए वास्तविक निष्पादन का विश्लेषण तथा अलग–अलग कार्यक्रमों के वास्तविक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उनका कार्यक्षेत्र और उद्देश्य।

(i) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन

न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद की अब तक सात बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। दो बैठकों का आयोजन वर्ष 2014–15 में किया गया है। सलाहकार परिषद ने न्याय प्रदायगी प्रणाली को बेहतर बनाने, न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने में कमी लाने, मामलों के त्वारित निपटान तथा न्यायियक एवं विधिक सुधारों के क्षेत्र में भी अनेक सिफारिशें कीं हैं। ये सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।

मिशन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में प्रत्येक नीतिगत क्षेत्र में अनेक कदम उठाएं हैं। सभी राज्यों ने सरकारी मुकदमों में कमी लाने के दृष्टि से अपनी–अपनी मुकदमा नीतियां तैयार की हैं। राज्य एजेंसियों द्वारा मुकदमों की बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के संबंध में तैयार की गई राज्य मुकदमा नीतियों के प्रभावों का आकलन करने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

परक्राम्ये लिखत (एनआई) अधिनियम में आवश्क संशोधनों और चैक बाउंस होने के मामलों से संबंधित बढ़ते हुए मुकदमों को नियंत्रित करने के लिए अन्य नीतिगत एवं प्रशासनिक उपायों का सुझाव देने के लिए एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आई एम जी) का गठन किया गया था। आई एम जी में चैक बाउंस मामलों की संख्या– को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक एवं विधायी परिवर्तनों सहित अनेक उपायों का सुझाव दिया है।

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान मामलों से उत्प न्नं होने वाले मुकदमों और मोटर दुर्घटना दावों के मामलों को सीमित करने के लिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) से इस कानून में आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के नियमों के लिए जुर्माना के भुगतान की प्रणाली और मोटर वाहन दुर्घटना के कारण उत्पन्न होने वाले दावों के निपटान को सरल बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी एक नया विधान तैयार होने की स्थिति में है।

दाण्डिक मामलों में समय पर न्याय प्रदायगी संबंधी प्रक्रियात्मक सुधार करना, न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। विधि आयोग से दाण्डिक न्याय प्रणाली के सुधार पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है जिसके पश्चात गृह मंत्रालय दाण्डिक मामलों के त्वररित निपटान संबंधी प्रक्रियात्मजक कानूनों में संशोधन करने के लिए विधायी उपाय शुरू कर सकता है।

विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए जिला और ताल्लुका स्तरों पर न्यायालय परिसरों में माध्यस्थम केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। सरकारी एजेंसियों को सरकारी संविदाओं में पंचाट एवं माध्स्थम खंड शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। माध्यास्थम कानून में पायी गई अनेक अनियमितताओं को देखते हुए, विधि आयोग को माध्य स्थम एवं सुलहनामा अधिनियम 1996 के प्रावधानों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें मौजूदा कानून को ज्यादा प्रभावी बनाने के संबंध में संशोधनों के प्रस्ताव निहित हैं।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की कमी होना, न्यायालयों में मामलों के एकत्र होने और लंबित बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है। राष्ट्रीय मिशन में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ इस मामले को नियमित रूप से उठाया है। स्टोकहोल्डरों के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2012 के अंत में मौजूद 17,715 से बढ़कर वर्ष 2014 में 20,214 हो गई है। यह मिशन मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ इस मामले को उठा रहा है।

(ii) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना न्याय विभाग द्वारा वर्ष 1993–94 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में अधीनस्थ न्यायालयों को शामिल करते हुए न्यायालय भवनों तथा न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के रिहायशी आवासों के निर्माण को शामिल किया गया है। इस योजना की मुख्य शर्तों में से एक शर्त यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि जारी किए जाने पर राज्य सरकार अपने निर्धारित अंशदान के साथ आगे अवश्य आएगी। तथापि, राज्य सरकारें अपने संसाधनों से अतिरिक्त धनराशि का उपयोग करने के लिए स्वथतंत्र हैं।

फरवरी 2015 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वर्ष 2011–14 से संशोधित वित्त प्रोषण प्रणाली के तहत 3,131 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। यह 1,245 करोड़ रुपए की उस धनराशि पर एक महत्वध्पूर्ण वृद्धि को दर्शाता है जो केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1993–2011 से योजना के आरंभिक चरणों में प्रदान की गई थी। जैसाकि वर्तमान योजना को चालू योजना अवधि (मार्च, 2017) के अंत तक जारी रखने की अपेक्षा है, अतः, यह आशा की जाती है कि इस अवधि के दौरान अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर न्यायिक अवसंरचना में काफी परिवर्धन होगा। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, जून 2014 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 15,400 न्यायालय हाल/न्यायालय कक्ष उपलब्धि थे। इनके अतिरिक्त, 1,000 न्यायालय कक्ष किराए के परिसरों में उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, रिक्तियों को भरने की वजह से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की कार्यरत संख्या में होने वाली तत्काल बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2,250 अतिरिक्त न्यायालय पक्षों का निर्माण चल रहा है।

(iii) जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण (ई–न्यायालय मिशन मोड परियोजना)

(क) फरवरी, 2007 में सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय की ई–समिति द्वारा प्रस्तावित ''राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना के आधार पर देश के सभी जिला एवं अधीनस्थय न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की एक योजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन दिया था। योजना का पहला चरण वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है। 14,249 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (मार्च, 2012 तक 12,000 न्यायालय और मार्च, 2014 तक 2,249 न्यायालयों) के कम्प्यूटरीकरण के लिए मार्च, 2014 की संशोधित समय सीमा के साथ इस परियोजना की लागत को 935.00 करोड़ रुपए तक संशोधित किया गया था।

(ख) 28 फरवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्प्यूटरीकरण किये जाने के लिए निर्धारित 14,249 न्यायालयों में से सभी 14,249 न्यायालयों (100 प्रतिशत) में कम्प्यूटरीकरण के लिए स्थान तैयार कर लिये गए हैं, जिसमें से 13,606 न्यायालयों (95.49 प्रतिशत) में लैन (लोकल एरिया नेटवर्क), 13,436 न्यायालयों (94.03 प्रतिशत) में हार्डवेयर और 13,323 न्यायालयों (93.50 प्रतिशत) में सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आई सी टी अवसंरचना का उन्नयन भी किया गया है। नवंबर 2014 तक परियोजना की अन्य गतिविधियों की प्रगति नीचे दी गई हैः–

I. **न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप** : 14,309 अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराए गए।

II. **सॉफ्टवेयर** : एक यूनीफाइड नेशनल कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर–केस इंफोर्मेशन सिस्टध्म (सी आई एस) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इसे सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालय में लगाने के लिए उपलब्ध कराया गया है। पिछले मामलों से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि शुरू की गई है और 3 करोड़ से अधिक मामलों के आंकड़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

III. **न्याधयिक सेवा केन्द्र** : न्यायिक सेवा केन्द्र (जे एस सी) की स्थापना सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में की गई है जो वादकारियों/वकीलों द्वारा याचिकाएं और आवेदन दायर करने तथा चल रहे मामलों की जानकारी तथा आदेशों एवं निर्णयों इत्यादि की प्रतियां प्राप्ती करने के संबंध में एक सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है।

IV. **संपर्कता (कनेक्टिविटी)** : 2,581 न्यायालय परिसरों में वी पी एन ओ बी बी कनेक्टिविटी और 598 जिला न्यायालय परिसरों में अतिरिक्त लीज लाईन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।

V. **प्रबन्धबन में परिवर्तन एवं प्रशिक्षण** : प्रबंधन में परिवर्तन लाने के एक भाग के रूप में 14,000 न्यायिक अधिकारियों को यूबुन्टुव–लाईनक्सव ओ एस में प्रशिक्षण दिया गया है और 4,000 से अधिक न्यायालयी स्टाफ को सी आई एस सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण दिया गया है।

VI. **री–इंजीनियरिंग प्रकिया** : ई–समिति ने री–इंजीनियरिंग (पी आर) कार्यों की प्रक्रिया आरंभ की है। विद्यमान नियमों, प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और फार्मों के संबंध में अध्ययन करने और उनके सरलीकरण का सुझाव देने के लिए सभी उच्च न्यायालयों में पी आर समितियां गठित की गई हैं। 22 उच्च न्यायालयों से री–इंजीनियरिंग प्रक्रिया की रिपोर्टें प्राप्ति हो गई हैं और भारत के विधि आयोग द्वारा उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

VII. **न्यायालयों और जेलो में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी सी) सुविधा** : देश में 5 जिलों तथा समरूप जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा पर एक प्रायोगिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस प्रयोग के अनुभव के आधार पर पूरे देश में 495 अतिरिक्त। स्थानों पर वी सी सुविधा को चालू किया जा रहा है।

VIII. **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड** : ई–न्यायालय परियोजना के तहत कम्प्यूटरीकृत सभी जिला और अधीनस्थन न्यायालयों को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) के साथ जोड़ा गया है, जो पूरे देश में मामलों से संबंधित रिकॉर्डों का एक सामान्या संग्रह केन्द्र है। एन जे डी जी में निर्णित मामलों के आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य शुरू किया जा रहा है और लंबित मामलों से संबंधित आंकड़ों को नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। 31 अक्तूबर 2014 की स्थिति के अनुसार, 24 उच्च न्यायालयों में से 21 के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित 3.92 करोड़ से अधिक मामलों तथा 60 लाख से अधिक आदेशों/निर्णयों के आंकड़ों को एन जे डी जी में अपलोड किया गया है।

IX. **सेवा प्रदायगी** : राष्ट्रीय ई–न्यायालय पोर्टल (http://www-ecourts-gov-in) क्रियाशील हो चुका है। यह पोर्टल वादकारियों को मामलों के पंजीकरण, वादसूची, मामला स्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरों जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्तमान में, वादकार लोग 11,000 से अधिक न्यायालयों में 3 करोड़ से अधिक लंबित और निर्णीत मामलों के संबंध में मामला स्थिति संबंधी जानकारी देख सकते हैं।

शेष कार्यकलापों को पूरा करने के लिए, सरकार ने परियोजना की विस्तार अवधि को 31 मार्च 2015 तक एक वर्ष के लिए 935 करोड़ रुपए की मूल अनुमोदित लागत के भीतर जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है।

न्यायालय में आई टी टी सज्जा को बढ़ाने के लिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में ई–न्यायालय–परियोजना के

चरण–II के लिए प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय की ई–समिति ने जनवरी, 2014 में ई–न्यायालय परियोजना के चरण–II के लिए नीति एवं कार्ययोजना दस्तावेज़ (इसके पश्चात ''नीति दस्तावेज'') अनुमोदित किया है। उच्चतम न्यायालय की ई–समिति द्वारा देश के सभी उच्च न्यायालयों के परामर्श से तैयार तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित नीति दस्तावेज में (i) आई टी अवसंरचना (ii) न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए प्रणालियां और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (iii) मामला रिकॉर्डों को डिजीटाइजेशन एवं संरक्षण (iv) सभी न्यायालयों एवं जेलों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग (v) क्षमता संवर्धन उपाय (vi) न्यायिक प्रक्रिया री–इंजीनियरिंग (vii) कार्य निष्पादन एवं प्रक्रिया स्वचलन उपकरण एवं उपाय (viii) न्यायिक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (ix) मानव संसाधन, और (x) वर्धित सेवा प्रदायगी के ब्यौरों को समाहित किया गया है और इसमें (क) पहले से कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में परिवर्धित हार्डवेयर का प्रावधान है (ख) उन अतिरिक्त न्यायालयों का कम्प्यूटरीकृत जो चरण–I में अनुमोदित 14,249 के पश्चात गठित किये गए हैं। (ग) उन अतिरिक्त न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण जिनका गठन चरण–II के पहले दो वर्षों में किये जाने की अपेक्षा है और (घ) ऐसी न्यायिक गतिविधियां जिनसे न्यायपालिका का आई सी टी सुविधा से सुसज्जीकरण बढ़ेगा, की परिकल्पना की गई है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ई न्यायालय परियोजना के चरण–II के दौरान निम्नलिखित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा है।

i. लगभग 5,751 नए न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण।

ii. मौजूदा 14,249 कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों का अतिरिक्त हार्डवेयर युक्ति आई सी टी सज्जा से संवर्धन।

iii. वेन (डब्ल्यू.ए.एन.) के माध्यम से देश के सभी न्यायालयों को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रडि से जोड़ना और प्रस्तावित अंतर–संचालनीय (इंटरऑपरेवल) दांडिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकरण हेतु अतिरिक्ता सम्पर्कता।

iv. प्रत्येक न्यायालय परिसर में केन्द्रीकृत फाइलिंग केन्द्रक और टच स्क्रीन आधारित क्योतस्क जैसी नागरिक सुविधाएं स्थापित करना।

v. चरण–I के अंतर्गत शामिल न किए गए न्यायिक अधिकारियों को लेपटॉपों, प्रिंटरों, यू पी एस और कनेक्टिविटी देने और चरण–I के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए पुराने हार्डवेयर को बदलने का प्रावधान।

vi. शेष 2,500 न्यायालय परिसरों और 800 शेष जिलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू करना।

vii. एसजेए, डीएलएसए और टीएलएससी का कम्प्यूटरीकरण।

viii. डिजिटाइजेशन, दस्तावेज प्रबंधन, न्यायिक ज्ञान प्रबंधन और लर्निंग मैनेजमेंट के माध्यम से एक सशक्त न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का सृजन करना।

ix. न्यायालय परिसरों में (सामूहिक) नेटवर्क और सौर उर्जा संसाधन लगाना।

x. परिवर्तन प्रबंधन के माध्यम से न्यायालयों में बेहतर निष्पादन कार्य को सुविधाजनक बनाना और हैंडहैल्डम डिवाइसिस के माध्यम से रि–इंजीनियरिंग प्रक्रिया और प्रक्रियागत सेवा प्रदायगी में सुधार।

xi. ई–फाइलिंग, ई–पेमेंट और मोबाइल अप्लीकेशनों के प्रयोग के माध्यम से आईसीटी सुविधा का संवर्धन

xii. नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदायगी।

(iv) न्याय तक पहुंच (पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर)– भारत सरकार परियोजना

न्याय तक पहुंच (एन ई एंड जे के) परियोजना के तहत शुरू की गई पहलें नीचे दी गई हैं:–

1. नागालैंड के दो अत्याधिक पिछड़े जिलों तैलनसांग और मोन जिलों में 46 विधिक सहायता

समाधान केन्द्रों की स्थापना : नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नागालैंड के दो अत्याधिक पिछड़े और दूर–दराज़ जिलों तैलनसांग और मोन जिलों में 46 विधिक सहायता समाधान केन्द्रों की स्थापना का कार्य करेगा। विधिक सहायता समाधान केन्द्र सभी कमजोर वर्गों को विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों इत्यादि को विधिक जागरूकता उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त, एक निःशुल्क विधिक सहायता केन्द्र के रूप में, ये माध्यस्थम/लोक अदालतों इत्यादि के माध्यम से सामुदायिक विवादों का निपटान करने में सहायता प्रदान करेंगे, और ग्राम परिषदों, गांव बूराओं/डीबी जैसे पारंपरिक न्यानयिक निकायों के सदस्यों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, विधि विद्यार्थियों, पैनल वकीलों, अर्धविधिक स्वयंसेवकों और एनजीओ को प्रशिक्षण देकर स्थानीय संसाधानों का सृजन करेंगे।

परियोजना का कार्यकाल 5 वर्ष है। इसका प्रभाव 242 गांवों में रह रहे लगभग चार लाख पचास हजार लोगों पर पड़ेगा।

2. **लोगों की विधिक सशक्तिकरण में मौजूद अंतरालों की पहचान करने के लिए आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन :** यह अध्ययन शिलांग, मेघालय स्थित इम्स्की एन जी ओ नेटवर्क द्वारा कराया गया था। यह लोगों, विशेष रूप से उन लोगों जो गरीब, कमजोर और असुरक्षित हैं, और इसलिए उनके पास अपने अधिकारों की गारन्टी सुनिश्चित करने के संसाधन नहीं हैं, के विधिक सशक्तिकरण में मौजूद अंतरालों की पहचान करने के लिए क्षेत्र आधारित अध्ययन है। इसका लक्ष्य उनकी विधिक अधिकारिता के बीच आ रही उन बाधाओं एवं अंतरालों जो न्याय तक पहुंच में बाधक होती हैं की पहचान करना, और उनकी क्षमताओं में सुधार लाने की दृष्टि से न्याय प्रदायगी प्रणाली द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का मूल्यांकन करना भी है ताकि ये गरीब और असुरक्षित समुदायों की विधिक अधिकारिता के संबंध में प्रभावकारी कार्यक्रमों का विकास करने में सहायक हो सकें।

3. आठ पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक कल्याण विधानों के बारे में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के अर्ध–विधिक स्वेयंसेवियों (पी एल वी) का प्रशिक्षणः यह कार्यकलाप ओडिशा में विद्यमान एक सिविल सोसाइटी संगठन कमेटी फॉर दि लीगल एंड टु पुअर (सी एल ए पी) द्वारा किया जा रहा है। सी एल ए पी असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैण्डः से 400 पी एल बी (प्रत्येक राज्य से 50) को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ये पी एल वी, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य के सामाजिक कल्याण विधानों, योजनाओं, कार्यक्रमों, न्यानयिक प्रक्रियाओं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, अन्य संगठनों के बीच से विधिक सहायता के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे। सभी राज्यों में प्रशिक्षण का एक दौर पूरा कर लिया गया है। दिसम्बंर, 2014 से पुनश्चर्या प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

4. जम्मू एवं कश्मीर में आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययनः यह अध्ययन राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के विधिक सशक्तिकरण में अन्तरालों की पहचान करने के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने उस परियोजना पर कार्य फिर से शुरू कर दिया है जो बाढ़ की वजह से रोक दी गई थी। न्याय विभाग में 11 दिसम्बर, 2014 को अभिमुखीकरण बैठक आयोजित की गई थी जिसमें न्याय विभाग की परियोजना प्रबंधन टीम ने भाग लिया था। विधि विभाग की टीम वर्तमान में प्रश्नावली तैयार कर ही है और अध्ययन कराने के लिए संबंधित क्षेत्रों की पहचान कर रही है।

5. जम्मू एवं कश्मीर में विधिक सहायता समाधान केन्द्रों को सहयोगः इस परियोजना में कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विधिक सहायता समाधान केन्द्रों को भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा भी इस परियोजना पर कार्य शुरू किया गया है। अनेक प्रदायगीयोग्य घटकों (डिलीवरेबल्सो) को पूरा कर लिया गया है, अनुसंधान परियोजना और विधिक साक्षरता पर भी कार्य शुरू किया गया है। 11 दिसम्बर, 2014 को इस परियोजना के संबंध में अभिमुखीकरण बैठक पहले ही हो चुकी है।

6. नौ राज्यों में परियोजना टीम की नियुक्ति के माध्यम से एसएलएसए को मानव संसाधन उपलब्ध कराना : राज्य स्तर पर न्याय तक पहुंच (एनईएंडजेके) परियोजना के कार्यकलापों का समन्वय करने और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए सभी नौ परियोजना राज्यों में दो पेशेवरों की एक टीम (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) की नियुक्ति की जा रही है। असम, नागालैंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के लिए इनकी भर्तियों का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष राज्यों में इनकी भर्ती का कार्य जनवरी, 2015 में पूरा कर लिया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत निकट भविष्य में निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किये जाएंगेः–

i. परियोजना राज्यों में एसएलएसए के पूर्वोत्तर में 400 पैनल वकीलों और जम्मू कश्मीर में 225 पैनल वकीलों को प्रशिक्षण।

ii. ''जम्मू कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों तथा अनाथालयों के विनियमन को शासित करने के लिए नीतिगत ढांचा'' तैयार करना।

iii. जम्मू कश्मीर में अर्धविधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण।

iv. परियोजना राज्यों में विधिक सूचना क्योस्कोय की स्थापना।

v. पूर्वोत्तर में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पर प्रयोग।

vi. प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग, भूमि, जल और वन पर परंपरागत ज्ञान और सामुदायिक अधिकारों का संरक्षण।

vii. पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर में मानव दुर्व्या पार के मुद्दों का समाधान।

viii. न्याय तक पहुंच के संबंध में पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के लिए जागरूकता फिल्में और वृत्तचित्र।

(v) ''भारत में कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच''– यूएनडीपी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत ''भारत में कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच'' के अंतर्गत शुरू किये गए कार्यकलाप नीचे दिये गए हैंः–

1) झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्योशस्कोंर की स्थापना – झारखंड और छत्तीसगढ़ में 50 स्थानों पर 50 ध्वनि आधारित सूचना क्योस्का लगाए गए हैं। ये क्यो्स्कज मुख्यतः दोनो राज्यों में जिला न्यायालयों अथवा डीएलएसए के परिसरों में स्थापित किये गए हैं। इन क्यो स्कोंज में 31,408 लोगों को विधिक जानकारी प्रदान की गई है और उन्हें विभिन्नो अधिकारों तथा हकदारी संबंधी मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाया गया है।

2) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) और राज्यी ग्रामीण विकास संस्थारन (एसआईआरडी) – ग्रामीण वाद एवं हकदारी केन्द्र (आरएलईके) को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), उत्तर प्रदेश के लिए हिन्दीं में दो विधिक साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इन माड्यूलों के अंतिम रूप दे दिये जाने पर, ग्रामीण वाद एवं हकदारी केन्द्र (आरएलईके) के द्वारा एनएलएमए – संचालित एसआरसी, मध्यएप्रदेश और एसआईआरडी लखनऊ, उत्तर प्रदेश से चयनित 78 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) का आयोजन किया जाएगा। आरएलईके ने पहले ही एनएलएमए के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए और एसआईआरडी, उ.प्र. के फैकल्टी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मैनूअल विकसित कर लिया है और इसने विभिन्न विधिक सामग्रियों और मुद्दों पर

116 फैकल्टी सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस संगठन ने एनएलएमए के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया है और विधिक साक्षरता पर 64 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों (केआरपी) को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

3) ओडिशा में अर्धविधिक स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण – परियोजना के अंतिम चरण के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा व्येक्तण जरूरतों में से एक जरूरत अर्धविधिक स्वयंसेवकों (पीएलए) को तैयार करना और उन्हें प्रशिक्षण देना है। इस व्यक्त आवश्यकता के आधार पर एक एसएलएसए के लिए पीएलवी को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया था। ओडिशा पहला राज्य था जिसे इस कार्यकलाप को शुरू करने के लिए चुना गया था। ओडिशा के चार जिलों में अर्धविधिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदाता गाईड तैयार करने और पीएलवी को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक एनजीओ–गरीबों को विधिक सहायता संबंधी समिति (सीएलएपी) का चयन किया गया है। संगठन ने अर्धविधिक स्वयंसेवक सुविधा प्रदाता गाईड तैयार कर ली है और 278 अर्धविधिक स्वयंसेकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

4) ओडिशा में पैनल वकीलों को प्रशिक्षण – पीएलवी के प्रशिक्षण के अतिरिक्त नाल्सौ द्वारा पैनल वकीलों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता भी व्यक्त की गई थी। ओडिशा में पैनल वकीलों के लिए एक प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने और 100 डीएलएसए पैनल वाले वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक दूसरा एन जी ओ – मल्टिपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (एमएआरजी) का चयन कर लिया गया है। एमएआरजी ने पैनल वकील प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार कर लिया है और ओडिशा के पांच जिलों का प्रतिनिधित्वक करने वाले 67 डीएलएसए पैनल वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

5) महाराष्ट्र और ओडिशा में विधिक सेवा समाधान केन्द्रों की शुरूआत – टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस), मुम्बई ने कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं मुहैया कराने के लिए टीआईएसएस कैंपस में एक विधिक सेवा समाधान केन्द्र स्थापित किया है। विधिक सेवा समाधान केन्द्र ने 1 सितम्बर, 2014 में अपने उद्घाटन से लेकर अब तक 63 मामलों को सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए ओडिशा के तीन जिलों में तीन विधिक सहायता समाधान केन्द्रों की स्थापना की है। इन समाधान केन्द्रों ने नवम्बर, 2014 में अपने उद्घाटन से लेकर अब तक विधिक सुविधा प्रदान करने के लिए 183 मामले लिए हैं।

6) झारखंड में सामान्य सेवा केन्द्र नेटवर्क के प्रयोग द्वारा विधिक सुग्राहीकरण – इस परियोजना में आल्टारनेटिव फॉर इंडिया डेवलेपमेंट की सहभागिता से झारखंड के तीन जिलों में सी एस सी नेटवर्क का प्रयोग करके विधिक सुग्राहीकरण परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना ने 19,034 लोगों को उनके विभिन्न अधिकारों/हकदारियों के बारे में जागरूक किया है और 1,900 मामलों में सहायता प्रदान की है।

7) ओडिशा में वन अधिकारों पर विधिक सुग्राहीकरण – इस परियोजना में अन्तोदय की सहभागिता से कालाहांडी जिला, ओडिशा के जनजाति लोगों को उनके वन अधिकारों और हकदारियों के संबंध में सुग्राही बनाया जा रहा है। इस परियोजना ने लगभग 180 सामुदायिक अधिकार स्वयंसेवकों को तैयार किए हैं और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में 13,534 जनजाति लोगों को सुग्राही बनाया है। इस परियोजना द्वारा 910 पात्र मामलों में उनके अधिकारों और हकदारियों के लिए सहायता प्रदान की गई है और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उनके मामलों का प्रतिनिधित्व किया गया है।

8) न्यायालय कक्षों को महिला अनुकूल बनाना – दिल्ली में पार्टनर्स फॉर लॉ एंड डेवलेपमेंट का चयन विशेष न्यायालयों का इस संबंध में अध्ययन करने के लिए किया गया है कि न्यायालय प्रक्रियाएं किस हद तक महिला अनुकूल हैं। इस प्रायोगिक अध्ययन में बलात्कार के मामलों में न्यायालय कक्ष प्रक्रियाओं की महिलाओं के प्रति

संवेदनशीलता की जांच उन प्रणालियों की पहचान करने के उद्देश्य से की जाएगी जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं और साथ ही साथ जो यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रतिकूल हैं। इस परियोजना का समग्र उद्देश्य यह जांच करना है कि न्यायालय कक्ष प्रक्रियाएं बलात्कार के विचारण में विधि शास्त्र द्वारा स्थापित मानकों के कितनी अनुरूप हैं और साथ ही यह पता लगाना है कि न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए सिफारिशें करने हेतु क्यो आदर्श प्रक्रियाएं होनी चाहिए। इस अध्ययन की व्यापक रिपोर्ट मार्च, 2015 में आने की संभावना है।

9) प्रशिक्षित यूनाईटेड नेशन्स वालन्टियर्स की सेवाओं से सहायता प्राप्ति ओडिशा एसएलएसए/डीएलएसए – जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्य को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य– से ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 11 कौशल प्राप्त लीगल यूनाईटेड नेशन्स वालन्टियर्स की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

10) उत्तर प्रदेश और मध्यय प्रदेश में सामुदायिक विधिक सुग्राहीकरण पहलें –परियोजना के तहत राज्य ग्रामीण विकास संस्थामन, उत्तर प्रदेश की सहभागिता से अक्तूबर, 2014 से उत्त रप्रदेश के बाराबंकी जिले में समुदाय स्तरीय विधिक सुग्राहीकरण पर एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसी प्रकार, भारत ज्ञान विज्ञ समिति सितम्बर, 2014 से मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में समुदाय स्त्री विधिक सुग्राहीकरण का कार्यान्वतयन कर रही है। दोनों परियोजनाएं पूर्व तैयारी चरणों पर हैं और वास्तविक कार्यान्वनयन अगले वर्ष से हो पाएगा।

11) परियोजना उन्नयन (स्केल–अप) पहलें – इस परियोजना में ओडिशा में पीएलवी की प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन और पैनल वकीलों के प्रशिक्षण के पश्चात, अन्य राज्यों में भी कुछ गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश में 200 पीएलवी को प्रशिक्षण देने का सेन्टिम लर्निंग लिमिटेड से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र में 200 पीएलवी को प्रशिक्षण देने के लिए युवा रूरल एसोसिएशन से संपर्क किया गया है। इस दिशा में, एक्शन एंड लर्निंग से ओडिशा में 100 डीएलएसए पैनल वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संपर्क किया गया है। सभी तीनों परियोजनाएं पूर्व तैयारी चरणों पर हैं और वास्तविक कार्यान्वयन अगले वर्ष से हो पाएगा।

12) विधि स्कूलों में विधिक शिक्षा और विधिक सहायता समाधान केन्द्रों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय परामर्श – कटक में 11–12 जनवरी, 2014 को एक राष्ट्र स्तरीय परामर्श आयोजित किया गया था जिसमें स्टेट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया और विधि स्कूलों में विधिक शिक्षा और विधिक सहायता समाधान केन्द्रों के सशक्तिकरण की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त की।

13) राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाकन ओटावा, कनाडा का दौरा करने वाले शिष्टतमंडल के साथ संक्षिप्तो वार्ता सत्र – नवंबर 2013 माह में राष्ट्रीय और राज्य न्यायिक अकादमियों, न्याय विभाग और यू एन डी पी के निदेशकों के एक शिष्ट मंडल ने राष्ट्रीय न्यायिक संस्थान, ओटावा, कनाडा में एक सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस एक्सपोजर दौरे की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में 23 जनवरी, 2014 को एक डी–ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया गया था। डी–ब्रीफिंग रिपोर्ट तैयार कर ली गई और सभी सहभागियों के साथ उसे साझा किया गया है।

(vi) न्याायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययनः

न्याय विभाग द्वारा स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन से सितम्बर, 2013 में न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन हेतु एक योजनागत स्कीम तैयार की गई थी। विभाग ने इस स्कीम को सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित किया और उनसे प्रस्ताव आमंत्रित किये। परियोजना स्वीकृत समिति की पहली बैठक 26 अगस्त, 2014 को आयोजित की गई थी। पी एस सी की पहली बैठक में रखे गए 6 प्रस्तावों में से तीन प्रस्ताव अनुमोदित किये

गए। पीएससी के निर्णय के अनुसार तीन संस्थाओं से आवश्य क सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं तथापि समेकित वित्त प्रभाग के अनुमोदनार्थ उक्त प्रस्तावों को रखने के लिए यू जी सी के दिशानिर्देश प्रतिक्षित हैं। इसी दौरान पीएससी के समक्ष रखने के लिए छः अतिरिक्त प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है। पीएससी की दूसरी बैठक जनवरी, 2015 में आयोजित की गई थी।

(vii) ग्राम न्यायालयः

ग्राम न्यायालय अधिनिमय, 2008 में उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, मध्यमवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई है जहां पर उक्त अधिनियम लागू होता है। अब तक 10 राज्यों ने 194 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए हैं। इनमें से 159 ग्राम न्यायालयों ने मध्य प्रदेश (89), राजस्थान (45), महाराष्ट्र (10), उड़ीसा (12), हरियाणा (2) और पंजाब (1) राज्यों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अब तक ग्राम न्यायालय योजना के अंतर्गत इन राज्यों 3749.00 लाख रु. की धनराशि जारी हो चुकी है।

योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर दिनांक 7 अप्रैल, 2013 को मुख्यमंत्रियों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्णय लिया गया कि जहां कहीं व्यवहार्य हो, उनकी स्थानीय समस्याओं पर गौर करते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के प्रश्न पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को निर्णय लेना चाहिए। ग्राम न्यायालय योजना के अंतर्गत उन ताल्लुकों को कवर करने पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां नियमित न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है।

(viii) विधिक सहायता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) (योजनेत्तर):

विधि एवं न्याय मंत्रालय नाल्सा को अनुदान सहायता स्वीकृत करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 82.65 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई और वर्ष 2015–16 के लिए 145.00 करोड़ रुपए (योजनेतर) की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

1 अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 की अवधि के दौरान 76,557 लोक अदालतों का आयोजन किया गया था इन लोक अदालतों में 34.37 लाख से अधिक मामले निपटाए गए। लगभग 46,768 मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी मामलों में 894.85 करोड़ रुपए के मुआवजे का निर्णय दिया गया है।

दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालतः भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर ताल्लुक न्यायालयों तक के सभी न्यायालयों में मामलों के निपटान हेतु पूरे देश में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नाल्सा के तत्वाधान के तहत दिनांक 06.12.2014 को किया गया। उच्चतम न्यायालय से लेकर ताल्लुक न्यायालयों तक, लोक अदालत की खण्डपीठों की बैठकें सफल रहीं हैं और उनमें अनेक लंबित मामलों का निपटान किया गया है जिससे पूरे देश में मामलों की लंबितता में लगभग 9 प्रतिशत की कमी आई है।

(ix) कुटुम्ब न्यायालय (योजनेतर) : 2013–14 में कुटुम्ब न्यायालय (योजनेतर) के तहत बजट अनुमान में 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और वह बिहार राज्य सरकार को जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 5.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से 3.75 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जारी किये गए थे और 1.00 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जारी किये गए थे। वर्ष 2015–16 के लिए योजना हेतु प्रस्तावित बजट अनुमान 5.00 करोड़ रुपए है।

अध्याय–5

वित्तय समीक्षा और व्यय की प्रवृत्ति

1. बजट अनुमानों/ संशोधित अनुमानों की तुलता में व्यय की समग्र प्रवत्तियों को शामिल करते हुए वित्तीय समीक्षा (स्कीम–वार) का विवरण अनुलग्नक–VII में दिया गया है।

योजनागत स्कीम (प्रस्तावित)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजनागत स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2014–15	संशोधित अनुमान 2015–16	28.02.2015 तक व्यय
1.	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान–मुख्य शीर्ष 3601 लघुशीर्ष 04.891–न्याय का प्रशासन–40 केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को अनुदान–01–न्यायपालिका की अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से इतर अन्य राज्यों को अनुदान।	782.39	842.39	842.39
2	संघ राज्यस क्षेत्र सरकारों (विधानमंडल सहित और रहित) को सहायता अनुदान–मुख्य शीर्ष 3602 लघु शीर्ष 04.891–न्याय का प्रशासन–40 केन्द्री प्रायोजित योजना (सीएसएस) को अनुदान–01 न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं हेतु अनुदान	60.00	0.00	0.00
3	पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता अनुदान–अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के लिए मुख्य शीर्ष 2552	93.60	93.60	93.60
4	ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता मुख्य शीर्ष 2014	0.01	3.01	0.00
5	राष्ट्रीय मिशन–कार्य योजना का कार्यान्वयन	5.00	0.01	0.00
6	न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन	5.00	1.00	0.00
7	न्याय तक पहुंच भारत सरकार	8.00	4.66	1.83
8.	न्याय तक पहुंच – बाह्य सहायता प्राप्त	5.00	7.59	6.39
	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण (ई न्यायालय चरण–।)	58.00	35.00	3.01
	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण (ई न्यायालय चरण–।।)	60.00	0.01	0.00
	मॉडल न्यायालयों की स्थापना (अभी अनुमोदित किया जाना है)	26.00	0.01	0.00
	कुल	**1103.00**	**987.28**	**947.22**

न्या.य विभाग 75:25 अंशदान पैटर्न के आधार पर न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी करता है। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में अनुदान 90:10 आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम न्यायालय के प्रथम तीन वर्षों के संचालन के संबंध में प्रति ग्राम न्यायालय एकमुश्त अनावर्ती व्यय के रूप में 18.00 लाख तथा आवर्ती व्यय के रूप में 3.2 लाख रु. की दर पर मुहैया कराई जाती है।

न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना (सी एस एस) और ग्राम न्यायालय योजना के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों का विवरण अनुलग्नक–VIII में दर्शाया गया है।

अध्याय–6

सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा

विधि कार्य विभाग विधि के विषयों पर अध्ययन और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए विधि के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले कतिपय संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। ऐसे संस्थानों के कार्य–निष्पादन का विवरण निम्नलिखित हैः –

1. संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थांन

संवैधानिक एवं संसदीय अध्यदयन संस्थानन की स्थापना भारतीय संविधान के कार्यकरण और उसके सर्वांगीण विकास के संदर्भ में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन के लिए और उसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिनांक 10 दिसंबर, 1965 को की गई थी। यह विभाग इस संस्थातन को सहायता अनुदान प्रदान करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 31.1.2015 तक इस संस्थान को 99.49 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, संस्था1न की निम्नलिखित गतिविधियां रही हैंः–

डिप्लोटमा पाठ्यक्रमः

यह संस्थाीन संसदीय फैलोशिप कार्यक्रम और दो डिप्लोममा पाठ्यक्रम संचालित करता है, एक संवैधानिक कानून में तथा दूसरा संसदीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं में। संस्थान द्वारा संचालित 3 पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर अंशकालिक पाठ्यक्रम हैं और तीनों एक–एक वर्ष के हैं। तीनों पाठ्यक्रमों की कक्षाएं शाम को संस्थान परिसर में लगती हैं।

चालू अकादमिक वर्ष 2014–15 के लिए इन तीनों पाठ्यक्रम के दाखिले जून–जुलाई, 2014 में किए गए थे, जिनमें कुल 47 छात्रों को नामांकित किया गया था। छात्रों के लाभ के लिए जुलाई, 2014 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किए गए एक प्रवेश कार्यक्रम के पश्चात दिनांक 02 अगस्त, 2014 से इन पाठ्यक्रमों की कक्षाएं चलाई जा रही हैं।

पत्रिकाएंः

संस्थाान ने दो त्रैमासिक शोध पत्रिकाएं अर्थात 'जर्नल ऑफ कांस्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज' (अंग्रेजी में) और 'लोकतंत्र समीक्षा' (हिंदी में) प्रकाशित कीं। ये दोनों पत्रिकाएं संस्थान के प्रतिष्ठित और बहु–संदर्भित प्रकाशन हैं, जिनका अंग्रेजी में आईएसएसएनः 0022–0043 और हिंदी में आईएसएसएनः 0024–595 एक्सक है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, दोनों पत्रिकाओं के जनवरी–जून 2014 के अंकों को संपादित किया गया है और उन्हें शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही, दोनों पत्रिकाओं के जुलाई–दिसम्बर के अंकों के संपादन का कार्य चल रहा है।

2. भारतीय विधि संस्थान

भारतीय विधि संस्थान (आई.एल.आई) देश का एक प्रमुख विधि शोध संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। संस्थान के उद्देश्य हैं– विधि के विज्ञान का विकास करना, विधि को सामाजिक–आर्थिक विकास और आम लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए विधिक शोध के क्षेत्र में उच्च अध्ययन को बढ़ावा देना, विधि की प्रणालीबद्धता को सुनिश्चित करना, विधि शिक्षा प्रणाली में अन्वेषण करना और उसे प्रोत्साहित करना और किए गए अध्ययनों को पुस्तकों के रूप में और पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इस संस्थान

के पदेन अध्यक्ष हैं। इस संस्थान को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 29.10.2004 की अधिसूचना सं. एफ.9–9/2001–यू.3 के तहत वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह विभाग भारतीय विधि संस्थान को सहायता अनुदान प्रदान करता रहा है। संस्थान को वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 31.01.2015 तक 81.75 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

अकादमिक कार्यक्रमः वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थाान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया। एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णतः योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिये होता है। वर्तमान में संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अकादमिक कार्यक्रमों और उनमें दाखिल छात्रों की संख्या का विवरण निमन्लिखित हैः–

अकादमिक कार्यक्रम	**दाखिल छात्रों की संख्या (31.12.2014 को) (अकादमिक सत्र, 2014–15)**
एलएल.एम. – 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	25
एलएल.एम. – 2 वर्ष (पूर्णकालिक)	37
स्नातकोत्तर डिप्लोतमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधि)	191
विधि में पीएच.डी.	05
छात्रों की कुल संख्या	258

- संस्थान में एक पीएच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 24 छात्र नामांकित हैं।
- संस्थान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ई–लर्निंग प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है। उपर्युक्त अवधि के दौरान ऑन–लाइन साइबर विधि के बैच सं. 17, 18 और 19 तथा ऑन–लाइन आई.पी.आर. पाठ्यक्रम के बैच सं. 28, 29 और 30 पूरे हुए।

जारी किए गए शोध प्रकाशन

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गएः–

- **जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (जेआईएलआई):** यह त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में विधि के क्षेत्र के महत्वपूर्ण सामयिक विषयों पर शोध आलेख प्रकाशित किए जाते हैं।
- **आई.एल.आई. न्यूजलेटरः** यह भी त्रैमासिक प्रकाशन है और इसमें संस्थान की तिमाही के दौरान की गतिविधियों और आगामी गतिविधियों का विवरण प्रकाशित किया जाता है।
- **विधि पत्रिकाओं की अनुक्रमणिकाः** यह वार्षिक प्रकाशन है और इसमें संस्थान के पुस्तकालय द्वारा प्राप्त की जा रही विधि और उससे संबंधित क्षेत्रों की पत्रिकाओं (इयर बुक और अन्य वार्षिक प्रकाशनों सहित) की अनुक्रमणिका प्रकाशित की जाती है।
- **दस्तावेजों का डिजिटीकरणः** भारतीय विधि संस्थुान ने अपने प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों के 2.5 लाख से अधिक पृष्ठों का डिजिटीकरण किया है और वे डीवीडी के रूप में उपलब्ध हैं।

भारतीय विधि संस्थान की गतिविधियां (संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/दौरे/विशेष व्याख्यान)

- कारपोरेट शोध परियोजना के लिए अपने कारपारेट लॉ दौरे पर भारत आए इरेमस स्कूल ऑफ लॉ, इरेमस विश्वविद्यालय, रोटरडम, नीदरलैंड के छात्र दिनांक 03.04.2014 को संस्थाकन देखने आए।
- दिनांक 04.04.2014 को विमल चंद्र लॉ कालेज, मुर्शिदाबाद के छात्र आए।
- नेपाल के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री कल्याण श्रेष्ठ के नेतृत्व में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 29.05.2014 को भारतीय विधि संस्थान का दौरा किया।
- दिनांक 14.06.2014 को दिल्ली में एलएल.एम कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया।
- न्यारयाधीन मामलों पर विचार व्यक्त करने से बचने की आवश्यकता पर दिनांक 21.06.2014 को कटक में एक संगोष्ठीय का आयोजन किया गया।
- भारतीय विधि परियाजना के नवीकरण के बारे में भूटान के मुख्यि न्यायमूर्ति माननीय ल्योवन्पोन सोनम तोब्देए से चर्चा करने के लिए प्रो0(डा0) एस. शिवकुमार ने दिनांक 26.06.2014 को भूटान के उच्चतम न्यायालय का दौरा किया।
- दिनांक 10.08.2014 को पीएच.डी. के लिए प्रवेश–परीक्षा आयोजित की गई। पीएच.डी. कार्यक्रम, 2014 में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर पांच अभ्यर्थियों का चयन किया गया।
- हुगली मोहसिन कालेज, प0 बंगाल के छात्रों ने दिनांक 27.08.2014 को संस्थान का भ्रमण किया।
- संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा/न्यूयार्क के शिक्षा के आधार के विशेष प्रतिवेदक श्री किशोर सिंह ने दिनांक 02.09. 2014 को संस्थान का दौरा किया।
- मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मनणगढ़, राजस्थान के छात्रों ने दिनांक 09.09.2014 को संस्थान का भ्रमण किया।
- दुर्गापुर विधि महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल के छात्रों ने दिनांक 15.09.2014 को संस्थान का भ्रमण किया।
- दिनांक 19–20 सितम्बर, 2014 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ मिलकर कारागार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- दिनांक 17.10.2014 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ मिलकर वृद्धाश्रमों और किशोर सुधारगृहों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- दिनांक 01.11.2014 को प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलकर धनशोधन निवारण अधिनियम के अधीन अभियोजन शिकायत विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे ने किया।
- संस्थान ने दिनांक 10.12.2014 को 'मानवाधिकारः सामयिक मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर अपने प्रथम वार्षिक विधि सम्मेलन का आयोजन किया।

- संस्थान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से दिनांक 20–21 दिसम्बर, 2014 को न्यायिक अधिकारियों के संवेदीकरण के लिए एक सम्मेरलन का आयोजन कर रहा है।

- भारतीय विधि संस्थान के संकाय सदस्यों /छात्रों के साथ बारह विशेष व्याख्यानों/चर्चाओं का आयोजन किया गया।

शोध परियोजनाएंः

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्थाओं को 'आतंकवाद से संबंधित मामलों का सार–संग्रह और एक आदर्श जांच व प्रक्रिया मैनुअल' तैयार करने की एक परियोजना सौंपी है, जिस पर कार्य चल रहा है।

- 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्याायालय में लंबित मुकदमों का अर्थ और वर्तमान स्थिति' विषय पर न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सौंपी गई परियोजना पर कार्य चल रहा है।

- केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और कानून का प्रवर्तन करने वाली अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए 'विधि के शासन की प्रमुखता' विषय पर एक माड्यूल विकसित करने की परियोजना सौंपी है।

- भारतीय विधि का पुनर्कथनः भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और भारतीय विधि संस्थान के अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष करों, संवैधानिक विधि और दंड विधि की बाबत 'भारतीय विधि के पुनर्कथन के लिए समितियां' गठित की हैं।

3. अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्रक (आईसीएडीआर)

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन दिनांक 31 मई, 1995 को पंजीकृत हुआ था। यह भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हैदराबाद और बंगलूरू में इसके क्षेत्रीय केन्द्र हैं। इसकी स्थापना विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियों को प्रोन्नत करने, उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनका प्रचार–प्रसार करने के लिए की गई है ताकि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके और न्यायालयों में लंबित मामलों का भार कम किया जा सके।

2. माध्यस्थम मामले

(i). नई दिल्ली में इस केन्द्र को अब तक माध्यस्थम के लिए 48 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें 3 अंतरराष्ट्रीय मामले और सुलह के लिए 4 मामले शामिल हैं। माध्यस्थम अधिकरणों द्वारा माध्यस्थम के 39 मामलों को निपटाया गया है और शेष 9 मामलों की सुनवाई चल रही है।

(ii). अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र को भारत सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उन मामलों में मध्यस्थों की नियुक्ति हेतु अनेक अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं जिनमें वे पक्षकार हैं। अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र भारत सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए मध्यस्थों के पैनल सुलभ कराता रहा है।

(iii). केंद्र के नई दिल्ली और हैदराबाद स्थित कार्यालयों के माध्यस्थम हालों का मामूली प्रभारों के भुगतान पर सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा प्राइवेट पक्षकारों द्वारा माध्यस्थम के मामलों का संचालन

करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के मुख्यालय भवन में अक्टूबर, 2005 से 15 दिसम्बर, 2014 तक विभिन्न मंत्रालयों और अन्य पक्षकारों के मध्यस्थों द्वारा 577 मामलों की सुनवाई की गई है और अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थों द्वारा 429 सुनवाइयां की गई हैं। इसी प्रकार, वर्ष 1999 से 15 दिसम्बर, 2014 तक हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में मध्यस्थों द्वारा 710 सुनवाइयां की गई हैं।

3. संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम/व्यायख्यान/डिप्लोमा पाठ्यक्रम

उपरिलिखित अवधि के दौरान, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ने एक अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस, मध्यवगता और वैकल्पिक विवाद समाधान में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दो संगोष्ठियां आयोजित की हैं और एडीआर(2014) तथा एफडीआर (2014) के अपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को जारी रखा है।

4. करार

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ने निम्नलिखित विदेशी संगठनों के साथ सहयोग के करार किए हैं:–

(क) जेनेवा के विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन का आरबिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर

(ख) थाई आरबिट्रेशन इंस्टीट्यूट, बैंकाक

(ग) कोरियन कामर्शियल आरबिट्रेशन बोर्ड, सियोल (कोरिया)

(घ) चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आरबिट्रेटर्स, लंदन, और

(ड.) एसोसिएशन आफ आरबिट्रेशन कोर्ट्स ऑफ उजबेकिस्तान

उपर्युक्त) करारों में तीन क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात सूचना का पारस्परिक आदान–प्रदान, कार्यवाहियों के संचालन में परस्पर सहायता करना तथा प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियों के आयोजन में एक दूसरे की सहायता करना।

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ने निम्निलिखित संगठनों के साथ भी सहयोग के ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं:–

(1) सिंगापुर इंटरनेशनल आरबिट्रेशन सेंटर के सहयोग से इंटरनेशनल काउंसिल आफ कंसल्टेंट्स (आईसीसी) और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (सीआईडीसी) के साथ संयुक्त रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान को सुदृढ़ करने हेतु कार्य करने के लिए।

(2) इंडिया सीआईएस चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली के साथ मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के तरीकों के तौर पर मध्यस्थ और मध्यस्ता को लोकप्रिय बनाने के लिए।

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ने निम्नलिखित संगठनों के साथ भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं:–

(1) वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, कोच्चि, केरल के साथ केरल में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और मध्यगता व माध्यमस्थ पर संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियां/सम्मेालन आयोजित करने तथा वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में शोध अध्ययन करने के लिए।

(2) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान, पारिवारिक विवाद समाधान में नियमित आधार पर और निकटवर्ती शिक्षा, दोनों प्रकार से स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने तथा माध्यस्थम व मध्यस्ता में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए।

(3) दामोदरम संजीवैय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएसएनएलयू), विशाखापत्तनम के साथ इस समझौता ज्ञापन के तहत, दामोदरम संजीवैय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के सहयोग से विशाखापत्तनम में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) में स्नातकोत्तर डिप्लोसमा पाठ्यक्रम (6 माह का नियमित पाठ्यक्रम) चलाएगा।

(4) अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ने जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओ0पी0 जिंदल ग्लोबल यूनीवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा (भारत) के साथ भी एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के क्षेत्र में संयुक्त रूप से विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाएगा तथा नए पाठ्यक्रमों के जरिये वैकल्पिक विवाद समाधान के शिक्षण–प्रशिक्षण व शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।

अनुलग्नक–I
(अध्याय–1 पैरा–3)
विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)
संगठन का चार्ट

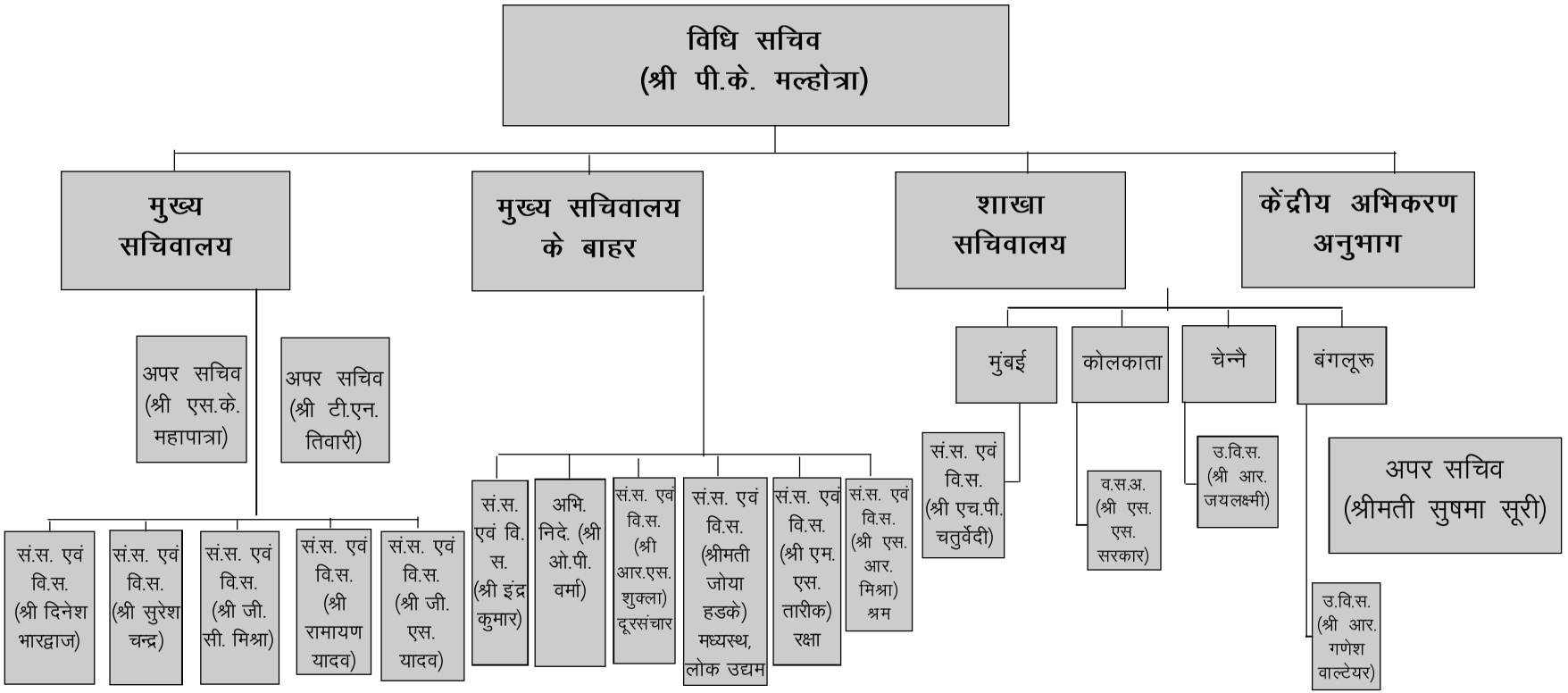

संकेत सूची

सं. स. एवं नि. स.	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
अभि. निद.	अभियोज्य निदेशक
व.स.अ.	वरिष्ठ अधिवक्ता
उ.वि.स.	उप विधि सलाहकार

अनुलग्नक–II
(अध्याय–I पैरा–4)

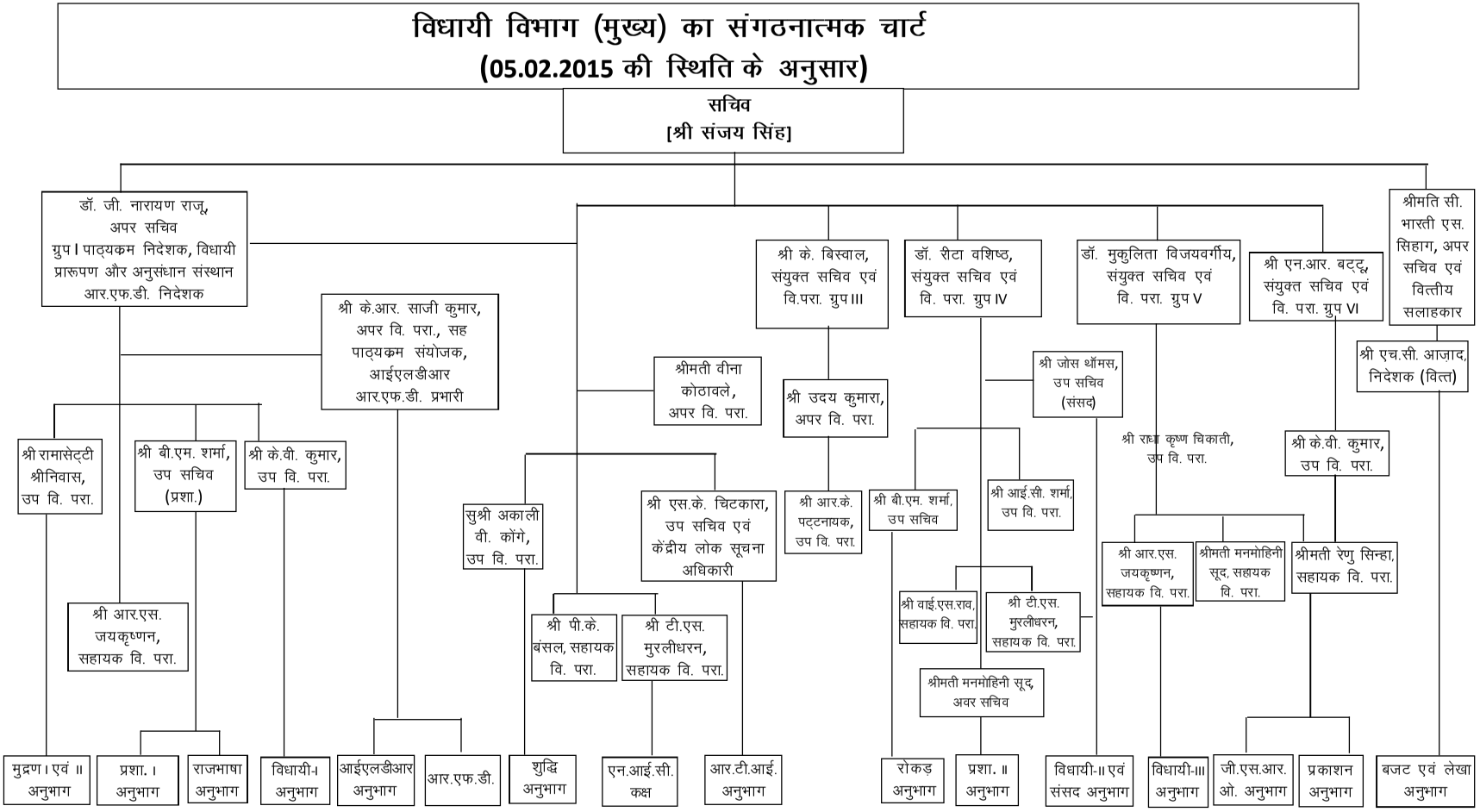

अनुलग्नक–III

(अध्याय–I पैरा 6)

न्याय विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट

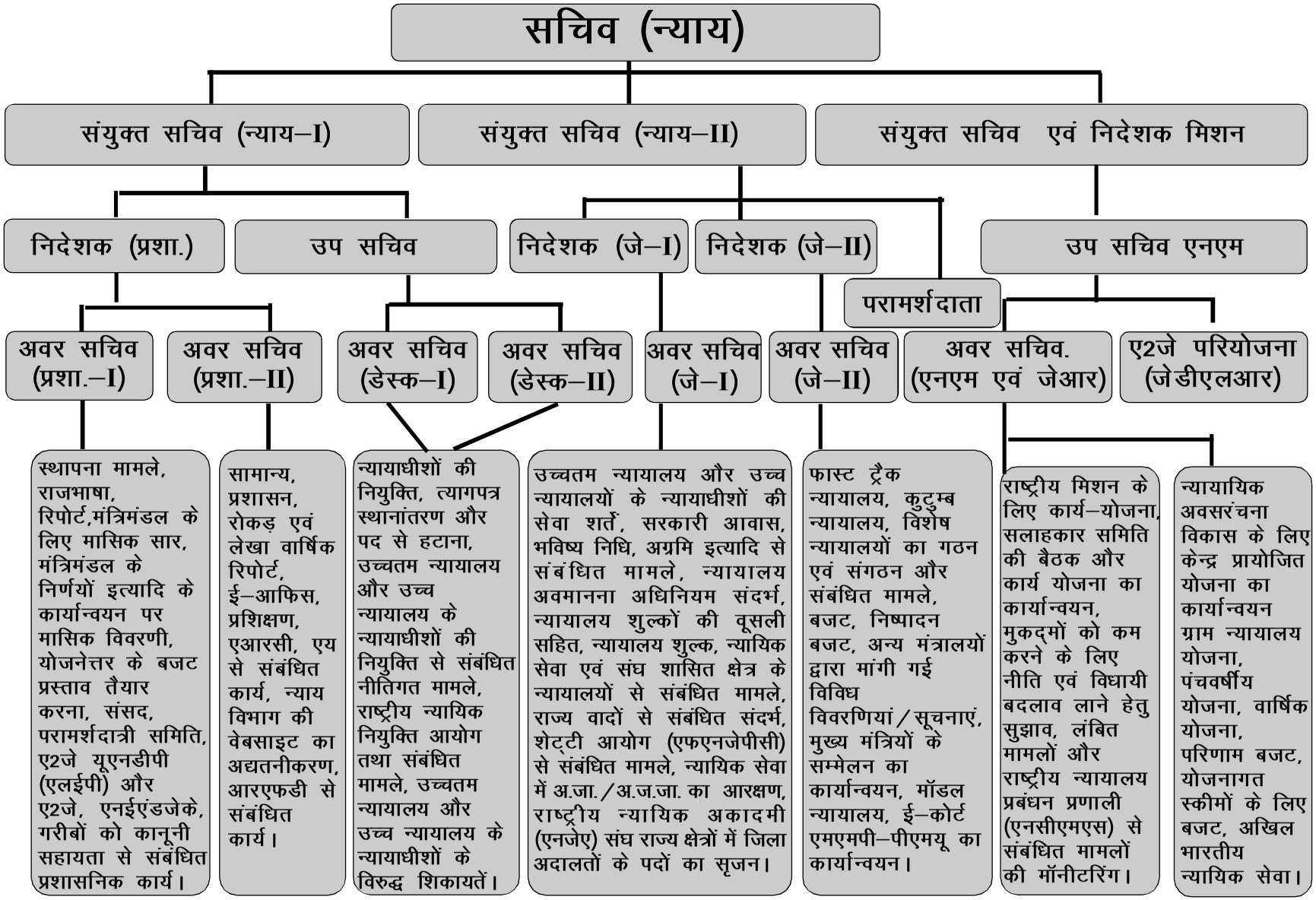

अनुलग्नक–IV
(अध्याय–II भाग – II पैरा–2)
मंत्रालय/विभाग का नाम : विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2015–16 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियों	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय–सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष राजस्व	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
	1	2	3		4		5	6	7	8
1.	न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं हेतु राज्यों को सहायता अनुदान	यह प्रावधान, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय भवनों तथा न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारी के रिहायशी परिसरों के निर्माण के लिए है।	3601	0.00	443.69	0.00	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों के रिहायशी आवासों का निर्माण।	अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का विकास न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस स्तर पर किसी परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।	इस योजना के अंतर्गत गतिविधियां पूरे वर्ष चलाई जाती हैं। तथापि, राज्य सरकारों से परामर्श करके राष्ट्रीय मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के संबंध में इस अनुदान का प्रयोग पूरे वित्त वर्ष के भीतर करना होता है।	इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा निधियों का उपयोग किया जाना उत्साहवर्धक रहा है। राज्यों ने और अधिक केन्द्रीय आबंटन की मांग रखी है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय भी अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में इस योजना के अंतर्गत हुई प्रगति की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है जिससे कि अधीनस्थग न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कठिनाइयां दूर की जा सकें।
2.	न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं हेतु विधानमंडल सहित एवं रहित संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान।									

3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	यह प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लाभ हेतु उन परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है जिनका विपथन विशिष्ट योजनागत स्कीमों को पूरा करने के लिए समुचित कार्यात्मक शीर्षों से किया जाएगा।	2552	0.00	56.30	0.00	लागू नहीं क्योंकि यह एक गैर–कार्यात्मक शीर्ष है और इस प्रकार के शीर्षों के संबंध में निर्धारित किए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समुचित कार्यात्मक शीर्षों को निधियां अंतरित करने संबंधी प्रावधान मौजूद हैं।			
4.	ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन हेतु राज्यों को सहायता	यह नागरिकों को उनके समीप ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए है।	3601	0.00	0.01	0.00	ग्राम न्यायालय अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय द्वारा स्थापित और संचालन किया जाएगा।	ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके समीप ही कम खर्च में न्याय उपलब्ध हो सकेगा।	इस योजना के तहत गतिविधियां पूरे वर्ष चलाई जाती हैं तथापि, अनुदान को राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी एवं न्यायिक सुधार मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से न्यायिक सुधारों के संबंध में संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दोरान उपयोग किया जाना होता है।	शून्य

5.	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई–न्यायालय एमएमपी चरण– I)	ई–न्यायालय परियोजना का लक्ष्य देश में स्थित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के वैश्विक कंप्यूटरीकरण द्वारा वादियों, अधिवक्ताओं और न्यायपालिका को अभिहित सेवा उपलब्ध कराना है इससे अन्य बातों के साथ–साथ मामलों का त्वरित निपटान, मामले की स्थिति से संबंधित सूचना का पारदर्शी प्रवाह सुगम हो सकेगा।	2014	0.00	2.00	0.00	14249 न्यायालयों में स्थल तैयारी तथा कंप्यूटर हार्डवेयर और लैन कनेक्टिविटी का प्रावधान, न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय स्टाफ को आईसीटी प्रशिक्षण का प्रावधान, उन स्थानों में, जहां सॉफ्टवेयर मौजूद है, में लंबित मामलों से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि सहित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं वेब आधारित एप्लीकेशन का प्रावधान।	देश में वैश्विक कंप्यूटरीकरण द्वारा वादियों, अधिवक्ताओं और न्यायपालिका को अभिहित सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरकीण तथा न्याय प्रणाली में आईसीटी की उपस्थिति बढ़ाना।	वर्ष 2007 में सरकार ने 441.80 करोड़ रु. की लागत से 2 वर्ष की अवधि में 13348 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण को अनुमोदित किया था। सितम्बर, 2010 में लागत ओर समय–सीमा में वृद्धि होने पर विचार करते हुए सीसीईएनए परियोजना लागत को संशोधित करके 935.00 करोड़ रु तथा 14249 न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की समय–सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2104 कर दिया। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 93 प्रतिशत से अधिक गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। शेष गतिविधियों को पूरा करने के लिए सरकार ने परियोजना की समय–सीमा 31 मार्च, 2015 तक बढ़ा दी है।	शून्य

6.	ई–न्यायालय एमएमपी चरण–।।	परियोजना के चरण–।। में न्यायालयों में आईसीटी की उपस्थिति और बढ़ाना शामिल है।	2014	0.00	227.13	0.00	नए न्यायालयों, डीएलएसए/टीएलसी कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण, मौजूदा न्यायालयों में अतिरिक्त हार्डवेयर, एसजेए में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं ii कनेक्टिविटी में सुधार, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईसीजेएस की तैयारी iii न्यायालय परिसरों में टच स्क्रीन और प्रिंटर सहित केन्द्रीकृत फाइलिंग केन्द्र और किओस्क iv अंकीकरण, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली ज्ञान प्रबंधन उपकरण, संवर्धित प्रबंधन और न्यायिक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली और v ई–फाइलिंग, ई–पेमेंट गेटवे और मोबाइल एप्लीकेशन, वादी–चार्टर आदि।	परियोजना के चरण–।। में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित सभी पहलों और उपायों के समय का तथा नियोजित घटकों की स्थापना से सेवा चार्टर के अंतर्गत वादियों को विविध सेवाओं का मंच उपलब्ध हो सकेगा। सेवा चार्टर जहां तक संभव हो सके परियोजना के चरण–।। को वादी सेवा केन्द्रित बनाने के संबंध में एक आधारभूत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित सेवाएं न्यायपालिका, नागरिकों, वादियों और अधिवक्ताओं सहित सभी हितधारियों को समान सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे।	ई–न्यायालय परियोजना के चरण–।। को 2764.90 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ 4 वर्ष की अवधि (पहले 3 वर्ष अवसंरचना एवं कार्यान्वयन चरण तथा चौथा वर्ष निष्पादन चरण) में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।	ई–न्यायालय परियोजना के चरण–।। के लिए प्रसताव अनुमोदनार्थ व्यय वित्त समिति को प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव पर विचार करने के लिए व्यय वित्त समित की बैठक 29 सितम्बर, 2014 को आयोजित की गई थी और सचिव (व्यय) द्वारा विधिवत अनुमोदित बैठक का कार्यवृत्त वित्त मंत्रालय से 11 नवम्बर, 2014 को प्राप्त हो गया है।

7.	न्याय तक पहुंच, भारत सरकार	यह परियोजना वंचित लोगों को न्याय की मांग करने की अपनी क्षमता विकसित करने के लिए न्याय तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है। इससे लोगों को बेहतर तरीके से सेवा उपलब्ध कराने में न्याय प्रदायिगी संगठनों को सहायता भी प्राप्त होगी।	2014	0.00	7.00	0.00	इस परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित मुख्य–मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करना हैः 'पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में लोगों की कानूनी अधिकारिता में कमियों की पहचान करने के लिए किए गए अध्ययन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना। *09एसएलएसए को प्रशिक्षित पराविधिक स्वंयसेवी और पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। देश के दो सर्वाधिक पिछड़े जिले–नागालैंड में तुनसांग और मोन के साथ–साथ विधि महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित करना ओर उन्हें सफलतापूर्वक	9 परियोजना राज्यों में अड़चनों को दूर करना तथा वंचित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाना। राज्यों में एलएसए को प्रशिक्षित पराविधिक स्वयंसेवी काडर तथा पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराकर उनकी सुदृढ़ीकरण।	5 वर्ष	शून्य

							संचालित करना *न्याय तक पहुंच परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए एसएलएसए को जनशक्ति की सहायता का प्रावधान। *परियोजना से जुड़े राज्यों में वंचित लोगों की कानूनी जागरूकता बढ़ाना। नवोन्मेषी गतिविधियां प्रारंभ करने के अतिरिक्त प्रयास सहित उपर्युक्त बातं 5 वर्षों के लिए चिहिन्त परियोजना के समग्र लक्ष्य के अनुरूप होंगी।			
8.	भारत में वंचित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच–यूएनडीपी समर्थित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना।	न्याय प्रदायगी हितधारियों सहित विविध श्रेणी के हितधारियों के बीच जमीनी तथा नीतिगत, दोनों स्तरों पर पहलों को प्रोत्साहित करना।	2014	0.00	5.00	0.00	पूरे विश्व की विधिक सहायता संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं, कानूनी अधिकारिता और बेहतर न्याय प्रदायगी का आदान–प्रदान इस उद्देश्य के साथ किया जाएगी कि उन्हें भारतीय संदर्भ में सुसंगत तरीके से अपनाया जाए। दूसरे चरण	दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना भारत और विश्व भर के अन्य देशों के साथ सूचना और ज्ञान के आदान–प्रदान में सहायता प्रदान करेगी जिससे कि निर्धन लोगों को बेहतर कानूनी सहायता पहुंचाने के संबंध में रणनीति,	5 वर्ष	शून्य

							में विधिक सहायता और विधिक अधिकारिता संबंधी पायलट परियोजना तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा जो परिमाण योग्य होंगी तथा जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त संथानों विशेषकर विधिक सेवा प्राधिकरणों में वहन करने योग्य लागत के भीतर दोहराया जा सकेगा।	दृष्टिकोण और उपकरणों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों से सीखने का अवसर प्राप्त होगा।		
9.	न्यायिक सुधार संबंधी कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन	नीतिगत पहलों के लिए कार्य अनुसंधान तथा न्यायिक सुधार उपाय, मामलों में कमी लाने के अभियान का प्रभाव देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार द्वारा संस्तुत अध्ययन भी आयोजित किए जा सकते हैं।	2014	0.00	2.50	0.00	योजना के अंतर्गत गतिविधियां न्याय प्रदायगी प्रणाली में बकायों और देरी को कम करने तथा विधिक सुधार से संबंधित अन्य क्षेत्रों के बारे में राष्ट्रीय मिशन के अधिदेश के कार्यान्वयन में सहायता हेतु राष्ट्रीय मिशन द्वारा चलाई जा सकती हैं।	अध्ययन किए जाएंगे और यह आईआईएम, आईएलआई, एनजेए,राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनामिक रिचर्स आदि जैसे संगठनों के माध्यम से कराए जा सकते हैं।	कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि प्रस्तावित गतिविधियां वस्तु–परक प्रकृति की हैं। इस योजना के अंतर्गत गतिविधियां पूरे वर्ष चलाई जाएंगी।	यह राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार मिशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

10.	राष्ट्रीय मिशन–कार्य योजना कार्यान्वनयन	भावी कार्यों की योजना संबंधी दस्ता वेज, जिस पर विभाग द्वारा आयोजित मामलों के लंबित और बकाया रहने के संबंध में न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय परामर्श के अंत में विचार किया गया, निर्णय लिया गया तथा एक संकल्प द्वारा पुष्टि की गई, में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन	2014	0.00	0.01	0.00	राष्ट्रीय मिशन में (i) नीतिगत एवं विधायी परिवर्तिनों की पहचान, (ii) पद्धतियों और न्यायालय संबंधी प्रक्रियाओं में अपेक्षित बदलाव, (iii) मानव संसाधन विकास पर ध्यान देने, (iv) बेहतर न्यायप्रदायगी के लिए सूचना एवं दूर संचार प्रौद्योगिकी और उनसे संबंधित उपस्कऔरों के प्रयोग और (v) जिला एवं अधीनस्थ न्याय पालिका में अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए अनेक रणनीतिक पहलें की हैं।	राष्ट्रीय मिशन का जोर देश में न्याय प्रदायगी में विलंब और बकाया रहने का कम करने तथा अन्य न्यायिक सुधारों के लिए रणनीतियां तैयार करने पर है।	कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। गतिविधियां पूरे वर्ष चलाई जाती हैं। कार्यकलापों में विभिन्न स्टेक होल्डिरों से परामर्श, न्यायिक सुधारों के विभिन्न आयामों में अध्ययन प्रारंभ करना शामिल हैं।	कार्य योजना राष्ट्रीय मिशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय मिश–कार्य योजना कार्यान्वयन अब अपेक्षित नहीं है क्योंकि उसके स्थान पर यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित केन्द्र स्थल पर एक तकनीकी सहायता सेल स्थापित की गई है और इसलिए बजट अनुमान 2015–16 में केवल सांकेतिक राशि का प्रस्ताव किया गया है।
11.	कुटुम्ब न्यायालय (योजनेत्तर)	यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुटुम्ब न्यायालयों के चालू खर्च के लिए किया गया है।	3601	5.00	0.00	0.00	कुटुम्ब न्यायालयों का चालू खर्च	विवाह संबंधी विवादों का त्वरित निपटान।	उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रतिवर्ष निधियां जारी की जाती हैं जिसके न होने पर निधियों को जारी करने में विलंब होता है।	राज्य सरकारों द्वारा निधियों का उपयोग किया जाता है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नही करने/विलंब से करने/गलत प्रस्तुत करने के कारण निधियों को जारी करने में विलंब होता है।

अनुलग्नक– V

(अध्याय–II, भाग–II, पैरा–2)

वर्ष 2012–13 के लिए न्याय विभाग की योजनागत/योजनेतर स्कीमों के संबंध में लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिमाणपरक सुपुर्दगियां	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाएं	यह प्रावधान न्यायालय भवनों तथा न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए है	न्यायालया भवनों तथा न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के रिकायशी आवासों का निर्माण	वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 895.00 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई है। वर्ष 2014–15 के दौरान 28 फरवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार 936.00 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है। 07 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की अधीनस्थ न्यायालयों में पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिला और राज्य समितियों की रिट याचिका (सी) संख्या 1989 की 1022 में आईए सं. 279 में सृजित तंत्र को एक स्थायी व्यवस्था बनाया जाए तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश न्यायालय भवनों और आवासों में अवसंरचना के सृजन, उपलब्धता, अनुरक्षण ओर विकास से संबंधित प्रस्ताव को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए उक्त तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करें। इस मामले में राज्य सरकारें उच्च न्यायालयों की सहायता करेंगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें प्राथमिकता के आधार पर न्यायालय परिसरों और रिहायशी क्वार्टरों के उद्देश्य से पर्याप्त और उचित भूमि/स्थल आबंटित करेगी।
2	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई–न्यायालय एमएमपी चरण– I)	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों सहित देश के सभी न्यायालयों में न्यायपालिका के स्वचालित इलेक्ट्रानिक निर्णय सहायता प्रणाली को उपलब्ध कराने के लिए जिससे अन्य बातों के साथ–साथ मामलों का त्वरित निपटान, मामले की स्थिति से संबंधित सूचना का पारदर्शी प्रवाह सुगम हो सकेगा।	14249 न्यायालयों में स्थल तैयारी तथा कंप्यूटर हार्डवेयर और लैन कनेक्टिविटी का प्रावधान, न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय स्टाफ को आईसीटी प्रशिक्षण का प्रावधान, उन स्थानों में, जहां सॉफ्टवेयर मौजूद है, में लंबित मामलों से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि सहित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं वेब आधारित एप्लीकेशन का प्रावधान।	(क) 28 फरवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार चरण– I के अंतर्गत 93 प्रतिशत से अधिक क्रियाकलाप पूरे हो चुके हैं। कंप्यूटरीकरण के लिए सभी 14249 न्यायालय (100 प्रतिशत) के स्थल तैयार कर लिए गए हैं। 13606 न्यायालयों (95.49 प्रतिशत) में लैन, 13436 न्यायालयों (94.3 प्रतिशत) में हार्डवेयर तथा 13323 न्यायालयों (93.50 प्रतिशत) में साफ्टवेयर लगाए गए हैं। (ख) 31 अक्तूबर, 2014 की स्थिति के अनुसार 24 उच्च न्यायालयों मे से 21 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित 3.92 करोड़ से अधिक मामलों तथा 60 लाख से अधिक आदेश/निर्णय से संबंधित जानकारी एनजेडीजी पर अपलोड की गई है। (ग) ई–न्यायालय पोर्टल (http://www-ecourts.gov.in) वादियों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराती है और वर्तमान में वादी, 11000 से अधिक न्यायालयों में 03 करोड़ से अधिक लंबित मामलों तथा निर्णीत मामलों की स्थिति जान सकते हैं।

3	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई–न्यायालय एमएमपी चरण–।।)	चरण–।। से डॉकेट के मामलों के ऊपर बेहतर नियंत्रण में न्यायालयों को सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार से परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित सेवाओं से न्यायपालिका, वादियों ओर अधिवक्ताओं सहित सभी हितधारियों की जरूरतें पूरी होंगी। आईसीटी के लागू होने से न्यायालयों का कार्यकरण दक्ष और पारदर्शी बनेगा जिसका समग्र सकारात्मक प्रभाव न्याय प्रदायगी प्रणाली पर पड़ेगा।	परियोजना चरण–।। के परिणामस्वरूप सेवा चार्टर के अंतर्गत वादियों को विविध सेवाओं का एक मंच प्राप्त होगा। इन सेवाओं में अन्य बातों के साथ–साथ चरण–। में की गई सुविधाएं मामला पंजीकरण, सुनवाई सूची, मामले की दैनिक स्थिति तथा अंतिम आदेश/निर्णय को अपलोड किया जाना शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त मामलों की ई–फाइलिंग, न्यायालय शुल्क का ई–भुगतान, ई–मेल तथा हैंड हैल्ड उपकरणों से युक्त प्रोसेस सर्वरों के माध्यम से सेवा संबंधी कार्रवाई, डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित निर्णयों की प्रतियां कुछ ऐसी सेवाएं हैं कि जो चरण–।। में शामिल की जाएंगी। सेवा चार्टर जहां तक संभव हो सके परियोजना के दूसरे चरण को वादी सेवा केन्द्रित बनाने के संबंध में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।	उच्चतम न्यायालय की ई–समिति द्वारा अनुमोदित नीतिगत दस्तावेज के आधार पर न्याय विभाग ई–न्यायालय चरण–।। परियोजना तैयार कर रहा है। ई–न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण–।। के लिए प्रस्ताव व्यय वित्त समिति को उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर विचार करने के लिए व्यय वित्त समिति की बैठक 29 सितम्बर, 2014 को आयोजित की गई और सचिव व्यय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित बैठक का कार्यवृत्त वित्त मंत्रालय से 11 नवम्बर, 2014 को प्राप्त हो गया है।
4.	ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन हेतु राज्य सरकारों को सहायता।	यह प्रावधान ग्राम न्यायालय की स्थापना और उनके संचालन के संबंध में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के वहन हेतु है।	यह अधिनियम वर्ष 2009 में अधिसूचित और दिनांक 2 अक्तूबर, 2009 को लागू हुआ।	अब तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र , कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और गोवा राज्यों में कुल 194 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए जिनमें 159 कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान आवर्ती और अनावर्ती व्यय के संबंध में उपर्युक्त राज्यों को 500 लाख रु. की धनराशि संवितरित की गई है। वर्ष 2014–15 में 3.00 करोड़ रु. संवितरित किए गए।
5	कार्य अनुसंधान और न्यायिक सुधार संबंधी अध्ययन	नीतिगत पहलों और न्यायिक सुधार संबंधी उपायों, लंबित रहने में कमी करने संबंधी अभियानों आदि के प्रभाव का कार्य अनुसंधान किया जा सकता है। राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार संबंधी मिशन द्वारा संस्तुत अध्ययन भी आयोजित किए जा सकते हैं।	न्याय प्रदायगी प्रणाली में बकाया और विलंब रहने में कमी लाने तथा विधिक सुधार संबंधी अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन के अधिदेश के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा इस योजना के तहत गतिविधियां चलाए जाने की संभावना है।	यह योजना राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार मिशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

6	न्याय तक पहुंच, भारत सरकार	यह परियोजना वंचित लोगों को न्याय की मांग करने की अपनी क्षमता विकसित करने के लिए न्याय तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है। इससे लोगों को बेहतर तरीके से सेवा उपलब्ध कराने में न्याय प्रदायिगी संगठनों को सहायता भी प्राप्त होगी।	इस परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित मुख्य–मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करना है: *पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में लोगों की कानूनी अधिकारिता में कमियों की पहचान करने के लिए किए गए अध्ययन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना। *09एसएलएसए को प्रशिक्षित पराविधिक स्वंयसेवी और पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। देश के दो सर्वाधिक पिछड़े जिले–नागालैंड में तुनसांग और मोन के साथ–साथ विधि महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित करना ओर उन्हें सफलतापूर्वक संचालित करना *न्याय तक पहुंच परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 9एसएलएसए को जनशक्ति की सहायता का प्रावधान। *परियोजना से जुड़े राज्यों में वंचित लोगों की कानूनी जागरूकता बढ़ाना। नवोन्मेषी गतिविधियां प्रारंभ करने के अतिरिक्त प्रयास सहित उपर्युक्त बातें 5 वर्षों के लिए चिहिन्त परियोजना के समग्र लक्ष्य के अनुरूप होंगी।	(1) नागालैंड के 2 सर्वाधिक पिछड़े जिले–तुमसान और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिकों की स्थापनाः नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नागालैंड के सर्वाधिक अंदरूनी एवं सुदूर जिलों–तुनसांग और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित करेगा। दोनों जिलों में जनजातीय लोग रहते हैं विधिक सहायता क्लीनिक से विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के बीच कानूनी जागरूकता फैलेगी। इसके अतिरिक्त एक निःशुल्क कानूनी सहायता केन्द्र होने के नाते इससे मध्यस्थता/लोक अदालतों के माध्यम से समुदायिक विवाद का निपटान करने में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर ग्राम परिषदों/गांव बूरा/डीबी जैसे पारंपरिक न्यायिक निकायों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने तथा कानून के छात्रों, पैनल अधिवक्ताओं, पराविधिक स्वयंसेवियों और गैर–सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करके स्थानीय संसाधन सृजित करने में सहायता प्राप्त होगी। इस परियोजना की अवधि दो वर्ष है। इससे 242 गांवों में रहने वाले लगभग 4 लाख 50 हजार लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। (2) लोगों के विधिक सशक्तिकरण में कमियों की पहचान करने के लिए आवश्यकता आकलन अध्ययनः यह अध्ययन शिलांग मेघालय के इंपल्स एनजी नेटवर्क द्वारा कराया गया था। यह लोगों विशेष रूप से निर्धन वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों, जिनके पास अपने अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साधन मौजूद नहीं हैं, के विधिक सशक्तिकरण में कमियों की पहचान करने हेतु एक क्षेत्र आधारित अध्ययन था। इसका लक्ष्य उनके विधिक सशक्तिकरण में उन अड़चनों और कमियों की पहचान करना था जो न्याय तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा न्याय प्रदायिगी प्रणालियों की सेवा करने की क्षमता बेहतर बनाने, उनकी आकलन करना तथा निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों के विधिक सशक्तिकरण के एक प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में सहायता प्रदान करना भी था। (3) 8 पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक कल्याण विधायनों पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के पराविधिक स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण। यह गतिविधि ओडिशा में स्थित एक सिविल सोसाइटी संगठन कमेटी फॉर लीगल एड टू पुअर द्वारा चलाई जा रही है। यह समिति असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड से 400 पराविधिक स्वयंसेवियों (प्रत्येक राज्य से 50) को प्रशिक्षित करेगी। पराविधिक स्वयं सेवियों को अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण विधानों, योजनाओं, कार्यक्रमों, न्यायिक प्रक्रियाओं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, कानूनी सेवा की जानकारी दी जाएगी। सभी राज्यों में प्रशिक्षण का एक सैट पूरा हो चुका है। पुनश्चर्या प्रशिखण दिसम्बर, 2014 से आरंभ होगी।

				(4) जम्मू एवं कश्मीर में आवश्यकता आकलन अध्ययन यह अध्ययन कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के वंचित लोगों के विधिक सशक्तिकरण में कमियों की पहचान करने के लिए आयोजित किया गया था। विश्वविद्यालय में परियोजना पर अपना कार्य फिर से आरंभ कर दिया है जो बीच में बाढ़ के कारण रूक गया था। अभिमुखीकरण संबंधी बैठक 11 दिसम्बर, 2014 को विधि विभाग में आयोजित की गई थी जिसमें न्याय विभाग के परियोजना प्रबंधन दल ने भी भाग लिया था। विधि विभाग का दल वर्तमान में अध्ययन के आयोजन हेतु प्रश्नावलियां तैयार कर रहा है तथा क्षेत्रों की पहचान कर रहा है। (5) जम्मू एवं कश्मीर में विधिक सहायता क्लीनिकों की सहायता इस परियोजना से कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विधिक सहायता क्लीनिक को सहायता भी दी जा रही है। विश्वविद्यालय में इस परियोजना पर कार्य आरंभ कर दिया है, कई सुपुर्दगी योग्य कार्य पूरे हो चुके हैं, अनुसंधान परियोजनाओं तथा विधिक साक्षरता शिविरों पर कार्य आरंभ किया गया है। इस परियोजना के लिए अभिमुखीकरण बैठक 11 दिसम्बर, 2014 को आयोजित की जा चुकी है। (6) 9 राज्यों में एक परियोजना दल की नियुक्ति के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जनशक्ति संबंधी सहायता प्रदान करनाः सभी 9 परियोजना राज्यों में 2 विशेषज्ञों (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) के एक दल की नियुक्ति की जा रही है ताकि राज्यों के स्तर पर न्याय तक पहुंच (पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर) परियोजना के क्रियाकलापों का समन्वय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की सेवा की जा सकती है। असम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए नियुक्तियां कर ली गई हैं तथा शेष राज्यों के लिए नियुक्ति संबंधी कार्य जनवरी, 2015 में पूरा कर लिया जाएगा।
7	भारत में वंचित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच –यूएनडीपी समर्थित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना।	न्याय प्रदायगी हितधारियों सहित विविध श्रेणी के हितधारियों के बीच जमीनी तथा नीतिगत, दोनों स्तरों पर पहलों को प्रोत्साहित करना।	पूरे विश्व की विधिक सहायता संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं, कानूनी अधिकारिता और बेहतर न्याय प्रदायगी का आदान–प्रदान इस उद्देश्य के साथ किया जाएगी कि उन्हें भारतीय संदर्भ में सुसंगत तरीके से अपनाया जाए। दूसरे चरण में विधिक सहायता और विधिक अधिकारिता संबंधी पायलट परियोजना तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा जो परिमाण योग्य होंगी तथा जिन्हें सरकार से सहायता	(1) झारखंड छत्तीसगढ़ में कियोस्कों की स्थापना–झारखंड और छत्तीसगढ़ में 50 स्थलों में आवाज आधारित 50 सूचना कियोस्क स्थापित किए गए हैं। ये कियोस्क मुख्यतः दोनों राज्यों में जिला न्यायालयों के परिसरों अथवा डीएलएसए में स्थापित किए गए हैं। इन कियोस्कों से 31408 व्यक्तियों को कानूनी सूचना मिल सकी है तथा उन्हें विभिन्न अधिकारों और हकदारी संबंधी मुद्दों की जानकारी भी दी गई है। (2) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में विधिक साक्षरता संबंधी सामग्री शामिल करनाः ग्रामीण वाद एवं हकदारी केन्द्र (आरएलईके) को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, उ.प्र. के लिए हिंदी में विधिक साक्षरता से संबंधित दो प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। इन मॉड्यूलों के तैयार हो जाने के पश्चात ग्रामीण वाद एवं हकदारी केन्द्र, एनएलएम द्वारा संचालित एसआरसी, मध्य प्रदेश के 78 महत्वपूर्ण संबंधित व्यक्तियों के साथ–साथ एसआईआरडी, लखनऊ, उ. प्र.

			प्राप्त संथानों विशेषकर विधिक सेवा प्राधिकरणों में वहन करने योग्य लागत के भीतर दोहराया जा सकेगा।	के 120 संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करेगा। आरएलईके ने एनएलएमए महत्वूपर्ण संबंधित व्यक्तियों के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल तथा एसआईआरडी, उ.प्र. के संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल पहले ही तैयार कर लिया गया है। एनएलएमए और एसआईआरडी ने अपनी चल रही गतिविधियों ने संबंधित प्रशिक्षण मैनुअलों को शामिल कर लिया है। आरएलईके ने एसआईआरडी, उ.प्र. के संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया तथा 116 संकाय सदस्यों को विभिन्न कानूनी विषयों और मुद्दों पर प्रशिक्षित किया। इस संगठन ने एनएलएमए के महत्वपूर्ण संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया तथा 64 महत्वपूर्ण संबंधित व्यक्तियों को कानूनी साक्षरता में प्रशिक्षित किया। (3) ओडिशा में पराविधिक स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण परियोजना के पिछले चरण के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताई गई एक आवश्यकता पराविधिक स्वयंसेवियों को तैयार करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करने से संबंधित थी। व्यक्त की गई इस आवश्यकता के आधार पर एक एसएलएसए के लिए पीएलवी को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य को करने के लिए पहले राज्य के रूप में ओडिशा का चयन किया गया। एक गैर सरकारी संगठन कमेटी फॉर लीगल एड द पुअर को पराविधिक प्रशिक्षण में सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ ओडिशा के 04 जिलों में पीएलवी को प्रशिक्षित करने के लिए चयनित किया गया। संगठन ने पराविधिक स्वयंसेवी सुविधा निर्देशिका तैयार की है तथा 278 पराविधिक स्वयंसंवियों को प्रशिक्षित किया है। (4) ओडिशा में पैनल अधिवक्ताओं का प्रशिक्षणः पीएलवी को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त किसी प्रकार की एक आवश्यकता एनएएलएसए द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण को लेकर व्यक्त की गई। एक अन्य गैर–सरकारी संगठन–मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप का चयन ओडिशा में पैनल अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉडल तैयार करने तथा डीएलएसए के पैनल में शामिल 100 अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया। मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप ने पेनल अधिवक्ता प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है तथा ओडिशा के 5 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 67 डीएलएसए पेनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित किया है। (5) महाराष्ट्र और ओडिशा में विधिक सेवा क्लीनिक आरंभ करना–टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंसेज मुम्बई ने वंचित लोगों को नि/शुल्क कानूनी सहायता सेवा उपलब्ध कराने के लिए टीआईएसएस कैम्पस में एक विधिक सेवा क्लीनिक की स्थापना की है। इस विधिक सेवा क्लीनिक से सितम्बर, 2014 में इसकी स्थापना के बाद से 63 मामलों में सहूलियत प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ओडिशा ने भी वंचित लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा उपलब्ध कराने के लिए ओडिशा के 03 जिलों में 03 विधिक सहायता क्लीनिकों

				की स्थापना की है। नवम्बर, 2014 में इनकी स्थापना के बाद से इन क्लीनिकों के माध्यम से 183 मामलों में कानूनी सहायता प्रापत हो सकी है। (6) झारखंड में समान सेवा केन्द्र नेटवर्क के प्रयोग द्वारा कानूनी जानकारी – अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट की भागीदारी से यह परियोजना झारखेड के 03 जिलों में सीएससी नेटवर्कों के प्रयोग से एक विधिक जानकारी संबंधी परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इस परियोजना से 19034 लोगों को उनके विभिन्न अधिकारों और हकदारियों की जानकारी मिल सकी है तथा 1900 मामलों में सहायता प्राप्त हुई है। (7) ओडिशा में वन अधिकार अधिनियम के बारे में कानूनी जानकारी अंत्योदय के सहयोग से एक परियोजना द्वारा कालाहांडी जिला, ओडिशा के जनजातीय लोगों को उनके वन अधिकारों और अधिकारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 180 सामुदायिक अधिकार स्वयंसेवी तैयार किए गए हैं तथा 13534 जनजातीय लोगों को वन अधिकार अधिनियम के उपबंधों की जानकारी दी गई है। इस परियोजना से 910 पात्र मामलों में अपने अधिकारों और हकदारियों के बारे में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने में सहायता मिली है। (8) न्यायालय कक्षों को महिलाओं के सम्मान के अनुरूप बनाना – पार्टनर और लॉ एंड डेवलपमेंट का चयन दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालयों में अध्ययन करने हेतु चयन किया गया है ताकि यह आकलन किया जा सके कि न्यायालय की प्रक्रिया कितनी महिला हितैषी हैं। इस पायलट अध्ययन से महिलाओं के प्रति संवेदनशील तथा यौन हिंसक के प्रतिकूल प्रक्रियाओं की पहचान करने के उद्देश्य से बलात्कार के मामलों में न्यायालय कक्ष की प्रक्रियाओं को महिलाओं के सम्मान की दृष्टि से जांच की जाएगी। इस परियोजना का समग्र उद्देश्य यह जांच करना है कि बलात्कार के विचारण में न्यायालय कक्ष की परम्परा इस सीमा तक विधि एवं न्याय द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करती है तथा यह देखे कि न्यायालय के बेहतर कार्यकरण और पीड़ितों की सहायता के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से आदर्श प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए। इस अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट मार्च, 2015 में प्राप्त हो जाने की संभावना है। (9) प्रशिक्षित संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवियों की सेवाओं के साथ ओडिशा एसएलएसए/बीएलएसए–जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 11 कुशल विधिक संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवियों की सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। (10) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समुदाय स्तर पर विधिक जानकारी संबंधी पहल–राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, उ.प्र. के सहयोग से यह परियोजना अक्तूबर,

				2014 से उ.प्र. के बाराबंकी जिले में समुदाय स्तर पर विधिक जानकारी संबंधी एक परियोजना क्रियान्वित कर रही है। इसी प्रकार से भारत ज्ञान विज्ञ समिति सितम्बर, 2014 से मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में समुदाय स्तर पर विधिक जानकारी संबंधी एक परियोजना क्रियान्वित कर रही है। दोनों परियोजनाएं अभी आरंभिक चरण में हैं और वास्तविक कार्यान्वयन अगले वर्ष से आरंभ होगा। (11) परियोजना के दायरे में वृद्धि संबंधी पहल इस परियोजना के तहत ओडिशा में पीएलवी और पैनल अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण संबंधी पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात अन्य राज्यों में कुछ एक गतिविधियां शुरू की गई हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश में 200 पीएलवी को प्रशिक्षित करने के लिए सेंटम लर्निंग लिमिटेड तथा महाराष्ट्र में 200 पीएलवी को प्रशिक्षित करने के लिए युवा रूरल एसोशिएसन को ठेके दिए गए हैं। ओडिशा में 100 डीएलएसए पैनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित करने का ठेका टूआर्डस एक्शन एंड लर्निंग को दिया गया है। सभी तीन परियोजनाएं अभी आरंभिक चरण में हैं तथा वास्तविक कार्यान्वयन अगले वर्ष से आरम्भ होगा। (12) विधि विद्यालयों में विधिक शिक्षा एवं विधिक सहायता क्लीनिक के सुदृढ़ीकरण के संबंध में राष्ट्रीय परामर्श– 11–12 जनवरी, 2014 को कटक में एक राष्ट्रीय सतर परामर्श सत्र का आयोजन किया गया जिसमें स्टेट–वार एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया तथा विधि विद्यालयों में विधिक शिक्षा एवं विधिक सहायता क्लीनिकों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता व्यक्त की। (13) राष्ट्रीय न्यायिक संस्थान, ओटावा, कनाडा का दौरा करने वाले प्रतिनिधियों के साथ डी–ब्रीफिंग सत्र–नवम्बर, 2013 माह में राष्ट्रीय एवं राज्य न्यायिक अकादमियों, न्याय विभाग और यूएनडीपी के निदेशकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय न्यायिक संस्थान, ओटावा, कनाडा में एक सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। नवीन जानकारी संबंधी इस दौरे के पश्चात राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल मे 23 जनवरी, 2014 को एक डी–ब्रीफिंग सत्र का आयोजन किया गया। डी–ब्रीफिंग रिपोर्ट को अनितम रूप दे दिया गया है और इसे सभी प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया है।
8.	राष्ट्रीय मिशन–कार्य योजना कार्यान्वीयन	भावी कार्यों की योजना संबंधी दस्तावेज, जिस पर विभाग द्वारा आयोजित मामलों के लंबित और बकाया रहने के संबंध में न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय परामर्श के अंत में विचार	राष्ट्रीय मिशन में (i) नीतिगत एवं विधायी परिवर्तनों की पहचान, (ii) पद्धतियों और न्यीायलय संबंधी प्रक्रियाओं में अपेक्षित बदलाव, (iii) मानव संसाधन विकास पर ध्यान देने, (iv) बेहतर न्यायप्रदायगी के लिए सूचना एवं दूर संचार	राष्ट्रीय मिशन में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। अब तक राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार मिशन की सलाहकार परिषद की सात बैठकों का आयोजन हो चुका है तथा वर्ष 2014–15 के दौरान इस प्रकार की दो बैठकें आयोजित की गई थीं। सलाहकार परिषद ने नए प्रदायगी प्रणाली को बेहतर बनाने, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए, मामलों के त्वरित निपटान तथा न्यायिक एवं विधिक सुधार के क्षेत्रों में भी अनेक सिफारिशें की हैं। यह सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

		किया गया, निर्णय लिया गया तथा एक संकल्प द्वारा पुष्टि की गई, में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन	प्रौद्योगिकी और उनसे संबंधित उपस्करों के प्रयोग और (v) जिला एवं अधीनस्थ न्याय पालिका में अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए अनेक रणनीतिक पहलें की हैं।	
9	कुटुम्ब न्यायालय (योजनेतर)	कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना विवाह और पारिवारिक मामलों तथा उनसे संबंधित मुद्दों में सुलह कराने तथा विवादों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।	स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों तथा निपटाए गए मामलों की संख्या।	प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 410 कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए हैं।
10	विधिक सहायता (एनएएलएसए) (योजनेतर)	विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी ओर मूल्यांकन करना तथा अधिनियम के अंतर्गत विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करना।	(i) पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क तथा सही विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। (ii) विवादों के मैत्रीपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालते आयोजित करना। (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करना।	01 अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 की अवधि के दौरान 76557 लोक अदालतें आयोजित की गईं। इन लोक अदालतों ने 34.37 लाख से अधिक मामलों को निपटाया। मोटरवाहन दुर्घटना दावे से संबंधित 46768 मामलों का निपटान तथा 894.85 करोड़ रु. के मुआवजे का निर्णय दिया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों तक पूरे देश में स्थित सभी न्यायालयों में मामलों के निपटान के लिए दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत 6.12.2014 को एनएएलएसए के तत्वाधान में आयोजित किया गया। उच्चतम न्यायालय से तालुक न्यायालयों तक की लोक अदालत पीठों ने सफलतापूर्वक सुनवाई की और भारी संख्या लंबित मामलों को निपटाया जिससे देशभर में औसतन लंबित रहने वाले मामलों में लगभग 9 प्रतिशत की कमी आई।

अनुलग्नक–VI
कृपया अध्याय – V देखें
कार्य कर रहे कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	दिनांक 31/12/2014 की स्थिति के अनुसार राज्यों में कार्य कर रहे कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	27
2	अरुणाचल प्रदेश	–
3	असम	03
4	बिहार	33
5	छत्तीसगढ़	20
6	दिल्ली	15
7	गोवा	–
8	गुजरात	17
9	हरियाणा	06
10	हिमाचल प्रदेश	–
11	जम्मू एवं कश्मीर	–
12	झारखंड	21
13	कर्नाटक	24
14	केरल	28
15	मध्य प्रदेश	31
16	महाराष्ट्र	25
17	मणिपुर	04
18	मेघालय	–
19	मिजोरम	04
20	नागालैंड	02
21	ओडिशा	17
22	पंजाब	–
23	पुडुचेरी	01
24	राजस्थान	28
25	सिक्किम	02
26	तमिलनाडु	14
27	त्रिपुरा	03
28	उत्तर प्रदेश	75
29	उत्तराखंड	08
30	पश्चिम बंगाल	02
	कुल	**410**

अनुलग्नक–VII
(कृपया अध्याय–V देखें)
अनुदान सं0 64 –विधि और न्याय

(राशि करोड़ रु0 में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान 2014–15			दिसम्बर, 2014 तक बुक किया गया व्यय			व्यय, बजट अनुमान के % रूप में		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
''2014''– न्याय प्रशासन		2			3			4	
''2015''–निर्वाचन	197.00	140.78	337.78	6.91	158.99	165.90	3.51	112.94	49.11
''2020''–आय और व्यय पर करों का संग्रहण	0.00	400.50	400.50		646.02	646.02	0.00	161.30	161.30
''2052''–सचिवालय सामान्य सेवाएं	0.00	50.40	50.40		53.49	53.49	0.00	106.13	106.13
''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	94.71	94.71		76.01	76.01	0.00	80.26	80.26
''2552''–पूर्वोत्तर के राज्यों को सहायता अनुदान	0.00	11.06	11.06		16.98	16.98	0.00	153.53	153.53
''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	110.00	0.00	110.00			0.00	0.00	0.00	0.00
''3602'' संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	756.00	5.00	761.00	895.00	5.00	900.00	118.39	100.00	118.27
''4070'' अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	40.00	0.00	40.00			0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग मुख्य शीर्ष	0.00	10.02	10.02		1.06	1.06	0.00	10.58	10.58
''2014''– न्याय प्रशासन	1103.00	712.47	1815.47	901.91	957.55	1859.46	81.77	134.40	102.42

अनुलग्नक–VIII (कृपया अध्याय–V देखें)
दिनांक 28.02.2015 की स्थिति के अनुसार लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र

(करोड़ रु. में)

राज्य		न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना के संबंध में देय और लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र की धनराशि	ग्राम न्यायालय योजना के संबंध में देय और लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र की धनराशि
		केन्द्रीय अंशदान	
1	आंध्र प्रदेश	63.9300	
2	बिहार	0.9065	–
3	छत्तीसगढ़	1.3200	–
4	गोवा	1.2587	0.2520
5	केरल	4.9095	0
6	ओडिशा	39.5000	1.2640
7	राजस्थान	2.6087	2.4300
8	पश्चिम बंगाल	0.0000	0
9	तमिलनाडु	0.9790	0
10	उत्तराखंड	0.0000	0
11	कर्नाटक	0.0000	0.2520
12	महाराष्ट्र	0.0000	1.5800
13	झारखंड	0.0000	0.7560
14	पंजाब	0.0000	0.2520
15.	हरियाणा	0.0000	0.2191
1.	मध्य प्रदेश	1.7800	0
	कुल–राज्य	**117.1924**	**7.0051**
पूर्वोत्तर राज्य			
1	सिक्किम	5.4950	–
2	असम	58.4490	–
	कुल–पूर्वोत्तर राज्य	**63.944**	
संघ राज्य क्षेत्र			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.2686	–
2	पुडुचेरी	4.2059	–
3	दादरा एवं नगर हवेली	5.0000	–
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	42.5000	–
5	लक्षद्वीप	0.1176	–
6	चंडीगढ़	14.2325	–
7	दमण एवं दीव	0.5873	–
	कुल–संघ राज्य क्षेत्र	**68.9119**–	
कुल योग		**250.0483**	**7.0051**

व्यय का विवरण 2014–15 – दिसम्बर, 2014 तक
व्यय का यूनिटवार और विषयवार ब्यौरा

राजस्व, खंड : (वास्तविक धनराशि)

विषय शीर्ष	इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय में व्यय (12/14 तक)	इस मंत्रालय द्वारा की गई राशि1	प्राधिकृत राशि की तुलना	कुल व्यय द्वारा प्राधिकृत
मुख्य शीर्ष 2014– न्याय प्रशासन				
00.114–विधि सलाहकार और परामर्शी– लघु शीर्ष				
07– विधि कार्य विभाग				
मजदूरी	867,620			867,620
कार्यालय व्यय	4,156,147			4,156,147
व्यावसायिक सेवाएं	207,745,164			207,745,164
योग– 114	**212,768,931**	**0**	**0**	**212,768,931**
मुख्य शीर्ष 2014– न्याय प्रशासन				
00.118 – जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूरटरीकरण				
01 – ई–न्यायालय				
सूचना प्रौद्योगिकी				
अन्य प्रभार	1,900,000	97,007,608	25,592,653	27,492,653
योग – 118	**1,900,000**	**97,007,608**	**25,592,653**	**27,492,653**
मुख्य शीर्ष 2014–न्याय प्रशासन				
00.800 –अन्य व्यय – लघु शीर्ष				
02 – राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी				
सहायता अनुदान	67,500,000			67,500,000
05 – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण				
सहायता अनुदान	826,542,296			826,542,296
11 – साजी, न्याय विभाग				
व्यावसायिक सेवाएं	26,702,224			26,702,224
अन्य प्रभार	2,301,627			2,301,627
17– न्याय प्रदायन एवं विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन–न्याय तक पंहुच –भारत सरकार				
घरेलू यात्रा व्यय	784,847			784,847

कार्यालय व्यय	595,695			595,695
अन्य प्रशासनिक व्यय	7,438			7,438
सहायता अनुदान	9,219,701			9,219,701
अन्य व्यय	4,766,758	26,495		4,766,758
योग – 800	**938,420,586**	**26,495**	**0**	**938,420,586**
योग मुख्य शीर्ष – 2014	**1,153,089,517**	**97,034,103**	**25,592,653**	**1,178,682,170**
मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन				
लघु शीर्ष	**12/14 तक व्यय**			
निर्वाचन अधिकारी	300,000,000			300,000,000
मतदाता सूचियां तैयार करना और उनका मुद्रण	360,000,000			360,000,000
लोकसभा आदि के निर्वाचन कराने पर व्यय	2,572,055,576			2,572,055,576
राज्य, सभा के निर्वाचन पर व्यय	94,139			94,139
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय	48,111,807			48,111,807
मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	206,000,000			206,000,000
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर व्यय	10,197			10,197
अधिक भुगतान की कटौती से वसूली	–339,591			(339,591)
योग मुख्य शीर्ष 2015	**3,485,932,128**	**0**	**0**	**3,485,932,128**
मुख्य, शीर्ष 2020– आय और व्यय पर करों का संग्रहण				
00.001 निदेशन और प्रशासन लघु शीर्ष				
05– आयकर अपीलीय अधिकरण				
विषय शीर्ष	**12/14 तक व्यय**			
वेतन	348,511,971			348,511,971
मजदूरी	437,807			437,807
समयोपरि भत्ता1	25,354			25,354
चिकित्सा उपचार	4,215,778			4,215,778
घरेलू यात्रा व्यय	12,069,333			12,069,333
कार्यालय व्यय	43,774,123	1,594,872	256,963	44,031,086
किराया, दरें और कर	23,669,244			23,669,244
अन्य प्रशासनिक व्यय	16,234			16,234
व्यावसायिक सेवाएं	191,767			191,767
लघु कार्य व रख–रखाव		5,815,433		–
अन्य प्रभार	1,118,903			1,118,903
अधिक भुगतान की कटौती से वसूली	–4,935			(4,935)
योग मुख्य शीर्ष 2020	**434,025,579**	**7,410,305**	**256,963**	**434,282,542**

मुख्य शीर्ष 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं				
00.090 – सचिवालय लघु शीर्ष				
06–विधि कार्य विभाग				
विषय शीर्ष	**12/14 तक व्यय**			
वेतन	233,187,174	167,910	167,910	233,355,084
मजदूरी	2,776,305			2,776,305
समयोपरि भत्ता,	208,780			208,780
चिकित्सा उपचार	2,650,761			2,650,761
घरेलू यात्रा व्यय	2,682,680			2,682,680
विदेशी यात्रा व्यय	812,571			812,571
कार्यालय व्यय	25,722,992	1,472,750	841,271	26,564,263
किराया, दरें और कर	785,688			785,688
प्रकाशन	76,070			76,070
अन्य प्रशासनिक व्यय	1,206,154			1,206,154
लघु कार्य व रख–रखाव		3,136,000		–
व्यावसायिक सेवाएं	496,300			496,300
सहायता अनुदान	4,624,952			4,624,952
सहायता अनुदान वेतन	13,500,000			13,500,000
अन्य प्रभार	1,559,072			1,559,072
योग	**290,289,499**	**4,776,660**	**1,009,181**	**291,298,680**
मुख्य शीर्ष 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं				
00.090 – सचिवालय लघु शीर्ष				
31–विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण				
विषय शीर्ष	**12/14 तक व्यय**			
वेतन	7,429,474			7,429,474
मजदूरी	90,000			90,000
समयोपरि भत्ता	20,112			20,112
चिकित्सा उपचार	67,678			67,678
कार्यालय व्यय	1,560,001			1,560,001
किराया, दरें और कर	55,115,430			55,115,430
अन्य प्रशासनिक व्यय	46,162			46,162
योग	**64,328,857**	**0**	**0**	**64,328,857**
मुख्य शीर्ष 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं				
00.090 – सचिवालय लघु शीर्ष				
07–विधायी विभाग				

विषय शीर्ष	**12 / 14 तक व्यय**			
वेतन	92,511,094			92,511,094
मजदूरी	2,294,234			2,294,234
समयोपरि भत्ता,	111,116			111,116
चिकित्सा उपचार	1,593,706			1,593,706
घरेलू यात्रा व्यय	350,748			350,748
विदेशी यात्रा व्यय	10,800			10,800
कार्यालय व्यय	11,121,927			11,121,927
प्रकाशन	1,753,977			1,753,977
अन्य प्रशासनिक व्यय	2,219,735			2,219,735
लघु कार्य	273,565	1,807,140		273,565
व्यावसायिक सेवाएं	1,399,438			1,399,438
अन्य व्यय	159,962			159,962
योग	**113,800,302**	**1,807,140**	**0**	**113,800,302**
मुख्य शीर्ष 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं				
00.090 – सचिवालय लघु शीर्ष				
04–राजभाषा खण्ड				
विषय शीर्ष	**12 / 14 तक व्यय**			
वेतन	43,064,623			43,064,623
चिकित्सा उपचार	586,588			586,588
घरेलू यात्रा व्यय	15,416			15,416
कार्यालय व्यय	2,026,522			2,026,522
किराया, दरें और कर	5,485,122			5,485,122
प्रकाशन	911,207			911,207
अन्य प्रशासनिक व्यय	162,205			162,205
विज्ञापन और प्रचार		164,169		–
व्यावसायिक सेवाएं	211,600			211,600
अन्य व्यय	112,974			112,974
योग	**52,576,257**	**164,169**	**0**	**52,576,257**
मुख्य शीर्ष 2052– सचिवालय सामान्य सेवाएं				
00.090 – सचिवालय लघु शीर्ष				
08–न्याय विभाग				
विषय शीर्ष	**12 / 14 तक व्यय**			
वेतन	23,004,335			23,004,335
मजदूरी	295,493			295,493

चिकित्सा उपचार	313,257			313,257
घरेलू यात्रा व्यय	428,276			428,276
कार्यालय व्यय	7,314,241			7,314,241
प्रकाशन	30,781			30,781
अन्य प्रशासनिक व्यय	830,619			830,619
लघु कार्य	69,207	5,475,281	1,433,123	1,502,330
व्यावसायिक सेवाएं	1,917,624			1,917,624
योग	**34,203,833**	**5,475,281**	**1,433,123**	**35,636,956**
042–राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	**12è14 तक व्यय**			
वेतन	11,372,466			11,372,466
समयोपरि भत्ता	44,057			44,057
चिकित्सा उपचार	20,037			20,037
घरेलू यात्रा व्यय	97,085			97,085
कार्यालय व्यय	3,955,086			3,955,086
प्रकाशन	509,020			509,020
अन्य प्रशासनिक व्यय	492,887			492,887
विज्ञापन और प्रचार	2,033,665			2,033,665
योग	**18,524,303**	**0**	**0**	**18,524,303**
047–उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	**12è14 तक व्यय**			
वेतन	6,272,494			6,272,494
चिकित्सा उपचार	80,065			80,065
कार्यालय व्यय	918,731			918,731
अन्य प्रशासनिक व्यय	14,204			14,204
योग	7,285,494			7,285,494
योग लघु शीर्ष 00.090 सचिवालय	**581,008,545**	**12,223,250**	**2,442,304**	**583,450,849**
मुख्य शीर्ष 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं				
00.092 – अन्य कार्यालय– लघु शीर्ष				
01– केंद्रीय अभिकरण अनुभाग				
विषय शीर्ष	**12 / 14 तक व्यय**			
वेतन	38,420,728			38,420,728
मजदूरी	788,189			788,189
चिकित्सा उपचार	170,069			170,069
घरेलू यात्रा व्यय	66,436			66,436
कार्यालय व्यय	5,375,747			5,375,747
किराया, दरें और कर	11,979,504			11,979,504

अन्य प्रशासनिक व्यय	130,829			130,829
अन्य प्रभार	135,639			135,639
योग	**57,067,141**	**0**	**0**	**57,067,141**
05 – राष्ट्रीय न्याय प्रदायन मिशन				
विषय शीर्ष	**12/14 तक व्यय**			
वेतन	6,334,031			6,334,031
मजदूरी	2,443,704			2,443,704
घरेलू यात्रा व्यय	12,203			12,203
कार्यालय व्यय	1,771,243			1,771,243
अन्य प्रशासनिक व्यय	98,955			98,955
लघु कार्य		365,820		–
व्यावसायिक सेवाएं	1,640,799			1,640,799
अन्य प्रभार	2,391,501			2,391,501
योग	14,692,436	365,820	0	14,692,436
योग– अन्य कार्यालय	71,759,577	365,820	0	71,759,577
कटौती– अधिक भुगतान की वसूली	–6,637			–6,637
योग– मुख्य शीर्ष–2052	**652,761,485**	**12,589,070**	**2,442,304**	**655,203,789**
मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
00.105 – विशेष जांच आयोग				
01–विधि आयोग				
विषय शीर्ष	**12/14 तक व्यय**	**0**		
वेतन	35,270,983			35,270,983
मजदूरी	2,450			2,450
समयोपरि भत्ता	158,759			158,759
चिकित्सा उपचार	330,828			330,828
घरेलू यात्रा व्यय	230,016			230,016
विदेशी यात्रा व्यय	511,507			511,507
कार्यालय व्यय	7,006,052			7,006,052
किराया, दरें और कर	66,043,104			66,043,104
अन्य प्रशासनिक व्यय	590,193			590,193
व्यावसायिक सेवाएं	158,000			158,000
अन्य प्रभार	597,646			597,646
योग	**110,899,538**	**0**	**0**	**110,899,538**

मुख्य शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
00.800–अन्य व्यय				
01.–विधि साहित्य प्रकाशन				
विषय शीर्ष	**12è14 तक व्यय**			
वेतन	25,531,865			25,531,865
मजदूरी	62,282			62,282
समयोपरि भत्ता	8,100			8,100
चिकित्सा उपचार	431,294			431,294
घरेलू यात्रा व्यय	150,177			150,177
कार्यालय व्यय	2,449,526			2,449,526
प्रकाशन	3,897,909	43,475	43,141	3,941,050
अन्य प्रशासनिक व्यय	98,168			98,168
व्यावसायिक सेवाएं	357,700			357,700
अन्य प्रभार	131,082			131,082
योग	33,118,103	43,475	43,141	33,161,244
योग मुख्य शीर्ष–2070	**144,017,641**	**43,475**	**43,141**	**144,060,782**
मुख्य शीर्ष 3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान				
गैर–योजना अनुदान–विशेष न्यायालय–सहायता अनुदान	47,500,000			47,500,000
केंद्र प्रायोजित प्लान योजनाओं के लिए अनुदान	8,258,695,000			8,258,695,000
सहायता अनुदान				–
योग मुख्य शीर्ष–3601	**8,306,195,000**	**0**	**0**	**8,306,195,000**
मुख्य शीर्ष –3602–संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान				
आधारभूत सुविधाओं के लिए अनुदान				
सहायता अनुदान	0			–
योग मुख्य शीर्ष– 3602	**0**	**0**	**0**	**0**
योग राजस्व खंड	***14,176,021,350***	***117,076,953***	***28,335,061***	***14,204,356,411***
पूंजी खंड :				
मुख्य शीर्ष 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
निर्देशन एवं प्रशासन				
आयकर अपीलीय अधिकरण हेतु भूमि अधिग्रहण एवं भवन निर्माण	17,806,140	140,486,675	71,218,740	89,024,880
विधि कार्य विभाग – मुख्य कार्य		446,700		–
योग मुख्य शीर्ष–4070	**17,806,140**	**140,933,375**	**71,218,740**	**89,024,880**
योग राजस्व+ पूंजी खंड	**14,193,827,490**	**258,010,328**	**99,553,801**	**14,293,381,291**

विभागवार व्यय 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक)						
						(राशि करोड़ रु0 में)
मुख्य शीर्ष	**बजट अनुमान**	**प्राधिकरण**	**इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय**	**प्राधिकृत मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय**	**कुल व्यय**	**वास्तविक राशि बजट अनुमान के : के रूप में**
2014–न्याय प्रशासन						
विधि सलाहकार और परामर्शी	31.09		21.28		21.28	68.45
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	10.74		6.75		6.75	62.85
अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र	5.50				0.00	0.00
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	142.00		82.65		82.65	58.20
जिला व अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण	57.00	9.70	0.19	2.56	2.75	4.82
एसएजेआई	5.00		2.90		2.90	58.00
परियोजना प्रबंध कंसल्टैंसी	1.00				0.00	0.00
राष्ट्रीय न्याय प्रदायन व विधि सुधार मिशन	5.00				0.00	0.00
कार्य अनुसंधान एवं न्यायिक सुधार अध्ययन	5.00				0.00	0.00
मॉडल न्यायालयों का गठन	26.00				0.00	0.00
ई–न्यायालय फेस–II		43.30				0.00 0.00
न्याय तक पहुंच (भारत सरकार)	8.00	0.003	1.54		1.54	19.25
योग मुख्य शीर्ष –2014	**339.63**	**9.703**	**115.31**	**2.56**	**117.870**	**34.71**
2015–निर्वाचन						
निर्वाचन अधिकारी	50.27		30.00		30.00	59.68
मतदाता सूचियों को तैयार करना तथा उनका मुद्रण	60.94		36.00		36.00	59.07
लोकसभा और राज्य/संघशासित क्षेत्र विधानसभाओं के निर्वाचन एक साथ होने की स्थिति में उन पर व्यय	370.38		257.20		257.20	69.44
संसद के निर्वाचन कराने पर व्यय	0.30		0.01		0.01	3.33
बिना विधानमंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों पर व्यय	6.60		4.81		4.81	72.88
मतदाताओं को फोटो–पहचान पत्र जारी करना राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति	38.05		20.60		20.60	54.14
इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों पर व्यय	0.01				0.00	0.00

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर व्यय	0.08				0.00	0.00
अधिक भुगतान की कटौती से वसूली			–0.03		–0.03	
योग मुख्य शीर्ष – 2015	**526.63**	**0.00**	**348.59**	**0.00**	**348.59**	**66.19**
2020 – आय और व्यय पर करों का संग्रहण						
आयकर अपीलीय अधिकरण	55.60	0.74	43.40	0.03	43.43	78.11
राष्ट्रीय कर अधिकरण	0.04					0.00
कुल योग मुख्य शीर्ष – 2020	55.64	0.74	43.40	0.03	43.43	78.06
2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं						
राजभाषा खंड	9.38	0.02	5.26		5.26	56.08
विधि कार्य विभाग	38.64	0.48	29.03	0.10	29.13	75.39
विधायी विभाग	16.12	0.18	11.38		11.38	70.60
न्याय विभाग	5.03	0.55	3.42	0.14	3.56	70.78
विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण	8.25		6.43		6.43	77.94
एकीकृत मुकदमा अनुभाग	7.00		5.71		5.71	81.57
एसएएलएसए	1.77		0.73		0.73	41.24
राष्ट्रीय न्याय प्रदायन एवं विधि सुधार मिशन	3.23	0.04	1.47		1.47	45.51
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	4.77		1.85		1.85	38.78
योग मुख्य शीर्ष – 2052	**94.19**	**1.27**	**65.28**	**0.24**	**65.52**	**69.56**
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं						
विशेष जांच आयोग–विधि आयोग	13.82		11.09		11.09	80.25
अंतरराष्ट्रीय विधि एसोसिएशन	0.01				0.00	0.00
विधि साहित्य प्रकाशन	5.26		3.31		3.31	62.93
योग मुख्यत शीर्ष – 2070	**19.09**		**14.40**	**0.00**	**14.40**	**75.43**
2552–पूर्वोत्तर के राज्यों को सहायता अनुदान	**110.30**		**0.00**		**0.00** **0.00**	**0.00**
3601– राज्य सरकारों को सहायता अनुदान						
न्याय प्रशासन – विशेष अदालतें न्याय प्रशासन – अन्य अनुदान – राज्य सरकारों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए सहायता	5.00 0.01		4.75		4.75	95.00

न्याय प्रशासन – अन्य अनुदान – न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	782.39		825.87		825.87	105.56
योग मुख्य शीर्ष – 3601	**787.40**		**830.62**	**0.00**	**830.62**	**105.49**
3602–संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	**60.00**					**0.00**
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
विधायी प्रारूपण और शोध संस्थान के लिए भूमि का अर्जन और भवन का निर्माण	0.01					
आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि का अर्जन और भवन का निर्माण	54.30	14.05	1.78	7.12	8.90	16.39
राष्ट्रीय कर अधिकरण के लिए भूमि का अर्जन और भवन का निर्माण	0.01				0.00	0.00
विधि कार्य विभाग	0.05	0.04	0.00		0.00	0.00
योग मुख्य शीर्ष–4070	**54.37**	**14.09**	**1.78**	**7.12**	**8.90**	**16.37**
कुल योग	**2047.25**	**25.80**	**1419.38**	**9.95**	**1429.33**	**69.82**

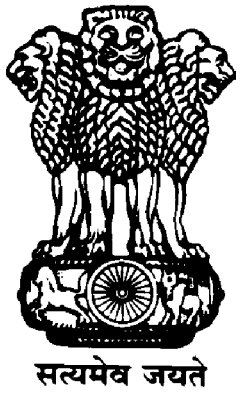

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परिणाम बजट
OUTCOME BUDGET
2015-2016

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law And Justice

CONTENTS

S.NO.	CHAPTER	SUBJECT	PAGE NO.
1.	I.	Functions and Organization set up	1-7
2.	II.	Financial and Outcom Budget	8-11
3.	III.	Reform Measures And Policy Initiatives	12-21
4.	IV.	Review of Past Performance	22-29
5.	V.	Financial Review of Past Performance	30-31
6.	VI.	Review of performance of Statutory and Autonomous Bodies	32-36
7.	Annexure-I	Organization Chart of Department of Legal Affairs	37
8.	Annexure-II	Organization Chart of Legislative Department	38
9.	Annexure-III	Organization Chart of Department of Justice	39
10.	Annexure-IV	Details of the Financial Outlays, projected physical outputs and projected/budgeted outcomes	40-47
11.	Annexure-V	Statement showing targets vis-a-vis achievements in respect of Plan/Non-Plan Schemes	48-55
12.	Annexure-VI	Statement indicating the details of Family Courts	56
13.	Annexure-VII	Grant No. 64 Financial Review and Trends of Expenditure	57
14.	Annexure-VIII	Details of Pending Utilization Certificates	58
15.		Expenditure Statement 2014-15	59-65
16.		Head-wise Details	66

CHAPTER-I

FUNCTIONS AND ORGANISATION SET UP

The Union Ministry of Law and Justice comprises of three Departments, namely the Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Justice and through the said Department, the Ministry assists in the process of orderly change directed towards realisation of the objectives set out in the Constitution.

2. The Legislative Department and the Department of Legal Affairs act as service providers in so far as the legislative business of the Government and tendering advice on legal matter to Ministries/Departments, is respectively concerned. Thus the said two Department do not have any specific schemes, which can translate in to specific and quantifiable outputs.

2. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS.

Functions and Responsibilities.

1. The Department has been allocated the following items as per the Government of India [Allocation of Business Rules] 1961:-

(a) Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyance and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party.

(b) Attorney General of India, Solicitor General of India and other Central Government law officers and in respect of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.

(c) Conduct of cases in the Supreme Court and the High Courts on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.

(d) Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits, for the execution of decrees of Civil Courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India.

(e) Authorization of officers to execute contracts and assurances and of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.

(f) Indian Legal Service.

(g) Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.

(h) Law Commission.

(i) Legal Profession including the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts.

(j) Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and conferring thereon of further powers; persons entitled to practice before the Supreme Court; references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.

(k) Administration of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952).

(l) Income-tax Appellate Tribunal.

(m) Appellate Tribunal for Foreign Exchange.

2. The Department has also been allocated to administer following Acts:

(a) The Legal Service Authority Act, 1987;

(b) Advocates Welfare Funds Act, 2001;

(c) The National Tax Tribunal Act, 2005;

3. The Department is also administratively in- charge of the Appellate Tribunal for Foreign Exchange, the Income Tax Appellate Tribunal, the newly set up National Tax Tribunal and the Law Commission of India. The Department is also administratively concerned with all the matters relating to the Indian Legal Service. It is further connected with the appointment of Law Officers namely the Attorney General of India, the Solicitor General of India and the Additional Solicitor Generals of India. With a view of promoting studies and research in law and with a view to promoting Alternative Disputes Resolution Mechanism, improvement in legal profession, this Department sanctions grant in aid to certain institutions engaged in these fields, like, Indian Law Institute, International Central for Alternative Disputed Resolution, Institute of Constitutional and Parliamentary Studies and Bar Council of India.

3. ORGANISATIONAL SET –UP

The Department of Legal Affairs has a two tier set up, namely, the Main Secretariat at New Delhi and the Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bangalore. The organization chart of the Department may be seen at **Annexure. I.** The nature of duties discharged can be broadly classified in to two area- Advice work and Litigation work.

(A). MAIN SECRETARIAT:-

1) The set up at the Main Secretariat includes Law Secretary, Additional Secretaries, Joint Secretary and Legal Advisers and other Legal Advisers at various levels. The work relating to tendering of legal advice and conveyancing has been distributed amongst groups of officers. Each group is normally headed either by an Additional Secretary or Joint Secretary and Legal Adviser, who in turn, is assisted by a number of other Legal Advisers at different levels.

2) The litigation work in the Supreme Court on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India and some administrations of the Union Territories is handled by the Central Agency Section presently headed by a Senior Government Advocate.

3) The litigation work in the High Court of Delhi on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India is processed by the Litigation [High Court] Section presently headed by a Deputy Legal Adviser.

4) The litigation work in the Subordinate Courts in Delhi is handled by the Litigation [Lower Court] Section presently headed by a Deputy Legal Adviser.

5) The Department has a special cell, namely Implementation Cell for dealing with the implementation of the recommendations of the Law Commission and the administration of the Advocates Act, 1961.It also deals with the legal profession. This cell is also concerned with the National Tax Tribunal Act, 2005 and it has also been entrusted with the work of coordination under the Right to Information Act, 2005.

6) There is one sanctioned post of Joint Secretary & Legal Adviser each at Railway Board, Department

of Telecommunication and Central Bureau of Investigation respectively and the incumbents to the posts function from the said offices. Further, there is one sanctioned post of Joint Secretary and Legal Adviser in the Department of Public Enterprises and the incumbent functions as an Arbitrator under the scheme of Permanent Machinery of Arbitration in that Department. One Additional Legal Adviser functions as an Arbitrator in the Arbitration cases in the DGS&D. Further, one Deputy Legal Adviser functions from the Army Purchase Organization under the Ministry of Defence. In addition, some officers of different levels such as Additional Legal Adviser, Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser are also posted in the Ministry of Defence, Ministry of Labour, Ministry of Urban Development and DGS&D, Department of Justice.

(B) Branch Secretariat, Mumbai:-

The Branch Secretariat at Mumbai is headed by a Joint Secretary and Legal Adviser. He is assisted by Additional Legal Advisers, Deputy Legal Adviser, Assistant Legal Adviser and other supporting staff. The litigation work in that Branch Secretariat is handled by one Sr. Government Advocate and three Additional Government Advocates.

(C) Branch Secretariat, Kolkata :-

The Branch Secretariat at Kolkata is headed by a Senior Government Advocate. He is assisted by Additional Legal Advisers, Deputy Legal Adviser, Assistant Legal Adviser and other supporting staff. The litigation work in that Branch Secretariat is handled by one Sr. Government Advocate and two Additional Government Advocates.

(D) Branch Secretariat, Chennai :-

The Branch Secretariat at Chennai is headed by a Deputy Legal Adviser. He is assisted by Assistant Legal Advisers and other supporting staff.

(E) Branch Secretariat, Bangalore :-

The Branch Secretariat at Bangalore is headed by an Assistant Legal Adviser.

4. LEGISLATIVE DEPARTMENT

1. Legislative Department acts mainly as a service provider in so far as the legislative business of the Union Government is concerned. As such, it does not have any specific scheme that can be translated into physical and quantifiable outputs. However, as a service provider, it ensures smooth and speedy processing of legislative proposals of various administrative Departments and Ministries.

An overview of the subject matter mainly dealt with by the Legislative Department is as follows :-

(i) Scrutiny of Notes for the Cabinet in relation to all legislative proposals from drafting and constitutional angles;

(ii) Drafting of all Government Bills including Constitution (Amendment) Bills before introduction in Parliament; their translation into Hindi and forwarding of both English and Hindi versions of the Bills to the Secretariats of Lok Sabha and Rajya Sabha; drafting of official amendments to Bills, scrutiny of non-official amendments and rendering assistance to administrative Departments and Ministries to decide the acceptability or otherwise of non-official amendments;

(iii) Rendering assistance to Parliament and its Joint, Select and Standing Committees at all stages through which a Bill passes before enactment. This includes scrutiny of and assistance in preparation of reports and revised Bills to the Committees;

(iv) Drafting of Ordinances promulgated by the President;

(v) Drafting of legislation enacted as President's Acts in respect of States under President's rule;

(vi) Drafting of Regulations made by the President;

(vii) Drafting of Constitution Orders, *i.e.* Orders required to be issued under the Constitution;

(viii) Scrutiny of all statutory rules, regulations, orders, notifications, resolutions, schemes, etc., and their vetting and translation into Hindi;

(ix) Scrutiny of State legislation in the concurrent field, which require assent of the President under article 254 of the Constitution;

(x) Scrutiny of legislation to be enacted by the Union territory Legislatures;

(xi) Elections to Parliament, Legislatures of States and Union territories and Offices of the President and Vice-President;

(xii) Apportionment of expenditure on elections between the Centre and the States/Union Territories with Legislatures;

(xiii) Election Commission of India and electoral reforms;

(xiv) Administration of the Representation of the People Act, 1950; the Representation of the People Act, 1951; the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xv) Matters relating to the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners under the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xvi) Matters relating to the Delimitation of Parliamentary and Legislative Assembly Constituencies.

(xvii) Legislation on matters relating to personal laws, transfer of property, contracts, evidence, civil procedure, etc., in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution;

(xviii) Imparting training in legislative drafting to the officers of the Union and State Governments, etc.

(xix) Publication of Central Acts, Ordinances and Regulations and their authorised translations in Hindi and other languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution and also translation of legal and statutory documents.

(xx) Publication of Patrikas containing Hindi translation of selected judgments of the Supreme Court and High Courts on cases pertaining to constitutional, civil and criminal laws.

2 Legislative Department does not have any statutory or autonomous body under its control. It has two other wings under it namely, the Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan, which are responsible for propagation of Hindi and other Official Languages in the field of Law.

(a) **Official Languages Wing** of the Legislative Department is responsible for preparing and publishing standard legal terminology and also for translating into Hindi all the Bills to be introduced in Parliament, all Central Acts, Ordinances, Subordinate legislations, etc. as required under the Official Languages Act, 1963. This Wing is also responsible for arranging translation of the Central Acts, Ordinances, etc., into the Official Languages as specified in the Eight Schedule to the Constitution as required under the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973. The Official Languages Wing also releases Grants-in-aid to various registered voluntary organisations engaged in promotion and propagation of Hindi and other regional languages and those organisations, which are directly engaged for the publication of legal literature and propagation of Hindi and other languages in the field of Law.

(b) **Vidhi Sahitya Prakashan** is mainly concerned with bringing out authoritative Hindi versions of reportable judgments of the Supreme Court and the High Courts with the objective of promoting the progressive use of Hindi in the legal field. In this connection, the Vidhi Sahitya Prakashan brings out various publications of legal literature in Hindi. It also holds exhibitions in High Courts, District Courts and Law Colleges of various States for giving wide publicity to legal literature available in Hindi and to promote sales. Under the Scheme for writing, translating and publishing of law books in Hindi and awarding prizes to such books for use as text books or reference books, an award to the tune of Rs.5,00,000/- (Rupees Five lakh only) has been instituted. Under this Scheme, 1st prize of Rs.50,000/-(Rupees fifty thousand only), 2nd prize of Rs.30,000/-(Rupees thirty thousand only) and 3rd prize of Rs.20,000/-(Rupees twenty thousand only) are awarded annually for the best publication in Hindi.

3. The organisational set-up of the Legislative Department includes the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary & Legislative Counsel, Additional Legislative Counsel, Deputy Legislative Counsel and Assistant Legislative Counsel. The work relating to legislative drafting in relation to all forms of principal legislation and scrutinising and vetting of subordinate legislation under various statutes has been distributed amongst Legislative Groups of officers. Each Group is headed by a Joint Secretary & Legislative Counsel or Additional Secretary, who in turn is assisted by a number of Legislative Counsel at different levels. The Secretary acts as the Chief Parliamentary Counsel and the Additional Secretary is in charge of all subordinate legislation. The Organisational Chart of the Legislative Department(Main) is at **Annexure-II.**

5. DEPARTMENT OF JUSTICE

The Department of Justice (DoJ) is a part of the Ministry of Law & Justice (MoL&J). However, Administrative support to the Department of Justice is being provided by the Ministry of Home Affairs (MHA).

As per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the subjects handled by the Department of Justice include the following:-

1. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (*including* leave allowances), pensions and travelling allowances.
2. Appointment, resignation and removal *etc.* of the Chief Justice and Judges of High Courts, their salaries, rights in respect of leave of absence (*including* leave allowances), pensions and travelling allowances.
3. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial Officers in Union Territories.
4. Constitution and organization (*excluding* jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but *including* contempt of such Court) and the fees taken therein.

5. Constitution and organization of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners, *except* provisions as to offices and servants of these courts.

6. Administration of Justice and constitution and organization of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.

7. Court fees and Stamp duties in the Union Territories.

8. Creation of All India Judicial Service (AIJS).

9. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial service of Union Territories.

10. *Extension* of the jurisdiction of a High Court to a Union territory or *exclusion* of a Union Territory from the jurisdiction of a High Court.

11. Legal Aid to the poor.

12. Administration of Justice.

13. Access to Justice, Justice Delivery and Legal Reforms.

6. ORGANIZATIONAL SET UP

The Department is headed by the Secretary, who is a Senior Indian Administrative Service (IAS) Officer. In addition to Secretary (Justice), the organizational setup includes three Joint Secretaries, five Directors / Deputy Secretaries and seven Under Secretaries. In addition to the matters connected with the appointment of Judges of the Supreme Court and the High Courts, the Department is also assigned the task of implementation and monitoring of Plan and Non-Plan Schemes; *including* the recently set-up National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. The present organisational set up of the Department is at ***Annexure-III.***

SCHEMES IMPLEMENTED AND MONITORED BY THE DEPARTMENT

The Schemes, which are implemented and monitored by the Department of Justice, are as follows:-

7.1 PLAN SCHEMES:

National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms has been set up with its period coinciding with the 12th Five Year Plan. It provides a platform for addressing the issues which affects the performance of the Judiciary. Infrastructure Development for Subordinate Judiciary is the thrust area of National Mission. Other Schemes / programmes mentioned below support objectives of National Mission:

(i) Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructural Facilities for the Judiciary.

(ii) Scheme for Computerization of the District and Subordinate Courts. This Scheme is being implemented as a Mission Mode Project, *titled*, "ëCourt MMP".

(iii) Access to Justice – Government of India Project.

(iv) United Nations Development Programme (UNDP) assisted externally aided project (EAP) "Access to Justice for Marginalized in India".

(v) Financial support to the States Governments for operationalisation of the Gram Nyayalayas Act, 2008.

(vi) Action Research and Studies on Judicial Reforms.

(vii) Setting up of Model Courts (*The Scheme is yet to be approved*).

7.2 NON-PLAN SCHEMES:

The Non-Plan Schemes being implemented and monitored by the Department of Justice are as under:-

1. Grant-in-aid to the National Judicial Academy (NJA), Bhopal for meeting its operational expenditure.
2. Central assistance to the States at specified rates for the operation of Family Courts.
3. Grants-in-aid to the National Legal Services Authority (NALSA) to monitor and evaluate implementation of legal-aid programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Legal Services Authorities Act, 1987.

The Plan and Non-Plan Schemes implemented by the Department of Justice and the subjects dealt with by the Department of Justice aim at providing support to the High Courts and the States for facilitating improved administration of justice, reducing backlog and pendency of cases in the courts.

CHAPTER II

FINANCIAL AND OUTCOME BUDGET

PART-I

The tabular format of the scheme-wise budgetary allocations in respect of the Grant No. 64 –Law & Justice for the year 2015-2016 is as follows:

(Rupees in crores)

GRANT NO.64 LAW & JUSTICE		**2015-2016 Budget**		
	Major Head	Plan	Non-Plan	Total
	Revenue	806.65	2717.00	3523.65
	Capital	0	102.75	102.75
	Total	**1103.00**	**2614.25**	**3420.90**
1. Secretariat-General Services				
1.01 Department of Legal Affairs	2052	0	46.93	46.93
1.02 Appellate Tribunal for Foreign Exchange(ATFE)	2052	0	9.32	9.32
1.03 Legislative Department	2052	0	17.63	17.63
1.04 Department of Justice	2052	0	6.47	6.47
1.05 Others	2052	0	28.31	28.31
Total		0	108.66	108.66
2. Organs of State				0
2.01 Elections	2015	0	1555.40	1555.40
2.02 Normal Election Expenses	2015	0	547.00	547.00
2.03 Issue of Identity Cards to Voters	2015	0	40.00	40.00
Total		0	2142.40	2142.40
3. Fiscal Services				0.00
3.01 Income Tax Appellate Tribunal	2020	0	146.05	146.05
3.02 National Tax Tribunal	2020	0	0.03	0.03
Total		0	146.08	146.08
4. Administration of Justice				0.00
4.01 National Judicial Academy	2014	0	10.74	10.74
4.02 Computerization of District and Subordinate courts (E-Courts)	2014	2.00	0.00	2.00
4.03 Special Courts	3601	0	5.00	5.00
4.04 Fast Track Courts	3601	0	0.00	0.00

4.05 Grants-in-aid to Union Territories without Legislature for Infrastructural Facilities for Judiciary	2014	0		0.00
4.06 Other Expenditure	2014	0	181.50	181.50
4.07.01-02 Strengthening of Access to Justice-Indian(SAJI)	2014	5.00	0.00	5.00
4.08 National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms	2014	212.29	0.00	212.29
4.10 International Centre for Alternative Dispute Resolution(ICADR)	2014	0	0.02	0.02
4.11 Assistants to State Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas	2014	0.01	0.00	0.01
Total		219.30	197.26	416.56
5. Other Administrative Services				0.00
5.01 Infrastructure facilities for Judiciary	3601	443.69	0.00	443.69
5.02 Grant-in-aid to Union Territory Governments(with Legislature)	3602	63.00	0.00	63.00
5.03 Other Programmes	2070	0	19.85	19.85
5.04 Capital Outlay on other Administrative Services	4070	0	102.75	102.75
Total		506.69	122.60	629.29
6. Lumsum provision for projects/ schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim	**2552**	80.66	0.00	80.66
Total		80.66	0.00	80.66
Grand Total		**806.65**	**2717.00**	**3523.65**

PART-II

DEPARTMENT OF JUSTICE

A Tabular format indicating the vertical compression and horizontal expansion of the Statement of Budget Estimates to establish a one-to-one correspondence between financial and the outcome budgets

(The budgetary allocations for Department of Justice for the year 2015-16 are indicated as below)

(Rs. in crore)

GRANT NO.64 LAW & JUSTICE	**Head**	**2015-2016 Budget**		
	Revenue	Plan	Non-Plan	Total
Secretariat-General Services				
Department of Justice *including* National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms.	2052 2052	0.00	7.46 2.86	10.32
Infrastructural facilities for Judiciary for the States, *other than NER States*.	3601	443.69	0.00	443.69
Grants-in-aid to Union Territories with and without Legislature for infrastructural facilities for judiciary.	3602	63.00	0.00	63.00
Grants-in-aid to NE States including Sikkim – for infrastructure facilities.	2552	56.30	0.00	56.30
Assistance to State for setting up and operationalisation of Gram Nyayalayas	3601 0.01	0.00	0.01	
Computerization of district and subordinate courts (E-Courts - phase-I)	2014	2.00	0.00	2.00
Computerization of district and subordinate courts (E-Courts - phase-II)	2014	227.13	0.00	227.13
Access to Justice – Government of India (8 States of North East Region *including* Sikkim and Jammu & Kashmir).	2014	7.00	0.00	7.00
Access to Justice for Marginalised in India (UNDP) (EAP) SAJI (Phase - II).	2014	5.00	0.00	5.00
Action Research and Studies on Judicial Reforms.	2014	2.50	0.00	2.50
Setting up of Model Court*.	2014	0.01	0.00	0.01
National Mission - Action Plan Implementation**.	2014	0.01	0.00	0.01

Administration of Justice				
National Judicial Academy (NJA)	2014	0.00	10.86	10.86
National Legal Service Authority (NALSA)	2052	0.00	145.00	145.00
Family Courts	3601	0.00	5.00	5.00
	Total	**806.65**	**171.18**	**977.83**

2, The details of the financial outlays, projected physical outputs and projected / budgeted outcomes, whether intermediate / partial and final, as the case may be, are indicated in ***Annexure-IV***. The Statement showing targets *vis-à-vis* achievements in respect of Plan Schemes of Department of Justice for the year 2015-16 are indicated in ***Annexure – V***.

* Of the above Schemes, the decision to operationalise the Model Court Scheme is yet to be finalised. As such, only token amount of Rs. One lakh has been proposed in BE 2015-16.

** National Mission – Action Plan Implementation is not required now, as in its place a Technical Support Cell at Central level, funded by UNDP, has been set up. As such, only token amount of Rs. One lakh has been proposed in BE 2015-16.

CHAPTER III

PART-1

REFORM MEASURES AND POLICY INITIATIVES

1. LEGISLATIVE DEPARTMENT

Legislative Department is a service oriented Department and as such, it does not have any specific schemes which can be related to specific physical and quantifiable out-puts translating into monitorable performance parameters. However, certain initiatives narrated below have been taken by the Legislative Department.

2. INSTITUTE OF LEGISLATIIVE DRAFTING AND RESEARCH (ILDR)

Legislative Drafting is a specialised job which involves drafting skill and expertise. Continuous and sustainable efforts are required to enhance the skills in drafting of laws. Legislative Drafting has its own challenges and much expertise is required for drafting precise and clear legislations. The existing resource persons need training and orientation to develop the aptitude and the skill in legislative drafting. In January, 1989, with a view to increasing the availability of trained Legislative Counsel in the country, the Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR) was established as a Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice. Since its inception, ILDR has been imparting theoretical as well as practical training in Legislative Drafting. The following courses are conducted by the Institute:-

(i) Basic course in Legislative Drafting of three months' duration for the middle level law officers of the Central/State Governments/Union territory Administrations;

(ii) Appreciation Course of two weeks' duration for the middle level officers of the Central Government Ministries/Departments/Attached/Subordinate Offices and Central Public Sector Undertakings.

Since its establishment, ILDR has conducted Twenty-six Basic Courses and Seventeen Appreciation Courses in Legislative Drafting.

2.1 SPECIAL LEGISLATIVE DRAFTING COURSE IN HINDI

A special Legislative Drafting Course in Hindi was conducted from 10-11-2014 to 10-12-2014 for the benefit of officers from various State Governments and Union Territory Administrations, where Legislative Drafting is undertaken in Hindi. A total number of seven officers participated and successfully completed this course. It may be mentioned that this special programme was organised at the time when ILDR completed 25 years of its existence and remarkable service rendered to the fraternity of Legislative Counsel in the Country.

2.3 IN HOUSE TRAINING

In-house training for the benefit of the officers of this Department was conducted on 27-10-2014. This course has been introduced for the benefit of all ILS officers, Superintendent(Legal) and Assistants (Legal) which is designed to enhance their legislative drafting skills in drafting precise legislation.

2.4 RESULTS FRAMEWORK DOCUMENT

The Central Government has taken a decision to put in place the Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) in respect of every Ministry/Department. Results Framework Document (RFD) is the central

instrument which has been designed for implementing the PMES. The Performance Management Division (PMD) in the Cabinet Secretariat monitors the preparation and working of RFD. The RFDs for Legislative Department have been prepared, finalised and uploaded on the website of this Department. The task as per the RFD 2014-2015 are being undertaken to achieve the goal of best performance by the Department.

2.5 ILDR – AN ISO 9001:2008 CERTIFIED INSTITUTE

As part of the commitment made by the Department in RFD 2013-2014, an Action Plan to get ILDR ISO certified was drawn up. Consequently, a Quality Management System (QMS) has been developed and put in place in ILDR. Thereafter, internal and external audits were undertaken and finally, ILDR has been awarded ISO 9001:2008 Certification on the basis of evaluation of the working of QMS in ILDR. One surveillance audit has since been undertaken by the certifying agency after ILDR was ISO certified.

2.6 COMPUTER TECHNOLOGY IN THE FIELD OF LEGISLATION, ETC., INDIA CODE ON INTERNET AND NICNET

The Department has INCODIS Programme of retrieval of Central Acts as contained in India Code on the Ministry's website. This is a web enabled database which consists of unrepealed Central Acts of all India application. This provides Full Text Search facility and contains all Central Acts available as on date from the year 1834. The Department is using the retrieval programme developed by the National Programme of the National Informatics Centre (NIC) for retrieval of Acts of Parliament. This programme also helps the Legislative Counsel in drafting and vetting of principal and subordinate legislation. Updating of the Acts of Parliament is being undertaken by the Department and is an ongoing exercise. This Department co-ordinates with the concerned administrative Ministries/Departments to update their entire text of data relating to India Code. The said retrieval system along with the Home Page, which is updated from time to time and is accessible on internet at www.indiacode.nic.in The latest Bills introduced in Parliament and Ordinances promulgated may also be seen on the website.

Besides INCODIS, NIC has been providing support services such as, regular updating and maintenance of India Code Information System, Comprehensive DDO Payroll System, E-mail, etc. The Local Area Network (LAN) of the Department has now been restructured by replacing all the non-manageable network devices with manageable switches, thereby increasing the security and speed of the network. The backbone of all the networks had already been shifted to Fibre Optic Cable. All Sections, Officers of the level of Under Secretary and above and Personal Assistants to some senior officers in the main Secretariat have been provided with computers and are connected through LAN. A LAN has been set up in the Official Languages Wing through manageable network devices. The proposal to set up a LAN for Vidhi Sahitya Prakashan is underway.

The official webpage of the Legislative Department has been re-designed so as to give it a new and upgraded look with the help of NIC Cell.

It has been re-designed and disseminated in a more vibrant manner so as to reflect its historical background, functions, composition, work performed, courses conducted, important events and announcements, useful links, etc., and also to be an expression of the services rendered.

3. PUBLICATION OF ACTS/MANUALS, ETC.

The publication Section brings out from time to time, modified editions of the Central Acts and some other important publications like the Constitution of India, Manual of Election Laws, Orders issued under the Constitution of India, Index to Statutory Definitions, etc.

Latest amendments to the Constitution of India are incorporated to publish the same in Pocket Size as Diglot edition. India Code volumes 32 to 37 are under process at different stages. Annual Volume of the Acts of Parliament in book form for the year 2010 has been sent to printing press. Annual Volume of the Acts of Parliament for the year 2011 is under final stages for forwarding to printing press. The Acts of Parliament for the year 2012 and 2013 is under process for compiling into book format. Manuscript of modified English version of 7 Central Acts duly incorporating the latest amendments have been prepared and scrutinised, and forwarded to Official Languages Wing for diglot edition.

4. ELECTRONIC VOTING MACHINES

Starting from the experimental use of Electronic Voting Machines (EVMs) in 1982, it took more than two decades for the universal use of EVMs and during the General Elections to the Lok Sabha in 2004, EVMs were used in all polling stations across the country. The EVMs were developed at the behest of the Election Commission jointly with two Public Sector Undertakings, Bharat Electronics Limited, Bangalore (BEL) and Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad (ECIL) in 1989.

4.1 Since 1998, the repeated use of EVMs proved to be a big success. The first round scaling-up was done in the year 2000. The design concepts and the software embedded in EVMs have been developed by these two companies and they have already filed a patent for the same, having been evaluated and technically endorsed by a high level expert committee, under the Chairmanship of Prof. P.V. Indiresan, Ex-Director of IIT of Delhi. In the intervening period, the efficiency of EVMs has been tested in various elections. The judicial pronouncements have also endorsed the efficiency of EVMs in the elections.

4.2 Being a proprietary item, the EVMs are not a standard off-the-shelf product. Therefore, the open tenders are not only inapplicable but unthinkable in procurement of new EVMs. The EVMs were developed and manufactured by ECIL and BEL.

4.3 The details of EVMs, procured till date are as under-

S. No.	Year of Purchase	Total EVMs	Amount Sanctioned (in Rs.)
1	1989-90	150000	750000000
2	2000-01	142631	1499880443
3	2001-02	135481	1422900000
4	2002-03	190592	2006100000
5	2003-04	336045	3530000000
6	2004-05	125681	1315400000
7	2006-07	250000	2893742332
8	2008-09	180000	1900000000
9	2009-10	100000 plus 27000 BUs	1139294685
10	2013-14	382876 BUs and 251651 CUs	3116900000
	TOTAL	**1610430 plus 409876 plus 251651 CUs**	**19574217460**

During the year 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2014-15, no EVM was procured. Since the Commission has already proposed to purchase Electronic Voting Machines and VVPAT from the manufacturers during the year 2015-16, an amount of Rs. 400.00 crore has been kept under the head 'EVMs' for the year 2015-16.

5. STATUS FOR THE PROGRESS OF ELECTORS' PHOTO IDENTITY CARD (EPIC)

The use of electors' photo identity cards by the Election Commission is slowly and surely making the electoral process simple, smoother and quicker. A decision was taken by the Election Commission of India in 1993 to issue photo identity cards to electors throughout the country to check bogus voting and impersonation of electors at elections. The electoral roll is the basis for issue of EPICs to the registered electors. The electoral rolls are normally revised every year with 1st January of the year as the qualifying date. Every Indian citizen who attain the age of 18 years or above as on that date is eligible for inclusion in the electoral roll and can apply for the same. Once he is registered in the roll, he would be eligible for getting an EPIC. The scheme of issuing the EPICs is, therefore, a continuous and ongoing process for the completion of which no time limit can be fixed as the registration of electors is a continuous and ongoing process (excepting for a brief period between the last date for filing nomination and completion of electoral process) on account of more number of persons becoming eligible for the right of franchise on attaining the age of 18. The Commission's continuous effort is to provide the EPICs to the electors who have been left out in the previous campaigns as well as the new electors. The Election Commission, which is in overall charge of implementation of the scheme of issuance of photo identity cards to electors has been monitoring its progress on regular basis.

5.2 It has been the endeavor of the Election Commission to achieve the target of 100% coverage under the EPIC scheme, as far as practicable, in a time-bound manner. No standard time period is defined by the Commission for issue of EPIC. However, constant efforts are being made to issue EPIC to all such persons whose names have already been enrolled in the electoral roll, as early as possible. Some of them are:----

(i) Special photography campaigns are organized to make EPIC of all voters.

(ii) Voters are allowed to give copies of their photographs which are scanned for making EPIC

(iii) Booth Level Officers are appointed by the Commission to collect photographs and make EPIC of all voters;

(iv) 25th January has been declared as the National Voters' Day to focus on enrollment of voters and making EPIC;

(v) Special publicity campaign is undertaken to inform electors of the procedure of preparation of EPIC;

(vi) Instruction has been issued that the EPIC number once issued will be valid throughout the elector's life even if address changes.

5.3 In this regard, a Statement showing progress of issuance of Electors Photo Identity Cards (EPIC) to electors in various States/Union territories of the country as per latest data available is at Annexure below:-

S. No.	Name of the State	EPIC %
S01	Andhra Pradesh	100.00
S02	Arunachal Pradesh	97.61
S03	Assam	94.97
S04	Bihar	90.60
S05	Goa	98.66
S06	Gujarat	99.96
S07	Haryana	100.00
S08	Himachal Pradesh	100.00
S09	Jammu & Kashmir	89.54
S10	Karnataka	99.25
S11	Kerala	100.00
S12	Madhya Pradesh	100.00
S13	Maharashtra	91.60
S14	Manipur	99.62
S15	Meghalaya	100.00
S16	Mizoram	100.00
S17	Nagaland	99.03
S18	Orissa	97.33
S19	Punjab	100.00
S20	Rajasthan	99.67
S21	Sikkim	100.00
S22	Tamil Nadu	100.00
S23	Tripura	100.00
S24	Uttar Pradesh	99.94
S25	West Bengal	100.00
S26	Chhattisgarh	97.76
S27	Jharkhand	99.51
S28	Uttarakhand	100.00
U01	Andaman & Nicobar Islands	90.51
U02	Chandigarh	99.95
U03	Dadra and Nagar Haveli	100.00
U04	Daman and Diu	97.99
U05	National Capital Territory of Delhi	100.00
U06	Lakshadweep	100.00
U07	Puducherry	100.00
	ALL India	**98.03**

6. ELECTORAL REFORMS

6.1 Electoral Reforms is a continuous process. Issues relating to comprehensive electoral reforms in its entirety have been referred to the Law Commission.

6.2 The Supreme Court of India in the case of Chief Election Commission Vs. Jan Chaukidar and others held that a person who has no right to vote by virtue of sub-section (5) of section 62 of the said Act, is not an elector and is, therefore, not qualified to contest the election to either House of Parliament or Legislative Assembly of a State; to overcome the above situation the Representation of People (Amendment and Validation) Act, 2013 has been enacted. This Act provides that a person whose name has been entered in the electoral roll shall not cease to be an elector by reason of the prohibition to vote as provided in sub-section (5) of section 62 of the Representation of People Act, 1951.

6.3 The Conduct of Election Rules, 1961, has been amended in consultation with the Election Commission enhancing the upper limit of election expenses generally from 40 lakh to 70 lakh in respect of Parliamentary Constituencies and 16 lakh to 28 lakh in respect of Assembly Constituencies.

[Notification No. 50603(E) dated 28-02-2014 issued by the Ministry of Law & Justice (Legislative Department].

Chapter-III

PART-II

DEPARTMENT OF JUSTICE

(Details of reform measures and policy initiatives and how they relate to the intermediate outputs and the final outcomes *inter-alia* for alternate delivery mechanisms, social and gender empowerment *etc*.)

(i) National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms

National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms was set up in August, 2011 with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities. The Mission has been pursuing a co-ordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency in judicial administration, which, *inter-alia,* involves better infrastructure for courts including computerisation, increase in strength of subordinate judiciary, policy and legislative measures in the areas prone to excessive litigation, re-engineering of court procedure for quick disposal of cases and emphasis on human resource development. The National Mission has a time frame of five years.

(ii) Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary

The development of judicial infrastructure had not kept pace in the past with increasing workload on Subordinate Judiciary. To remedy this situation the Central Government augments the resources of the State Governments by providing financial assistance under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of infrastructure facilities for Judiciary. The scheme has been in place since 1993-94, and was revised in the year 2011. It covers the construction of court buildings and residential accommodations of judicial officers of District and Subordinate Judiciary. Until 2011, the Central and State Governments used to contribute an equal share under the scheme, but from 2011-12 onwards the fund-sharing pattern has been revised with the Central Government contributing 75% of the funds. In case of States in the North-Eastern States, the Central Government provides 90% of the funding. Central funding is, however, subject to budgetary allocation for the Scheme.

Rs.563.00 Crore has been proposed for the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of infrastructure facilities for Judiciary for the year 2015-16.

(iii) Computerization of the District and Subordinate Courts (eCourts Mission Mode Project)

I. PHASE - I

eCourts Mission Mode Project is a National eGovernance project for ICT (Information and Communication Technology) enablement of district / subordinate courts of the country. The objective of the project is to provide designated services to litigants, lawyers and the judiciary through ICT enablement of courts.

The eCourts project was conceptualized based on 'The National Policy and Action Plan for implementation of Information and Communication Technology in the Indian Judiciary' approved by the eCommittee of the Supreme Court of India in the year 2005. In February 2007, Government approved the project for computerization of 13,348 district and subordinate courts in 2,100 court complexes at a cost of Rs. 441.80 Crore.

In September 2010, the Government approved revision in project cost to Rs. 935.00 Crore and revision in the project timelines to 31st March, 2014 for computerisation of 14,249 courts. This is Phase-I of the eCourts Mission Mode Project.

More than 93% of the activities were completed by 31st March, 2014. For the remaining activities, Government on 8th May 2014 had approved the extension of timelines of the Project by one year upto 31st March 2015, to be undertaken within the original approved cost of Rs. 935.00 Crore. National Informatics Centre (NIC) is the implementing agency for the project.

There may be some spill-over of the payments to the year 2015-16, and therefore a provision of **Rs. 2.00 Crore** is proposed under this scheme for the year 2015-16.

II. PHASE-II (NEW SCHEME)

In January 2014, eCommittee of the Supreme Court approved Policy and Action Plan Document (*hereafter* 'Policy Document') for Phase II of the eCourts Project. The Policy Document prepared by the eCommittee of Supreme Court in consultation with all the High Courts in the country and approved by Hon'ble the Chief Justice of India envisages further enhancement of ICT enablement of Courts. Accordingly, Department of Justice has formulated proposal for the Phase-II of the eCourts Project to be completed in four to five years with total estimated cost of around Rs. 2,765.00 Crore. The proposal has been appraised by the Expenditure Finance Committee (EFC), and the EFC *vide* its minutes of meeting dated 11th November 2014 has given approval for project components costing Rs 1,670.00 Crore. With regard to the component relating to scanning and digitization of case records of subordinate courts costing Rs 752.50 Crore, EFC has recommended to take up the proposal with 14th Finance Commission for allocation of resources for the same and any shortfall should be met by the State Governments since this activity falls in their domain. Accordingly, Department of Justice submitted proposal to 14th Finance Commission for this component of the project. Further, for the component on project management and manpower resources costing Rs 287.76 Crore, EFC has recommended to separately take up the issue for creation and funding of manpower with Personnel Wing of Department of Expenditure in accordance with the extant procedure. Accordingly, the proposal for project management and manpower resources component of the project costing Rs 287.76 Crore has been submitted to Personnel Wing of Department of Expenditure. A provision of **Rs. 227.13 Crore** has been proposed for the year 2015-16.

(iv) Access to Justice – NE and J&K (Government of India Project)

The Project "Access to Justice – NE and J&K" is being implemented in the eight states of North East (*including* Sikkim) and in Jammu & Kashmir at the total cost of Rs. 30.00 Crore.

The objectives of the project are to:

- Address the legal needs of the marginalized and vulnerable sections of the society, *particularly* Women, Children, Scheduled Castes, Tribal communities, who do not have the requisite means to ensure that their rights are guaranteed.
- Support justice delivery systems in improving their capacities to serve the people and in empowering the ordinary people to demand improved services and to access their rights and entitlements.
- Support innovative activities to enhance legal awareness of the vulnerable population and their ability to seek redress.

- Support Legal Services Authorities in providing legal-aid and legal-empowerment of the marginalised in the nine project States.

The project is being steered in the 9 States, *namely*, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Jammu & Kashmir.

Rs.7.00 Crore has been proposed for the year 2015-16.

(v) Access to Justice for Marginalized in India" - UNDP assisted externally aided project (EAP)

The Department of Justice has partnered with UNDP on access to justice issues since 2006 when a pilot study was conducted to identify the areas which need focused intervention. The first phase of the Project was from 2009 to 2012.

Currently, the Access to Justice Project is in its second phase (2013-2017). In continuation of the activities of the first phase, the second phase focuses on both the demand side and supply side of justice and in its endeavours promote interventions at both, the grassroots and at the policy level, across a range of stakeholders, including justice delivery stakeholders. In terms of geographical coverage, the project focuses efforts in 1-2 select districts in the 8 States of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh for better impact.

The Project is working to ensure sustainability of results achieved in the previous phase. Lessons from the first phase are being strengthened through the development of affordable, replicable and scalable models of legal-aid and legal-empowerment. Best practices on legal-aid, legal-empowerment and improved justice delivery from across the globe will be shared with a view to adapt them to the Indian context. The second phase will witness special focus on developing pilots on legal-aid and legal-empowerment, which are scalable and replicable within costs that can be afforded by the Government aided institutions, *particularly* the Legal Service Authorities.

The Project is also planning activities with other institutions including judicial academies, State Institutes of Rural Development (SIRDs), Commissions, Law Schools, Bar Councils, other Ministries and NGOs with a view to forge synergies, avoid duplication of efforts and maximize impact.

The Project is also providing embedded technical support to the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms with a view to assist the Department of Justice in achieving the goals of the Mission. To complement the mandate of National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms, this project will support Government's efforts to strengthen policy and research capacity of the Department of Justice to undertake research on key issues. Research support will also be extended to National Legal Services Authority (NALSA) and other statutory bodies.

To promote south-south cooperation, the project will also support information sharing and learning exchanges between India and other countries across the globe to create learning opportunities from good practices in terms of strategies, approaches and tools for improved legal aid for the poor.

Rs.5.00 Crore has been proposed for the year 2015-16.

(vi) Action Research and Studies on Judicial Reforms

A Plan Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms is being implemented by the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. Under the Scheme, financial assistance is being

extended for undertaking action research / evaluation / monitoring studies, organising seminars / conferences / workshops, capacity building for research and monitoring activities, publication of report / material, promotion of innovative programmes / activities in the areas of Justice Delivery, Legal Research and Judicial Reforms. The eligible implementing authorities for the Scheme are Indian Institute of Public Administration (IIPA), Administrative Staff College of India (ASCI), Indian Institute(s) of Management (IIMs), Indian Law Institute (ILI), National Law Universities (NLUs), National Council of Applied Economic Research (NCAER), National Judicial Academy (NJA), State Judicial Academies (SJAs) and other reputed institutions working in the field of justice delivery, legal education and research and judicial reforms. The guidelines for the Scheme have been issued and research proposals have been invited.

Rs.2.50 crore has been proposed for the Scheme for the year 2015-16.

(vii) Gram Nyayalayas

Gram Nyayalayas Act, 2008 was enacted to establish Gram Nyayalayas at the grass root level for the purposes of providing access to justice to the citizens at their doorsteps. The Act came into force on 2nd October, 2009. To encourage the States, the financial assistance is provided for non-recurring expenses for setting up of Gram Nyayalayas, and for meeting the cost of recurring expenditure towards running these Gram Nyayalayas for the first three years. The recurring and non-recurring assistance is subject to financial ceilings as provided in the guidelines of the scheme.

(viii) Legal Aid (National Legal Service Authority) (NALSA) (Non-Plan):

National Legal Service Authority (NALSA) lays down policies, principles, guidelines and frames effective and economical schemes for the State Legal Services Authorities to implement the Legal Services Programmes throughout the country.

The State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees, *etc.* have been asked to discharge the following main functions on regular basis:

(I) To provide Free and Competent Legal Services to the eligible persons;
(II) To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes; and
(III) To organize legal awareness camps in the rural areas.

For the year 2015-16, **Rs. 145.00 Crore (Non-Plan)** has been proposed.

(ix) Family Courts (Non Plan):

The Family Courts Act, 1984 provides for establishment of Family Courts by the State Governments in consultation with the High Courts with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs as well as the matters connected therewith. The States have been asked to consider setting-up at least one Family Court in each district. As per the information available, 410 Family Courts are functional in the country. A statement in this regard is enclosed as **Annexure-VI**.

A scheme of Central financial assistance was started in 2002-03 for the Family Courts. As per the scheme, a grant of Rs. 10.00 lakh per court was provided under the Plan for construction of the building of Family Court on the basis of the notification issued by the State Government to establish a new Family Court. Under non-plan, an assistance of Rs. 5.00 lakh per court per annum is provided for running expenditure of the Family Court. Budget Estimate proposed for the scheme for the year 2015-16 is **Rs. 5.00 Crore**.

Chapter-IV

REVIEW OF PAST PERFORMANCE

PERFORMANCE REVIEW :

Review of past performance including performance for 2013-2014 and for first three quarters of the current financial year 2014-15, in terms of target already set. Analysis of physical performance with reasons for variation and scope and objectives of individual programmes giving their physical targets and achievements.

(i) National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms

Seven meetings of the Advisory Council of National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms have so far been convened. Two meetings have been held in 2014-15. The Advisory Council has made a number of recommendations so as to improve justice delivery system, reduce pendency of cases in courts, expedite disposal of cases and also in the area of judicial & legal reforms. These recommendations are at various stages of implementation.

The Mission has taken several steps in each of the strategic areas towards fulfilment of its objectives. All States have formulated their Litigation Policies with a view to reduce the Governmental litigation. State Governments have been requested to make an assessment of the impact of the State Litigation Policies on controlling proliferation of litigation by State agencies.

An Inter-Ministerial Group (IMG) was constituted to suggest necessary amendments to the Negotiable Instruments (NI) Act along with other policy and administrative measures to check increasing litigation relating to cheque bounce cases. The IMG has suggested a number of measures including procedural and legislative changes to reduce number of cheque bounce cases.

For limiting the litigation arising out of challan cases and motor accident claims cases under Motor Vehicles Act, Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) have been requested to make necessary changes in law. A new legislation on Road Transport and Safety is on the anvil to streamline the system of payment of fines for violation of traffic rules and settlement of claims arising out of motor vehicle accidents.

Procedural Reforms for timely delivery of justice in criminal cases is one of the important initiatives of the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. Law Commission has been requested to prepare a comprehensive report on the reform of the criminal justice system after which Ministry of Home Affairs can take up the legislative measures to amend the procedural laws for speedier disposal of criminal cases.

For promotion of alternative methods of dispute resolution, mediation centres are being set up in court complexes at District and Taluka levels. Government agencies are being encouraged to include arbitration / mediation clauses in Government contracts. Law Commission was entrusted with the task of reviewing the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 in view of the several inadequacies observed in the arbitration law. The Commission has submitted its report containing proposals for amendments to the existing law to make it more effective.

Shortage of judicial officers / judges in district and subordinate courts is one of the main causes for backlog and pendency of cases in courts. The National Mission has regularly pursued this matter with the State Governments and the High Courts. As a result of the concerted efforts of all the stakeholders, the

sanctioned strength of judicial officers / judges in district and subordinate courts has increased from 17,715 at the end of 2012 to 20,214 in 2014. The mission is now pursuing the matter with the High Courts for filling up the existing vacancies.

(ii) Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure Facilities for the Judiciary

The Centrally Sponsored Scheme (CSS) relating to development of infrastructural facilities for the judiciary is being implemented by the Department of Justice since 1993-1994. The scheme includes construction of court buildings and residential accommodation for Judges / Judicial Officers covering Subordinate Courts. One of the main conditions of the scheme is that the State Government must come forward with their prescribed share to the amount released by the Central Government. However, the State Governments are free to utilize additional funds from their own resources.

As of February, 2015, the Central Government has released an amount of Rs.3,131 crore to the State Governments and UT administrations under the revised funding pattern from 2011-2014. This represents a significant increase over the sum of Rs.1,245 crore that was provided by the Central Government in the initial phase of the scheme from 1993-2011. As the present scheme is expected to continue till the end of current plan period (March, 2017), it is expected that substantial addition to judicial infrastructure will take place at the subordinate court level during this period. As per the information collected from the High Courts, as of June, 2014, there were 15,400 court halls / court rooms available for district and subordinate courts. In addition to these, 1,000 court rooms were available in rented premises. Further, 2,250 additional court rooms under construction in States and UTs to take care of immediate increase in the working strength of judges in district and subordinate courts on account of filling up of vacancies.

(iii) Computerization of the District and Subordinate Courts (eCourts Mission Mode Project)

(a) In February 2007, Government approved the implementation of a scheme for the computerization of all District and Subordinate Courts of the country, based on the 'National Policy & Action Plan' proposed by the E-Committee of the Supreme Court of India. The first phase of the scheme is currently under implementation. The project cost was revised to Rs 935.00 Crore, with timelines revised to March 2014 for computerization of 14,249 district & subordinate courts (12,000 courts by March 2012 and 2,249 courts by March 2014).

(b) As on 28th February, 2015, Out of 14,249 courts to be computerised, sites for all 14,249 courts (100%) have been made ready for computerisation, out of which LAN (Local Area Network) has been installed at 13,606 courts (95.49%), hardware at 13,436 courts (94.3%) and software at 13,323 courts (93.50%).

In addition to above, ICT infrastructure of the Supreme Court and High Court has also been upgraded. Progress on other activities of the project till 30th November 2014 is as given below:-

(i) **Laptops to Judicial Officers**: Laptops have been provided to 14,309 judicial officers.

(ii) **Software**: A unified national core application software - Case Information System (CIS) software - has been developed and made available for deployment at all computerised courts. Entry of data regarding past cases has been initiated, and data in respect of over 3 crore cases is available online.

(iii) **Judicial Service Centre**: Judicial Service Centre (JSC) have established at all computerised courts,

which serves as a single window for filing petitions and applications by litigants / lawyers as also obtaining information on ongoing cases and copies of orders and judgments *etc.*

(iv) **Connectivity**: VPNoBB connectivity provided to 2,581 Court Complexes, additional lease-line connectivity to 598 district Court Complexes.

(v) **Change Management and Training**: As part of the Change Management exercise, over 14,000 Judicial Officers have been trained in the use of UBUNTU-Linux OS and over 4,000 court staff have been trained in CIS software.

(vi) **Process Re-engineering**: eCommittee has initiated the Process Re-engineering (PR) exercise; PR Committees have been set up in all High Courts to study and suggest simplification in existing rules, processes, procedures and forms. Process Re-engineering reports have been received from 22 High Courts and the same are being analysed by the Law Commission of India.

(vii) **Video Conferencing (VC) facilities in courts and jails**: Pilot on Video Conferencing (VC) facility has been successfully completed in five districts with corresponding jails in the Country. Based on the experience of the pilot, VC is being rolled out in additional 495 locations across the country.

(viii) **National Judicial Data Grid**: All the district and subordinate courts computerised under eCourts project have been linked to National Judicial Data Grid (NJDG), which is a common repository of case records across the country. On NJDG, data entry of decided cases is being undertaken and data pertaining to pending cases is being updated on a daily basis. As on 31st October, 2014, data in respect of more than 3.92 crore cases and more than 60 lakh orders / judgments pertaining to district and subordinate Courts under the jurisdiction of 21 out of 24 High Courts have been uploaded on NJDG.

(ix) **Service Delivery*:*** The national e-Courts portal (http://www.ecourts.gov.in) has become operational. The portal provides on-line services to litigants *such as* details of case registration, cause list, case status, daily orders, and final judgments. Currently, litigants can access case status information in respect of over three crore pending and decided cases in more than 11,000 courts.

For completing the remaining activities, Government has approved the extension of timelines of the Project by one year until 31st March 2015, to be undertaken within the original approved cost of Rs 935.00 Crore.

For further enhancement of ICT enablement of Courts, 12thFive Year Plan provides for Phase II of the eCourts Project. In January 2014, eCommittee of the Supreme Court approved the Policy and Action Plan Document (*hereinafter* 'Policy Document') for Phase-II of the Project. The Policy Document encompasses the details of (i) IT Infrastructure, (ii) System and Application Software for judicial processes, (iii) Digitization and Preservation of Case Records, (iv) Video-Conferencing for all Courts and Jails, (v) Capacity Building Measures, (vi) Judicial Process Re-engineering, (vii) Workflow and Process Automation Tools and Measures, (viii) Judicial Knowledge Management System, (ix) Human Resources, and (x) Enhanced Service Delivery; and envisages (a) provision of enhanced hardware in already computerised courts, (b) computerization of additional courts that have come up after the figure of 14,249 courts was approved in Phase I, (c) computerization of additional courts that are expected to come up in the first two years of Phase II, and (d) new activities that will enhance ICT enablement of the judiciary.

In order to achieve above objectives, the following physical targets are required to be achieved during the Phase-II of the eCourts Project:

(i) Computerisation of around 5,751 new courts.

(ii) Enhanced ICT enablement of existing 14,249 computerised courts with additional hardware.

(iii) Connecting all courts in the country to the NJDG through WAN and additional redundant connectivity, equipped for eventual integration with the proposed interoperable criminal justice system (ICJS).

(iv) Citizen centric facilities *such as* Centralised Filing Centres and touch screen based Kiosks in each Court Complex.

(v) Provision of laptops, printers, UPS and connectivity to Judicial Officers not covered under Phase I and replacement of obsolete hardware provided to Judicial Officers under Phase I.

(vi) Installation of Video Conferencing facility at 2,500 remaining Court Complexes and 800 remaining jails.

(vii) Computerisation of SJAs, DLSAs and TLSCs.

(viii) Creating a robust Court Management System through digitisation, document management, Judicial Knowledge Management and learning tools management.

(ix) Installation of Cloud network and solar energy resource at Court Complexes.

(x) Facilitating improved performance of courts through change management and process re-engineering as well as improvement in process servicing through hand-held devices.

(xi) Enhanced ICT enablement through e-filing, e-Payment and use of mobile applications.

(xii) Citizen centric service delivery.

(iv) Access to Justice (NE & JK) – Government of India Project

The initiatives undertaken under the Access to Justice (NE&JK) project are given below:-

(1) Setting up of 46 Legal Aid Clinics in two most backward district of Nagaland-Tuensang and Mon**:** Nagaland State Legal Services Authority will undertake setting up 46 Legal Aid Clinics (LACs) in the most interior and remote districts of Nagaland - Tuensang and Mon. Both the districts are inhabited by Scheduled Tribes. Legal Aid Clinics will provide legal awareness to all weaker sections with special reference to Women, Schedule Tribes and Workers in the unorganized sector *etc*. Further, as a Free Legal Support Centre, it will assist in settling community disputes through Mediation / Lok-Adalats *etc*., train the members of customary judicial bodies *such as* Village Councils / Gaon Buras / DBs in principles of natural justice, create local resources by training law students, panel lawyers, para legal volunteers and NGOs.

Duration of the Project is 5 years. It will impact a population of approximately four lacs and fifty thousand people living in 242 villages.

(2) Needs Assessment Study to Identify Gaps in the Legal Empowerment of People: This study was conducted by Impluse NGO Network based in Shillong, Meghalaya. It is a field based study to identify the

gaps in the legal-empowerment of people *particularly* those that are poor, marginaised and vulnerable, and therefore do not have the means to ensure that their rights are guaranteed. It also aims to identify the obstacles and gaps in their legal-empowerment, which hinder access to justice, and to assess supporting justice delivery systems with a view to improving their capacities to serve the people and to assist in the development of an effective programme for the legal-empowerment of poor and vulnerable communities.

(3) Training of Para Legal Volunteers (PLVs) of State Legal Services Authorities (SLSAs) on Social Welfare Legislations in Eight North-Eastern States: This activity is being undetaken by Committee for Legal Aid to Poor (CLAP), a civil society organisation based in Odisha. CLAP will be trainning 400 PLVs from Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim and Nagaland (50 from each State). PLVs will be imparted awareness on various central and state social welfare legislations, schemes, programmes, judicial processes, role of State Legal Services Authority (SLSA), legal-aid among others. One set of training have been completed in all the States. Refresher trainings has begun from December 2014 onwards.

(4) Needs Assessment Study in Jammu and Kashmir: This Study is being conducted by University of Kashmir to identify gaps in the legal-empowerment of marginalised people of the State. The University has resumed the work on the project, which has been stalled due to floods. Orientation meeting was organised on December 11, 2014 at Department of Law, which was attened by the Project Management Team of DoJ. The Department of Law team is currently preparaing questionaires and identifying the areas for conduting the Study.

(5) Supporting Legal Aid Clinics in Jammu and Kashmir**:** The project is also supporting legal aid clinic established by University of Kashmir. The University has also begun work on this project. Several deliverables have been completed, work on the reserch projects and legal literacy camps have begun. Orientation meeting for this project has already taken place on December 11, 2014.

(6) Rendering Manpower support to State Legal Service Authorities (SLSAs) through appointment of a Project Team in the Nine States**:** A team of two professionals (Project Coordinator and Project Assistant) is being appointed in all the nine project States to co-ordinate the activities of Access to Justice (NE&JK) project at the States level and support the State Legal Services Authority (SLSA). The recruitments have been completed for Assam, Nagaland and Sikkim and Arunachal Pradesh and for the remaining States recruitments will be completed in January 2015.

The following activites will be undertaken in the near future in the project:

i. Traning of 400 Panel Lawyers in North East and 225 Panel Lawyers in J&K of SLSAs in the project States.
ii. Drafting a "Policy Framework Governing Rights of Orphan Children and Regulating Orphanages in Jammu and Kashmir."
iii. Training of Para-Legal Volunteers in Jammu and Kashmir.
iv. Setting up legal information kiosks in select project States.
v. Pilot on Community Policing in the North-East.
vi. Programme on Conservation and promoting sustainable use of Natural Resources, protection of traditional knowledge and community rights over land, water and forest.
vii. Addressing the Issues of Human Traficking in the North East and J&K.

viii. Awareness films / documentatries for NE & JK States on Access to Justice issues.

(v) "Access to Justice for Marginalized in India" - UNDP assisted externally aided project

The activities undertaken under the "Access to Justice for Marginalised in India", an UNDP assisted aided project, are given below:

(1) Kiosks installation in Jharkhand and Chhattisgarh – 50 voice-based information kiosks have been deployed at 50 locations in Jharkhand and Chhattisgarh. These kiosks are mainly stationed in the premises of the District courts or DLSAs in both States. The kiosks have provided legal information to 31,408 persons and sensitized them on various rights and entitlement issues.

(2) Incorporation of legal literacy content into National Literacy Mission Authority (NLMA) and State Institute of Rural Development (SIRD) – Rural Litigation and Entitlement Kendra (RLEK) has been tasked with developing two legal literacy training modules in Hindi for National Literacy Mission Authority (NLMA) and State Institute of Rural Development (SIRD), U.P. On finalization of these modules, Rural Litigation and Entitlement Kendra (RLEK) is to conduct Training of Trainers (TOTs) for 78 key resource persons selected from NLMA-run SRC, Madhya Pradesh as well as 120 faculty members of SIRD, Lucknow, UP. RLEK has already developed a training manual for Key Resource Persons of NLMA and a training manual for the faculty members of SIRD, U.P. NLMA and SIRD have incorporated the respective training manuals in their on-going activities**.** RLEK has conducted training of trainers programme for the faculty members of SIRD, U.P. and trained 116 faculty members on various legal contents and issues. The organization has also conducted training of trainers programme for key resource persons of NLMA and trained 64 Key Resource Persons (KRPs) on legal literacy.

(3) Paralegal Volunteers Training in Odisha - One of the needs expressed by National Legal Service Authority (NALSA) during the last phase of the project was developing and training Para Legal Volunteers (PLAs). Based on this expressed need a decision was taken to train PLVs for one SLSA. Odisha was the first State that was selected to carry out this activity. An NGO – Committee for Legal Aid to the Poor (CLAP) has been selected to develop a Para Legal training facilitator guide as well as to train PLVs over four districts in Odisha. The organization has developed a paralegal volunteer facilitator guide and trained 278 Para Legal Volunteers.

(4) Panel Lawyers Training in Odisha - In addition to the training of PLVs, a similar need was also expressed by NALSA to train panel lawyers. Another NGO – Multiple Action Research Group (MARG) has been selected to develop a training module for panel lawyers in Odisha and to train 100 DLSA empanelled lawyers. MARG has developed a panel lawyer training module and trained 67 DLSA panel lawyers representing 5 districts of Odisha.

(5) Initiation of Legal Services Clinics in Maharashtra and Odisha – Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai, has established one Legal Service Clinic at the TISS campus with a view to provide free legal aid services to marginalized people. The legal service clinic has facilitated 63 cases since its inauguration in September, 2014. Also, the National Law University, Odisha, has established three legal aid clinics in three districts of Odisha to provide free legal aid services to marginalized people. The clinics have taken up 183 cases for legal facilitation since their inauguration in November, 2014.

(6) Legal sensitization by using Common Service Centre Networks in Jharkhand – The project, in partnership with Alternative for India Development, is implementing a legal sensitization project by using CSC

networks in three districts of Jharkhand. The project has assisted 19,034 persons in awareness of their various rights and entitlements and facilitated 1,900 cases.

(7) Legal sensitization on Forest Rights Act in Odisha – The project, in partnership with Antodaya, is sensitizing the tribal population of Kalahandi district, Odisha, towards their forest rights and entitlements. The project has developed approximately 180 Community Rights Volunteers and sensitized 13,534 tribal population on the provisions of the Forest Rights Act. The project has facilitated 910 eligible cases for their rights and entitlements and represented their case to the competent authority.

(8) Making Courtrooms Women Friendly - Partners for Law and Development has been selected to study special courts in Delhi to assess how women friendly court procedures are. This pilot study will examine the gender sensitivity of court room procedures in rape cases, with the objective of identifying practices that are gender-sensitive as well as those that are hostile to victims of sexual violence. The overall aim of the project is to examine the extent to which court room practice in rape trials complies with standards set by law and jurisprudence, and inquire into what ideal practices ought to be, for purposes of making recommendations for improved functioning of the court and support to victims. The comprehensive report of the study is expected in March, 2015.

(9) Odisha SLSA / DLSAs supported with the services of trained United Nations Volunteers - Odisha State Legal Services Authority has been supported with the services of 11 skilled legal United Nations Volunteers with an aim to facilitate the work of the District Legal Services Authorities.

(10) Community level legal sensitization initiatives in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh – The project, in partnership, with State Institute of Rural development, U.P. is implementing a project on community level legal sensitization in Barabanki district of Uttar Pradesh since October, 2014. Similarly, Bharat Gyan Vigya Samiti is implementing community level legal sensitization project in Sehore district of Madhya Pradesh since September, 2014. Both the projects are in the preparatory phase and the actual implementation would be done from the next year.

(11) Project Scale up Initiatives – The project has initiated a few activities in other States after the implementation of pilot project of PLVs and Panel Lawyers training in Odisha. In this regard, CENTUM Learning Ltd. has been contracted to impart training to 200 PLVs in Madhya Pradesh and YUVA Rural Association has been contracted to train 200 PLVs in Maharashtra. Towards this, Action And Learning has been contracted to impart training for 100 DLSA Panel Lawyers in Odisha. All three projects are in the preparatory phase and the actual implementation would be done in the next year.

(12) National consultation on strengthening legal education and legal aid clinics in law schools - A national level consultation was organised on January 11-12, 2014 at Cuttack where members of State Bar Association participated and acknowledged the need for strengthening legal-education and legal-aid clinics in law schools.

(13) De-briefing session with the delegates who visited National Judicial Institute, Ottawa, Canada - In the month of November 2013, a delegation comprising of Directors of National & State Judicial Academies, DoJ and UNDP attended a well-designed training programme at National Judicial Institute, Ottawa, Canada. As a follow up of this exposure visit, a de-briefing session was organized on 23rd January, 2014 at the National Judicial Academy, Bhopal. The de-briefing report has been finalised and shared with all participants.

(vi) Action Research and Studies on Judicial Reforms:

A Plan Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms was formulated by the Department of Justice in September, 2013 with approval of Standing Finance Committee (SFC). The Department of Justice circulated the Scheme to all implementing agencies and invited proposals. First meeting of the Project Sanctioning Committee was held on 26th August, 2014. Out of the six proposals placed before the PSC in its 1st meeting, three proposals were approved. As per decision of PSC, necessary information has been received from three institutions, however, the guidelines of the UGC are awaited before placing the said proposals for approval of Integrated Finance Division. In the meantime, six additional proposals have been processed for placing before PSC. The Second meeting of the PSC was held in January, 2015.

(vii) Gram Nyayalayas:

The Gram Nyayalayas Act, 2008 envisages setting up of Gram Nyayayalays at intermediate panchayat level in the States / UTs to which the Act extends. So far, 10 States have notified 194 Gram Nyayalayas. Of them, 159 have started functioning in the States of Madhya Pradesh (89), Rajasthan (45), Maharashtra (10), Orissa (12), Haryana (2) and Punjab (1). Rs. 3,749.00 lakhs have been released so far to these States under Gram Nyayalayas Scheme.

The issues affecting the implementation of the Gram Nyayalayas scheme were discussed in the Conference of Chief Justices of High Courts and Chief Ministers of the States on 7th April, 2013. It has, *inter-alia*, been decided in the Conference that the State Governments and High Courts should decide the question of establishment of Gram Nyayalayas wherever feasible, taking into account their local problems. The focus is on covering those Talukas under the Gram Nyayalayas scheme where regular courts have not been set up.

(viii) Legal Aid (National Legal Service Authority) (NALSA) (Non-Plan):

The Ministry of Law and Justice has been sanctioning grants-in-aid to NALSA. During the financial year 2014-15, an amount of Rs.82.65 crore has been released, and for the year 2015-16, Rs. 145.00 Crore (Non-Plan) has been proposed.

During the period from 1st April, 2014 to 30th September, 2014**,** 76,557 Lok Adalats were organised. These Lok Adalats settled more than 34.37 lakh cases. In about 46,768 Motor Vehicle Accident Claim cases, compensation to the tune of Rs.894.85 crore has been awarded.

2ND NATIONAL LOK ADALAT: The 2nd National Lok Adalat for settlement of cases in all the courts right from the Supreme Court of India to the Taluka Courts was held on 06.12.2014 throughout the country, under the aegis of NALSA. The Lok Adalat benches from the Supreme Court to the Taluk Courts had successful sittings and a large number of pending cases were disposed of bringing pendency down by about 9 % on an average throughout the country.

(ix) Family Courts (Non Plan):

In 2013-14, Rs. 5.00 crore was provided at the Budget Estimates under the Family Court (Non-Plan) and same was released to the State Government of Bihar. During financial year 2014-15, out of Budget Estimates of Rs. 5.00 crore, Rs. 3.75 crore was released to the State Government of Uttar Pradesh and Rs. 1.00 crore was released to the State Government of Chhattisgarh. Budget Estimate proposed for the scheme for the year 2015-16 is Rs. 5.00 crore.

CHAPTER-V

FINANCIAL REVIEW AND TRENDS OF EXPENDITURE

The financial review (scheme-wise) covering overall trends in expenditure vis-à-vis the Budget Estimates/ Revised Estimates is indicated in the statement at **Annexure-VII.**

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Name of the Plan Scheme	BE 2014-15	RE 2014-15	Expenditure upto 28.02.2015
1.	Grants-in-aid to State Governments – Major Head 3601 - Minor Head 04.891 – Administration of Justice – 40 - Grants to Centrally Sponsored Scheme (CSS) - 01- Grants to *States other than NE States* for infrastructure facilities for judiciary.	782.39	842.39	842.39
2	Grants-in-aid to *UT Governments (with and without Legislature)* – Major Head 3602 - Minor Head 04.891 – Administration of Justice – 40 Grants to Centrally Sponsored Scheme (CSS) -01- Grants for infrastructure facilities for judiciary.	60.00	0.00	0.00
3	Grants in aid to *NE States* – Major Head 2552 for infrastructure facilities	93.60	93.60	93.60
4	Assistance to States for Establishing Gram Nyayalayas Major Head 2014.	0.01	3.01	0.00
5	National Mission – Action Plan Implementation.	5.00	0.01	0.00
6	Action Research and Studies on Judicial Reforms.	5.00	1.00	0.00
7	Access to Justice-Government of India	8.00	4.66	1.83
8	Access to Justice – Externally aided	5.00	7.59	6.39
	Computerisation of Districts and Subordinate courts (eCourts Phase I)	58.00	35.00	3.01
	Computerisation of Districts and Subordinate courts (eCourts Phase II)	60.00	0.01	0.00
	Setting up of Model Courts (Not yet approved)	26.00	0.01	0.00
	Total	**1103.00**	**987.28**	**947.22**

The Department of Justice releases grants to the State / UTs for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary on the 75:25 share pattern. The grant, under the Scheme for NE States, is provided on 90:10 basis.

Further, the grants under the Gram Nyayalayas Scheme is provided @ Rs. 18.00 lakhs as one-time non-recurring and Rs. 3.2 lakhs as recurring expenditure per Gram Nyayalaya for first three years of its operation.

The details of pending utilization certificates in respect of Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary and Gram Nyayalayas Scheme are indicated in the **Annexure-VIII.**

CHAPTER-VI

EVIEW OF PERFORMANCE OF STATUTORY AND AUTONOMOUS BODIES.

Department of Legal Affairs has been sanctioning Grants-in-aid to certain institutions engaged in research work in the field of law, to promote studies and research in the matters of Law. The performance of such bodies is discussed hereunder:-

1. INDIAN LAW INSTITUTE

(a) **Indian Law Institute** (ILI) is a Premier Legal Research Institute established in the year 1956 with the objectives to cultivate the Science of Law, to promote Advanced Studies in Legal Research so as to relate law with socio-economic development and need of the common man, to ensure systematization of law, to encourage and conduct exploration in legal education system and to publish the outcome of the studies in the form of books and periodicals. Hon'ble Chief Justice of India is the Ex-officio President of the Institute. The Institute was granted Deemed University Status in 2004 vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-9/2001-U.3 dated 29.10.2004. This Department has been sanctioning grants-in-aid to ILI. As on 31.01.2015, an amount of Rs. 81.75 Lakhs has been released to the Institute during FY 2014-15.

(b) **Academic Programmes:** After the declaration of Deemed University in the year 2004, the institute launched research oriented LL.M. programme. The admission in LLM programme is strictly on merit basis in Common Admission Test (CAT) and Personal Interview conducted every year. Presently the Institute offers the following Academic Programmes with corresponding enrollment:

Academic Programme(s)	**Students Enrolled as on 31.12.2014 (Academic Session 2014-15)**
LL.M.- 1 Year (Full Time)	25
LL.M.- 2 Year (Full Time)	37
P G Diploma Courses(Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws)	191
Ph.D in Law	05
Total No. of Students	**258**

- The Institute has a Ph.D. programme and 24 scholars are enrolled as on date.
- The Institute also conducts on line e-learning certificate courses on IPR and Cyber Law of three months duration. Batch No. 17, 18 & 19 of Online Cyber Law and Batch No. 28, 29 & 30 of Online IPR Course were completed during the above period.

(c) Research Publications Released

The following research publications were released by the Institute during the period under report:

- ***Journal of the Indian Law Institute*** **(JILI).** It is being published on a quarterly basis and contains research articles on topics of current importance in legal arena referred in the context International Importance.

- ***ILI Newsletter.*** It is also being published on a quarterly basis and contains details of the activities undertaken by the Institute during the quarter and the forthcoming activities.
- ***Index to Legal Periodicals.*** It is being published on yearly basis and contains indexes of periodicals (including year books and other annual publications) pertaining to law and related fields being received by the ILI Library.
- ***Digitization of Documents***. The ILI digitized more than 2.5 lakh pages of the ILI publication and rare documents and those are available in DVD form.

(d) Activities in ILI (Seminar/conference/training/workshop/visits/special lectures)

- Students of Erasmus School of Law, Erasmus University of Rotterdam, Netherlands visited Institute on 03.04.2014 during their Corporate Law Tour in India for a Corporate Research Project.
- Students of Bimal Chandra College of law, Murshidabad visited on 04.04.2014.
- Hon'ble Mr. Justice Kalyan Shrestha, Judge, Supreme Court of Nepal led a delegation from Nepal visited the Indian Law Institute on 29.05.2014.
- Common Admission Test (CAT) for admission to the LL.M. Programmes was conducted on 14.06.2014 at Delhi.
- Seminar on Need for Restraint in Expressing Views in Sub-judice Matters was organized at Cuttack on 21.06.2014.
- Prof. (Dr.) S. Sivakumar visited the Supreme Court of Bhutan on 26.06.2014 to discuss about the Restatement of Indian Law Project with the Hon'ble Chief Justice of Bhutan Mr. Lyonpo Sonam Tobdye.
- Admission test for Ph.D. was conducted on 10.08.2014. Five candidates have been selected on merit for admission to Ph. D Programme 2014.
- Students of Hoogly Mohsin College, West Bengal visited the institute on 27.08.2014.
- Shri Kishore Singh, UN Special Rapporteur, Right to Education, United Nations, Genava/ New York visited the institute on 02.09.2014.
- Students of Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, Rajasthan visited the institute on 09.09.2014.
- Students of Durgapur Law College, West Bengal visited the institute on 15.09.2014.
- Training Programme for the Prison Officers was jointly organized with National Human Rights Commission (NHRC) on September 19-20, 2014.
- Training Programme for Officials of Old Age Homes and Juvenile Homes was jointly organized with National Human Rights Commission on 17.10.2014.
- Workshop on Prosecution Complaint under PMLA was organized jointly with Enforcement Directorate on 01.11.2014 and inaugurated by Hon'ble Mr. Justice Anil R Dave, Judge, SCI.

- The Institute organized its First Annual Law Conference on the theme ***"Human Rights: Contemporary Issues and Challenges"*** on 10.12.2014**.**

- The Institute is organising a conference for sensitisation of Judicial Officers in association with NHRC on December 20-21, 2014.

- Twelve Special Lectures/Interaction with ILI faculty members/students were conducted.

(e) Research Projects

- The National Investigation Agency (NIA) Ministry of Home Affairs, Govt of India has entrusted a project to prepare a "Compendium of Terrorism Related cases and to draft a model investigation and procedural manual". The work is under progress.

- The project on "Meaning and status of pendency of court cases in Allahabad High Court and Calcutta High Court" entrusted by Department of Justice, Ministry of Law and Justice is under process.

- The CBI Academy Ghaziabad has entrusted a project for the Development of a module on" Primacy of Rule of Law" to be introduced in the training modules for the officers of the CBI and other law enforcement agencies.

- Restatement of Indian Law: Hon'ble Chief Justice of India, President of ILI has constituted the "Restatement of Indian Law Committees" on Direct-Indirect Taxes, Constitutional law and Criminal law.

2. Institute of Constitutional and Parliamentary Studies

(a) The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies was set up on 10th December, 1965 with aim to promote and provide for Constitutional and Parliamentary Studies with special reference to the evolution and working of the Indian Constitution in all its aspects. This Department has been sanctioning grants-in-aid to ICPS. As on 31.01.2015, an amount of Rs. 99.49 Lakhs has been released to the Institute during FY 2014-15.

During the period under report, following activities have been taken at the Institute:

(b) Diploma Courses

Institute offers Parliamentary Fellowship Programme and two diploma courses, one in Constitutional Law and another in Parliamentary Institutions and Procedures. The three courses offered by the Institute are post-graduate part-time courses and are an annual feature. Classes for the three courses are held in the evening at the Institute's premises.

Admissions to the three courses for the current academic year 2014-15 were held in the June-July 2014 a total of 47 students have been enrolled for the three courses. Subsequent to an Induction Programme organised during last week of July 2014 for the benefit of the students, classes for the courses are being held since Aug 02, 2014.

(c) Journals

Institute published two quarterly research journals viz. Journal of Constitutional and Parliamentary Studies (in English) and Loktantra Samiksha (in Hindi). The two are prestigious and well referred publications of the

Institute having ISSN: 0022 – 0043 and ISSN: 0024 – 595X, for the English and Hindi journal, respectively.

During the period under report, Jan-June 2014 issues of both the journals have been edited and would be published soon. Also the work of editing of scripts for the July-Dec issues of both the journals is in progress.

3. The International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR)

The International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) was registered under the Societies Registration Act, 1860 on 31st May, 1995. It is an autonomous organization working under the aegis of the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs with its Headquarters at New Delhi and Regional Centres at Hyderabad and Bengaluru. It has been established to promote, popularise and propagate alternative dispute resolution methods to facilitate early resolution of disputes and to reduce the burden of arrears in Courts.

(a) Arbitration Cases

(i) The Centre at New Delhi has so far received 48 cases for arbitration including 3 International cases and 4 cases for conciliation. The Arbitral Tribunals have disposed of 39 arbitration cases and hearings in remaining 9 cases are in progress.

(ii) ICADR continues to receive several requests from Departments of the Government/PSU's for appointment of arbitrators in cases where they are parties. The ICADR has been furnishing panels of arbitrators to the Government/PSU's of India for appointment of arbitrators.

(iii) Arbitration Halls at the offices of the Centre at New Delhi and Hyderabad are being utilised frequently by the Government Departments, PSUs and Private parties for conduct of Arbitration Cases on payment of nominal charges by the parties. Since October 2005 till 15th December, 2014, 577 hearings by different Ministries and other parties and 429 hearings by Arbitrators appointed by ICADR in various cases have taken place in ICADR's Headquarters building. Similarly 710 hearings by Arbitrators have taken place in Regional Office Hyderabad from 1999 till 15th December, 2014.

(b). Seminars/ Workshops/Training Programmes/Lectures/Diploma Courses

The ICADR has organised 1 International Conference, 4 Training Programmes in Mediation and ADR and 1 Seminar on ADR and continues with its PG Diploma Courses in ADR (2014) and FDR (2014) during the above mentioned period. ICADR, Headquarters has started its monthly News Letter in November, 2014.

(c). Agreements

The ICADR has Cooperation Agreements with the following Foreign Organisations:

(A) The Arbitration and Mediation Centre of the World Intellectual Property Organisation of Geneva.
(B) The Thai Arbitration Institute Bangkok
(C) The Korean Commercial Arbitration Board, Seoul, (Korea)
(D) The Chartered Institute of Arbitrators, London and
(E) The Association of Arbitration Courts of Uzbekistan.

The said Agreements cover three areas, namely, mutual exchange of information, mutual assistance in the conduct of proceedings and mutual assistance in organising training and other activities.

International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) has also entered into a Memorandum of Co-operation (MOC) with the following organisations :-

(1) International Council of Consultants (ICC) and Construction Industry Development Council (CIDC) to jointly work in collaboration with Singapore International Arbitration Centre towards strengthening the ADR movement.

(2) India CIS Chamber of Commerce and Industry, New Delhi mainly to popularize arbitration and mediation as means of settling disputes arising out of international and domestic commercial transactions.

International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) has also entered into a Memorandum of Understanding (MOU) with the following organisations :-

(1) Alternative Dispute Resolution Centre, Kochi, Kerala for promoting ADR in Kerala and jointly organising training Programmes/Seminars/Conferences on Mediation and Arbitration and also undertaking Research Studies in the field of ADR.

(2) National Law University, Delhi to jointly conduct P. G. Diploma Courses in Alternative Dispute Resolution, Family Dispute Resolution, both on regular basis and through proximate education and for conducting Training Programmes in Arbitration and Mediation.

(3) Damodaram Sanjivayya National Law University (DSNLU), Visakhapatnam. Under this MOU, DSNLU will be conducting P.G. Diploma in ADR (Regular Course for 6 months) at Vishakapatnam in collaboration with ICADR.

(4) ICADR has also entered into a Memorandum of Understanding with Jindal Global Law School, O.P. Jindal Global University, Sonipat, Haryana, India to jointly promote the learning and teaching of ADR methods and research therein by developing new Courses and organising various Workshops, Seminars, Conferences, Training Programmes etc. in the field of ADR.

LEGISLATIVE DEPARTMENT

The Legislative Department does not have any statutory or autonomous body under its control.

DEPARTMENT JUSTICE

REVIEW OF PERFORMANCE OF STATUTORY AND AUTONOMOUS BODIES UNDER THE ADMINISTRATIVE CONTROL OF THE MINISTRY/DEPARTMENT

The Department of Justice provides grant-in-aid to the autonomous body under its control, namely, the National Judicial Academy (NJA). It is a registered Society under the Societies Registration Act. It has been established with effect from 17th August, 1993. The affairs of the Academy are managed by a Governing Council which is chaired by the Hon'ble Chief Justice of India.

The core objectives of the said society have been to foster development of National Judiciary in the country and to strengthen administration of Justice through judicial education, research and policy formulation.

The Academy is fully funded by the Government of India. In 2014-16, Rs.10.74 crore was earmarked at B.E. stage under non- plan head. Out of said budget provision of Rs.954.59 lakh has been released to NJA upto March, 2015.

ANNEXURE-I
See Chapter-1 Para-2 Sub-Para-3
Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs
ORGANISATION CHART

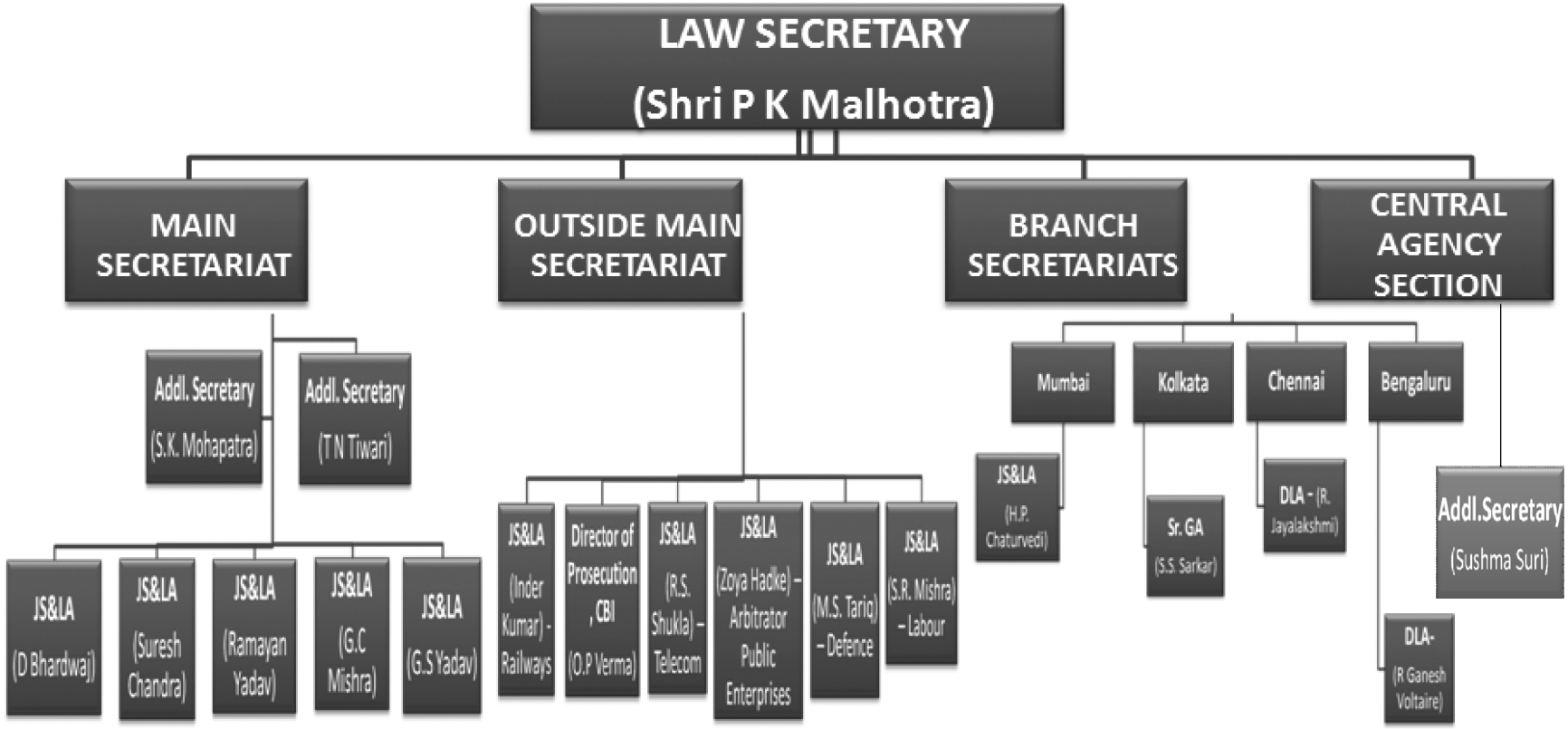

Legend:	
Addl. Secretary	Additional Secretary
JS & LA	Joint Secretary & Legal Adviser
DoP	Director of Prosecution
Sr. GA	Senior Government Advocate
Addl. LA	Additional Legal Adviser
Addl. GA	Additional Govt. Advocate
DLA	Deputy Legal Adviser
DGA	Deputy Government Advocate
ALA	Assistant Legal Adviser

Annexure-II

See Chapter-1, Para-3

Organisation Chart of the Legislative Department (Main)

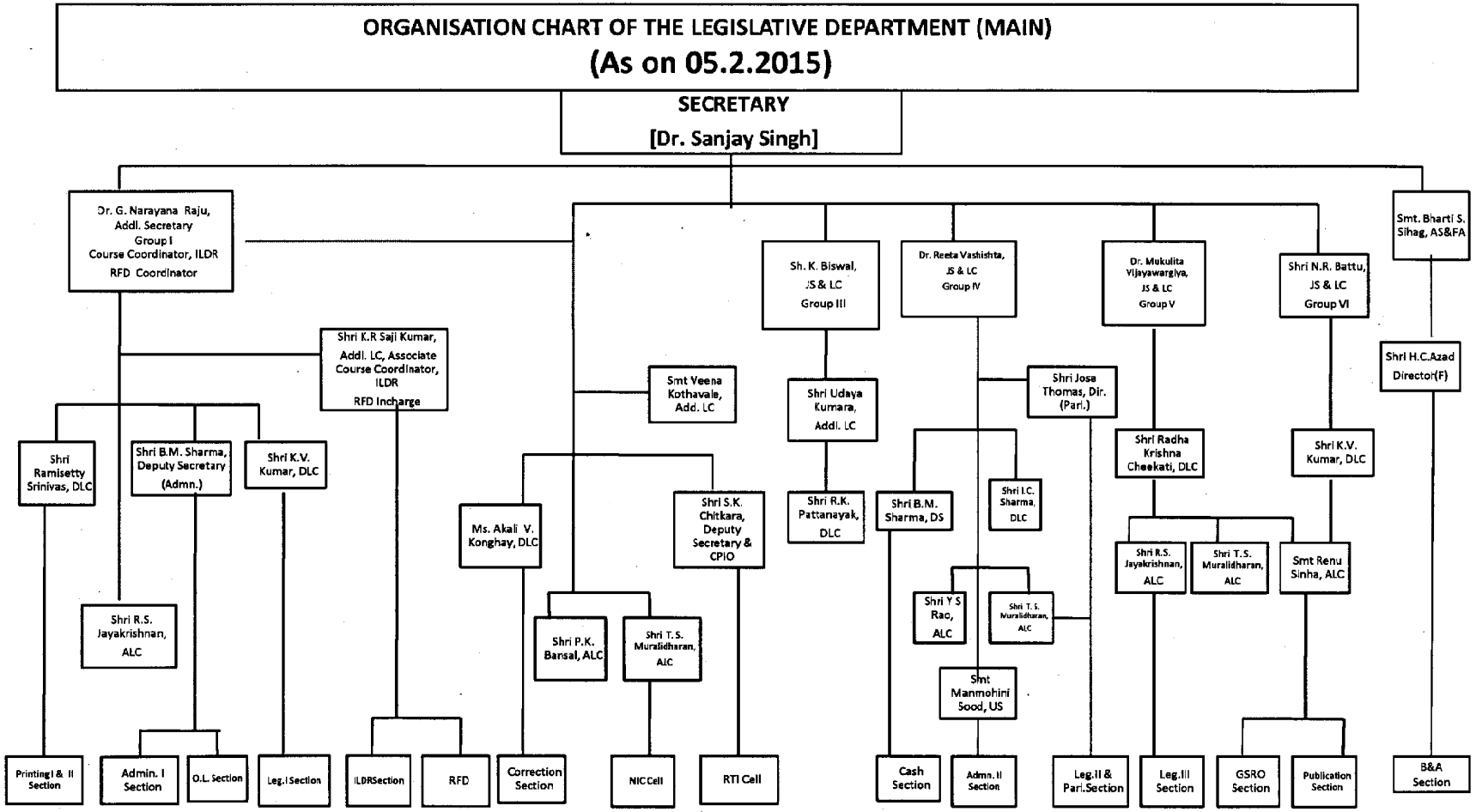

Annexure - III
(See Chapter-1, Para-6)
Organization Chart of Department of Justice

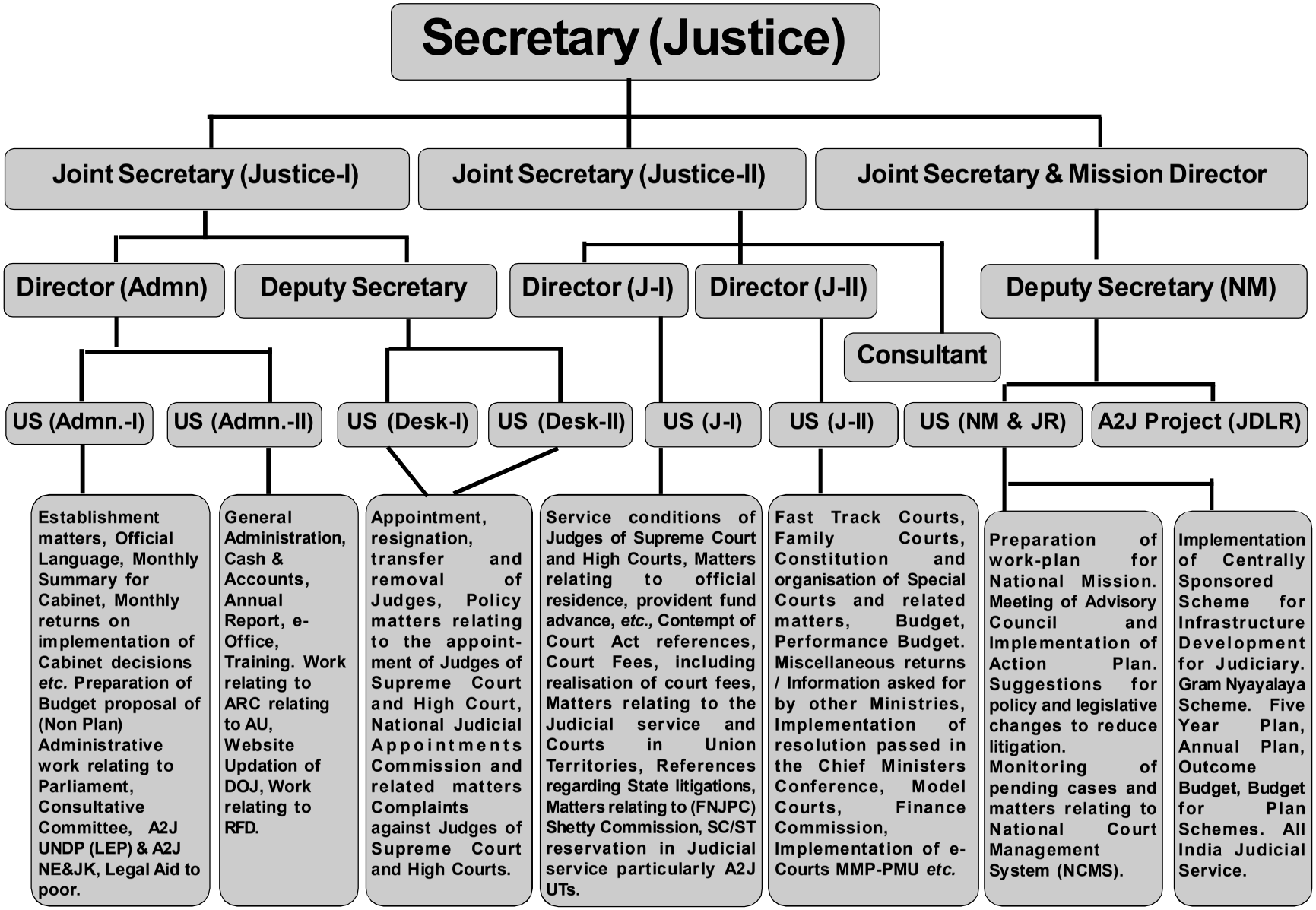

Annexure - IV

Details of the Financial Outlays, projected physical outputs and projected/budgeted outcomes

Name of the Ministry / Department: Ministry of Law & Justice (Department of Justice)

(Rs. In Crore)

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2015-16				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3		4		5	6	7	8
1.	Grant-in-aid to States other than North-Eastern States for infrastructure facilities for judiciary.	The provision is for construction of court buildings and residential premises of judges and judicial officers of the District and Subordinate Courts.	3601	0.00	443.69	0.00	Construction of court buildings and residential accommodation for Judges and Judicial Officers of the District and Subordinate Courts.	Development of infrastructure facilities for subordinate judiciary is a thrust area of the National Mission for Justice Delivery and Judicial Reforms. No outcome may be projected at this stage.	The activities under this scheme run throughout the year. However the grant is to be utilised within the complete financial year against the target to be set by the National Mission for Justice Delivery and Judicial Reforms in consultation with the State Governments.	Utilisation of funds by the State Governments under this Scheme has been encouraging. States have placed demands for much higher Central allocation. Besides Supreme Court is also regularly monitoring the progress under this Scheme in the case of All India Judges Association Vs. Union of India to remove infrastructural difficulties of Subordinate judiciary.
2.	Grant-in-aid to Union Territories with and without Legislature for infrastructure facilities for judiciary.		3602	0.00	63.00	0.00				

3.	Lump-sum provision for projects / scheme for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim.	The Provision is for projects / schemes for the benefit of the North East States and Sikkim, which will be diverted to appropriate functional heads to cater to specific plan schemes.	2552	0.00	56.30	0.00	Not applicable as this is a non-functional head and there are provisions for transfer of funds to appropriate functional heads to meet the Objectives as spelled out in respect of such heads.			
4.	Assistance to State for setting up and operationalisation of Gram Nyayalayas	To provide access to justice to the citizens at their doorsteps.	3601	0.00	0.01	0.00	Gram Nyayalayas will be established and operationalsed by the State Government under the provision of the Gram Nyayalayas Act.	Inexpensive justice will be available to people in rural areas at their doorsteps.	The activities under this scheme run throughout the year. However the grant is to be utilised within the complete financial year against the target to be set by the National Mission for Justice Delivery and Judicial Reforms in consultation with the State Governments.	NIL
5.	Computerization of District and Subordinate Courts (eCourts MMP Phase – I)	The objective of the eCourts project is to provide designated services to litigants,	2014	0.00	2.00	0.00	Site Preparation and provision of computer hardware and LAN connectivity at 14,249 courts,	Computerization of District & Subordinate courts across the country to provide designated services to litigants, lawyers	In the year 2007, the Government approved the computerisation of 13,348 district & subordinate courts over a two	National Informatics Centre (NIC) is the implementing agency and as on 30th November 2014, 13,323

		lawyers and the judiciary by universal computerization of district and subordinate courts in the country. This will *inter alia* facilitate faster disposal of cases, provide transparent flow of information on case status *etc*					provision of ICT training to judicial officers and court staff, provision of application software and web based applications, along with data entry of pending cases in the locations where software is rolled out.	and the judiciary by universal computerization in the country and enhancement of ICT enablement of the justice system.	year period at the cost of Rs 441.80 crore. In September 2010, in the light of cost and time over-runs, the CCEA approved revision in project cost to Rs. 935.00 crore and revision in the project timelines to 31st March, 2014 for computerisation of 14,249 courts. As on 31st March 2014, more than 93% of the activities were completed. For the completion of balance activities, Government has approved extension of project timeline upto 31st March, 2015.	Courts have been computerized
6.	eCourts MMP Phase – II	Phase-II of the Project involves further enhancement of ICT enablement of Courts	2014	0.00	227.13	0.00	Computerisation of new courts, DLSAs/ TLCs offices, additional hardware in existing courts; computer	A consolidation of all the initiatives and measures proposed to be taken up and installation of the components planned in Phase-II	The Phase II of the eCourts project is proposed to be completed in four years duration (first three years of	The proposal for Phase II of the eCourts Project was submitted for the apporoval of the Expenditure Finance Committee (EPC).

							training labs in SJAs; (ii) connectivity improvements, cloud computing, ICJS readiness; (iii) centralised Filing Centres and Kiosks with touch-screen and printer in Courts Complexes; (iv) Digitization, Document Management System, Learning Management Tools, Enhanced Change Management and Judicial Knowledge Management System; and (v) e-filing, e-payment gateways and mobile applications, litigant's charter *etc.*	of the project will result in multi-platform services for the litigants under the Charter of Services. The Charter of Services will serve as a guiding baseline to make Phase-II of the Project as litigant service centric as possible. The services envisaged under the project will cater to all stakeholders including the judiciary, citizens, litigants and advocates alike.	Infrastructure & Implementation phase and fourth year for hand-holding phase) within the estimated cost of Rs. 2764.90 Crore	The meeting of EFC to consider the proposal was held on 29th September 2014 and the minutes of the meeting duly approved by Secretary (Expenditure) have been received from the Ministry of Finance on 11th November 2014.
7.	Access to Justice, Government of India	The project is meant for increased access to justice for	2014	0.00	7.00	0.00	The project aims to achieve following broad objectives:* Taking steps to	Reducing barriers and enhancing access to justice for the marginalised in the nine project	Five Years	NIL

		marginalised people for developing their capacities to demand justice. It also supports justice delivery organisations in better serving the people					implement recommendations of the Study conducted to identify gaps in the legal-empowerment of people in North Eastern States and Jammu and Kashmir*Nine SLSAs will be provided with trained para legal volunteers and panel lawyers.Opening and successfully running legal aid clinics in two most backward districts of the County-Tuensang and Mon in Nagaland as well as the Law Colleges/ Universities. *Provision of manpower support to 9 SLSAs for smooth implementation of Access to Justice Project*Increased legal awareness of the	StatesStrengthening LSAs in the states by providing them with a trained cadre of PLVs and Panel Lawyers.		

							marginalised sections of the project states. The focus will be in line with the overall project goal identified for 5 years with an extra effort to initiate innovative activities.			
8.	Access to Justice for Marginalized in India" - UNDP assisted externally aided project	To promote interventions at both, the grassroots and at the policy level, across a range of stakeholders, including justice delivery stakeholders.	2014	0.00	5.00	0.00	Best practices on legal-aid, legal-empowerment and improved justice delivery from across the globe will be shared with a view to adapt them to the Indian context. The second phase will witness special focus on developing pilots on legal-aid and legal-empowerment which are scalable and replicable within costs that can be afforded by the government aided institutions,	To promote south-south cooperation, the project will support information sharing and learning exchanges between India and other countries across the globe to create learning opportunities from good practices in terms of strategies, approaches and tools for improved legal aid for the poor.	Five Years	NIL

							particularly the Legal Service Authorities.			
9.	Action Research and Studies on Judicial Reforms	Action Research for policy initiatives and judicial reforms measures, effect of pendency reduction drives, *etc*. could be carried out. The studies recommended by the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms may also be conducted.	2014	0.00	2.50	0.00	The activities under the Scheme are likely be taken up by the National Mission to help implement the mandate of the National Mission in reducing arrears and delays in Justice delivery system and other areas of judicial reforms.	The studies that will be commissioned and could be carried out through organisation like IIMs, ILI, NJA, National Law Universities, National Council for Applied Economic Research etc.	No time line can be fixed as the proposed activities are subjective in nature. Activities under this Scheme spread throughout the year.	This is being implemented by the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms.
	National Mission – Action Plan Implementation	National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms to realise the objectives set out in the Vision Document that was considered, delivered and endorsed by a Resolution at the end of a National Consultation for	2014	0.00	0.01	0.00	National Mission has undertaken several strategic Initiatives to (i) Outlining policy and legislative changes, (ii) Re-engineering of procedures and court processes, (iii) Focussing on Human Resource Development, (iv) Leveraging Information and	The thrust of the National Mission is to devising strategies to reduce pendency and delays in the justice delivery and other judicial reforms in the country.	No time lines can be fixed. Activities are spread throughout the year. The activities include consultation with various stake holders, commencing studies on the different aspect of the judicial reforms.	The Action Plan is being implemented by the National Mission. National Mission – Action Plan Implementation is not required now, as in its place a Technical support Cell at Central level, funded by UNDP, has been set up, as such only token amount

		strengthening the Judiciary towards reducing pendency and delays held by the Department					Communication Technology & tools for better justice delivery, and (v) Improving Infrastructure for district and subordinate judiciary.			has been proposed in BE 2015-16
11.	Family Courts (Non-Plan)	Provision is made for the running expenditure of Family courts in States/Union Territories	3601	5.00	0.00	0.00	Running expenditure of Family courts	Faster settlement of matrimonial disputes.	Funds released every year on receipt of request from State Government supported by UCs result in delay in release of funds.	Funds are utilised by State Governments. Non submission/ delayed submission/ inaccurate UCs result in delay in release of funds.

Annexure – V

(Chapter - II, Part - II, Para - 2)

Statement showing targets vis-à-vis achievements in respect of Plan / Non Plan Schemes of Department of Justice for the year 2014-15

SL.No	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Quantifiable Deliverables	Achievements
1	2	3	4	5
1.	Centrally Sponsored Scheme Infrastructure facilities for judiciary	The provision is for construction of court buildings and residential premises of judges and judicial officers	Construction of court buildings and residential accommodation for Judges and Judicial Officers.	Rs. 895.00 crore has been disbursed to different States/ UTs during 2013-14. During 2014-15, an amount of Rs. 936.00 crore has been released till 28th February, 2015. In the joint conference of Chief Ministers and Chief Justices of the High Courts held in New Delhi on 07th April 2013, the Chief Justice of India observed that adequate infrastructure in subordinate courts need to be provided. It was decided that the mechanism created by the Hon'ble Supreme Court in I.A. No. 279 in Writ Petition (C) No. 1022 of 1989 of District and State Committees be made a permanent feature and the Chief Justices of High Courts should actively utilise the said mechanism for ensuring timely proposals for creation, furnishing, maintenance and development of infrastructure of Court buildings and residences. The State Governments shall render assistance to the High Courts in the matter. Further, the State Governments shall allocate adequate and suitable land / sites for the purpose of Court complexes and residential quarters, on priority basis.
2.	Computerization of District and Subordinate Courts (E-Courts MMP Phase-I)	For providing automated electronic decision support systems for the judiciary in all the courts of the country including District and Subordinate Courts, which will, *inter-alia,* facilitate faster disposal of cases, provide transparent flow of information on case status, *etc.*	Site Preparation and provision of computer hardware and LAN connectivity at 14,249 courts, provision of ICT training to judicial officers and court staff, provision of application software and web based applications, along with data entry of pending cases in the locations where software is rolled out.	a) As on 28th February, 2015, more than 93% of the activities have been completed under Phase I. Sites for all 14,249 courts (100%) have been made ready for computerisation, LAN has been installed at 13,606 courts (95.49%), hardware installed at 13,436 courts (94.3%) and software deployed at 13,323 courts (93.50%). b) As on 31st October, 2014, data in respect of more than 3.92 crore cases and more than 60 lakh orders / judgments pertaining to district and subordinate Courts under the jurisdiction of 21 out of 24 High Courts have been uploaded on NJDG. (c) eCourts portal ((http://www.ecourts.gov.in) provides online services to litigants and currently, litigants can access case status information in respect of over 3 crore pending and decided cases in more than 11,000 courts.

3.	Computerization of District and Subordinate Courts (E-courts Phase -II)	Phase II would enable the courts to exercise greater control over the management of cases in the docket. The services envisaged under the project will thus cater to all stakeholders including the judiciary, litigants and lawyers. ICT enablement will make the functioning of courts efficient and transparent, which will have an overall positive impact on the justice delivery system.	Phase-II of the project will result in multi-platform services for the litigants under the Charter of Services. These services include, *inter alia,* case registration, cause lists, daily case status, and final order/ judgment uploading which have been provided in Phase I. Further, e-filing of cases, e-payment of court fees, process service through email and through process servers having hand held devices, receipt of digitally signed copies of judgments are some of the services to be added in Phase II. The Charter of Services will serve as a guiding baseline to make Phase-II of the Project as litigant service centric as possible.	Based on the Policy Document approved by the eCommittee of Supreme Court, Department of Justice is in the process of formulating eCourts Phase -II project. The proposal for eCourts Mission Mode Project Phase II was submitted to the Expenditure Finance Committee for their approval. The meeting of Expenditure Finance Committee to consider the proposal was held on 29th September 2014 and the minutes of the meeting duly approved by Secretary (Expenditure) have been received from the Ministry of Finance on 11th November 2014.
4.	Assistance to State Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas	The provision is for providing recurring and non-recurring expenses for establishment and operationalization of the Gram Nyayalayas	The Act notified in 2009 and brought into force on 2nd October, 2009.	A total number of 194 Gram Nyayalayas have been notified so far in the State of Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Jharkhand, Punjab, Haryana and Goa, of which 159 have been operationalized. An amount of Rs 500 lakh has been disbursed to the above states towards recurring and non-recurring expenditure during 2013-14. During the year 2014-15, Rs. 3.00 crore has been disbursed.
5.	Action Research and Studies on Judicial Reforms	Action Research for policy initiatives and judicial reforms measures, effect of pendency reduction drives, etc. could be carried out. The studies recommended by the National	The activities under the Scheme are likely be taken up by the National Mission to help implement the mandate of the National Mission in reducing arrears and delays in Justice delivery system and other areas of judicial reforms.	This scheme is being implemented by National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms

		Mission for Justice Delivery and Legal Reforms may also be conducted.		
6.	Access to Justice, Government of India	The project is meant for increased access to justice for marginalised people for developing their capacities to demand justice. It also supports justice delivery organisations in better serving the people	The project aims to achieve following broad objectives: * Taking steps to implement recommendations of the Study conducted to identify gaps in the legal empowerment of people in North Eastern States and Jammu and Kashmir *Nine SLSAs will be provided with trained para legal volunteers and panel lawyers. Opening and successfully running legal aid clinics in two most backward districts of the County- Tuensang and Mon in Nagaland as well as the Law Colleges/ Universities. *Provision of manpower support to 9 SLSAs for smooth implementation of A2J Project *Increased legal awareness of the marginalised sections of the project states. The annual work plan 2015-16 for the project is not yet finalised. However, the focus will be in line with the overall project goal identified for 5 years with an extra effort to initiate innovative activities.	(1) Setting up of 46 Legal Aid Clinics in two most backward district of Nagaland-Tuensang and Mon**:** Nagaland State Legal Services Authority will undertake setting up 46 Legal Aid Clinics (LACs) in the most interior and remote districts of Nagaland - Tuensang and Mon. Both the districts are inhabited by Scheduled Tribes. Legal Aid Clinic will provide legal awareness to all weaker sections with special reference to Women, Schedule Tribes and Workers in the unorganized sector *etc*. Further, as a Free Legal Support Centre, it will assist in settling community disputes through Mediation / Lok-Adalats *etc*., train the members of customary judicial bodies *such as* Village Councils / Gaon Buras / DBs in principles of natural justice, create local resources by training law students, panel lawyers, para legal volunteers and NGOs. Duration of the Project is 2 years. It will impact a population of approximately four lacs and fifty thousand people living in 242 villages. (2) Needs Assessment Study to Identify Gaps in the Legal Empowerment of People: This study was conducted by Impluse NGO Network based in Shillong, Meghalaya. It is a field based study to identify the gaps in the legal-empowerment of people particularly those that are poor, marginaised and vulnerable, and therefore do not have the means to ensure that their rights are guaranteed. It also aims to identify the obstacles and gaps in their legal-empowerment, which hinder access to justice, and to assess supporting justice delivery systems with a view to improving their capacities to serve the people and to assist in the development of an effective programme for the legal-empowerment of poor and vulnerable communities. (3) Training of Para Legal Volunteers (PLVs) of State Legal Services Authorities (SLSAs) on Social Welfare Legislations in Eight North Eastern States: This activity is being undetaken by Committee for Legal Aid to Poor (CLAP), a civil society organisation based in Odisha. CLAP will be trainning 400 PLVs from Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim and Nagaland (50 from each State). PLVs will be imparted awareness on various central and state social welfare legislations, schemes, programmes, judicial processes, role of State Legal Services Authority (SLSA), legal aid among others. One set of training have been

				completed in all the States. Refresher trainings has begun from December 2014 onwards. (4) Needs Assessment Study in Jammu and Kashmir: This Study is being conducted by University of Kashmir to identify gaps in the legal-empowerment of marginalised people of the State. The University has resumed the work on the project, which has been stalled due to floods. Orientation meeting was organised on December 11, 2014 at Department of Law, which was attened by the Project Management Team of DoJ. The Department of Law team is currently preparaing questionaires and identifying the areas for conduting the Study. (5) Supporting Legal Aid Clinics in Jammu and Kashmir**:** The project is also supporting legal aid clinic established by University of Kashmir. The University has also begun work on this project. Several deliverables have been completed, work on the reserch projects and legal literacy camps have begun. Orientation meeting for this project has already taken place on December 11, 2014. (6) Rendering Manpower support to State Legal Service Authorities (SLSAs) through appointment of a Project Team in the Nine States**:** A team of two professionals (Project Coordinator and Project Assistant) is being appointed in all the nine project States to co-ordinate the activities of Access to Justice (NE&JK) project at the States level and support the State Legal Services Authority (SLSA). The recruitments have been completed for Assam, Nagaland and Sikkim and Arunachal Pradesh and for the remaining States recruitments will be completed in January 2015.
7.	Access to Justice for Marginalized in India" - UNDP assisted externally aided project. (EAP)	To promote interventions at both, the grassroots and at the policy level, across a range of stakeholders, including justice delivery stakeholders.	Best practices on legal aid, legal empowerment and improved justice delivery from across the globe will be shared with a view to adapt them to the Indian context. The second phase will witness special focus on developing pilots on legal aid and legal empowerment which are scalable and replicable within costs that can be afforded by the government aided institutions, particularly the Legal Service Authorities.	(1) Kiosks installation in Jharkhand and Chhattisgarh – **50** voice-based information kiosks have been deployed at 50 locations in Jharkhand and Chhattisgarh. These kiosks are mainly stationed in the premises of the District courts or DLSAs in both States. The kiosks have provided legal information to 31,408 persons and sensitized them on various rights and entitlement issues. (2) Incorporation of legal literacy content into National Literacy Mission Authority (NLMA) and State Institute of Rural Development (SIRD) – Rural Litigation and Entitlement Kendra (RLEK) has been tasked with developing two legal literacy training modules in Hindi for National Literacy Mission Authority (NLMA) and State Institute of Rural Development (SIRD), U.P. On finalization of these modules, Rural Litigation and Entitlement Kendra (RLEK) is to conduct Training of Trainers (TOTs) for 78 key resource persons selected from NLMA-run SRC, Madhya Pradesh as well as 120 faculty members of SIRD, Lucknow, UP. RLEK has

				already developed a training manual for Key Resource Persons of NLMA and a training manual for the faculty members of SIRD, U.P. NLMA and SIRD have incorporated the respective training manuals in their on-going activities. RLEK has conducted training of trainers programme for the faculty members of SIRD, U.P. and trained 116 faculty members on various legal contents and issues. The organization has also conducted training of trainers programme for key resource persons of NLMA and trained 64 Key Resource Persons (KRPs) on legal literacy. (3) Paralegal Volunteers Training in Odisha - One of the needs expressed by National Legal Service Authority (NALSA) during the last phase of the project was developing and training Para Legal Volunteers (PLAs). Based on this expressed need a decision was taken to train PLVs for one SLSA. Odisha was the first State that was selected to carry out this activity. An NGO – Committee for Legal Aid to the Poor (CLAP) has been selected to develop a Para Legal training facilitator guide as well as to train PLVs over four districts in Odisha. The organization has developed a paralegal volunteer facilitator guide and trained 278 Para Legal Volunteers. (4) Panel Lawyers Training in Odisha - In addition to the training of PLVs, a similar need was also expressed by NALSA to train panel lawyers. Another NGO – Multiple Action Research Group (MARG) has been selected to develop a training module for panel lawyers in Odisha and to train 100 DLSA empanelled lawyers. MARG has developed a panel lawyer training module and trained 67 DLSA panel lawyers representing 5 districts of Odisha. **(5)** *Initiation of Legal Services Clinics in Maharashtra and Odisha* – Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai, has established one Legal Service Clinic at the TISS campus with a view to provide free legal aid services to marginalized people. The legal service clinic has facilitated 63 cases since its inauguration in September, 2014. Also, the National Law University, Odisha, has established three legal aid clinics in three districts of Odisha to provide free legal aid services to marginalized people. The clinics have taken up 183 cases for legal facilitation since their inauguration in November, 2014. **(6)** Legal sensitization by using Common Service Centre Networks in Jharkhand – The project, in partnership with Alternative for India Development, is implementing a legal sensitization project by using CSC networks in three districts of Jharkhand. The project has assisted 19,034 persons in awareness of their various rights and entitlements and facilitated 1,900 cases.

				(7) Legal sensitization on Forest Rights Act in Odisha – The project, in partnership with Antodaya, is sensitizing the tribal population of Kalahandi district, Odisha, towards their forest rights and entitlements. The project has developed approximately 180 Community Rights Volunteers and sensitized 13,534 tribal population on the provisions of the Forest Rights Act. The project has facilitated 910 eligible cases for their rights and entitlements and represented their case to the competent authority. **(8)** Making Courtrooms Women Friendly - Partners for Law and Development has been selected to study special courts in Delhi to assess how women friendly court procedures are. This pilot study will examine the gender sensitivity of court room procedures in rape cases, with the objective of identifying practices that are gender-sensitive as well as those that are hostile to victims of sexual violence. The overall aim of the project is to examine the extent to which court room practice in rape trials complies with standards set by law and jurisprudence, and inquire into what ideal practices ought to be, for purposes of making recommendations for improved functioning of the court and support to victims. The comprehensive report of the study is expected in March, 2015. (9) Odisha SLSA / DLSAs supported with the services of trained United Nations Volunteers - Odisha State Legal Services Authority has been supported with the services of 11 skilled legal United Nations Volunteers with an aim to facilitate the work of the District Legal Services Authorities. (10) Community level legal sensitization initiatives in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh – The project, in partnership, with State Institute of Rural development, U.P. is implementing a project on community level legal sensitization in Barabanki district of Uttar Pradesh since October, 2014. Similarly, Bharat Gyan Vigya Samiti is implementing community level legal sensitization project in Seohre district of Madhya Pradesh since September, 2014. Both the projects are in the preparatory phase and the actual implementation would be done from the next year. (11) Project Scale up Initiatives – The project has initiated a few activities in other States after the implementation of pilot project of PLVs and Panel Lawyers training in Odisha. In this regard, CENTUM Learning Ltd. has been contracted to impart training to 200 PLVs in Madhya Pradesh and YUVA Rural Association has been contracted to train 200 PLVs in Maharashtra. Towards Action And Learning has been contracted to impart training for 100 DLSA Panel Lawyers in Odisha. All three projects are in the preparatory phase and the actual implementation would be done in the next year.

				(12) National consultation on strengthening legal education and legal aid clinics in law schools - A national level consultation was organised on January 11-12, 2014 at Cuttack where members of State Bar Association participated and acknowledged the need for strengthening legal education and legal aid clinics in law schools. (13) Debriefing session with the delegates who visited National Judicial Institute, Ottawa, Canada - In the month of November 2013, a delegation comprising of Directors of National & State Judicial Academies, DoJ and UNDP attended a well-designed training programme at National Judicial Institute, Ottawa, Canada. As a follow up of this exposure visit, a debriefing session was organized on 23rd January, 2014 at the National Judicial Academy, Bhopal. The debriefing report has been finalised and shared with all participants.
8.	National Mission – Action Plan Implementation	National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms to realise the objectives set out in the Vision Document that was considered, delivered and endorsed by a Resolution at the end of a National Consultation for strengthening the Judiciary towards reducing pendency and delays held by the Department	National Mission has undertaken several strategic Initiatives to (i) Outlining policy and legislative changes, (ii) Re-engineering of procedures and court processes, (iii) Focussing on Human Resource Development, (iv) Leveraging Information and Communication Technology &tools for better justice delivery, and (v) Improving Infrastructure for district and subordinate judiciary.	The National Mission has taken several steps in the strategic areas towards fulfilment of its objectives. Seven meetings of the Advisory Council of National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms have so far been convened and two meeting was convened during the year 2014-15. The Advisory Council has made a number of recommendations so as to improve justice delivery system, reduce pendency of cases in courts, expedite disposal of cases and also in the area of judicial & legal reforms. These recommendations are at various stages of implementation.
9.	Family Courts (Non Plan)	Family Courts are setup with a view to promoting conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs and for matter connected therewith.	Number of Family Courts set-up and disposal of cases.	As per the reports received, 410 Family Courts have been set-up.

10.	Legal Aid (NALSA) (Non Plan)	To monitor and evaluate implementation of Legal Aid Programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act.	(I) To Provide Free and Competent Legal Services to the eligible persons; (II) To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes and (III) To organize legal awareness camps in the rural areas.	During the period from 1st April, 2014 to 30th September, 2014, 76,557 Lok Adalats were organised. These Lok Adalats settled more than 34.37 lakh cases. In about 46,768 Motor Vehicle Accident Claim cases, compensation to the tune of Rs.894.85 crore has been awarded. The 2nd National Lok Adalat for settlement of cases in all the courts right from the Supreme Court of India to the Taluk Courts was held on 06.12.2014 throughout the country, under the aegis of NALSA. The Lok Adalat benches from the Supreme Court to the Taluk Courts had successful sittings and a large number of pending cases were disposed of bringing pendency down by about 9 % on an average throughout the country.

Annexure VI

NUMBER OF FAMILY COURTS FUNCTIONAL

S. No.	Name of the State	Number of Family Courts functional in the State As on 31/12/2014
1	Andhra Pradesh + Telangana	27
2	Arunachal Pradesh	-
3	Assam	03
4	Bihar	33
5	Chhattisgarh	20
6	Delhi	15
7	Goa	-
8	Gujarat	17
9	Haryana	06
10	Himachal Pradesh	-
11	Jammu & Kashmir	-
12	Jharkhand	21
13	Karnataka	24
14	Kerala	28
15	Madhya Pradesh	31
16	Maharashtra	25
17	Manipur	04
18	Meghalaya	-
19	Mizoram	04
20	Nagaland	02
21	Odisha	17
22	Punjab	-
23	Puducherry	01
24	Rajasthan	28
25	Sikkim	02
26	Tamil Nadu	14
27	Tripura	03
28	Uttar Pradesh	75
29	Uttarakhand	08
30	West Bengal	02
	Total	**410**

ANNEXURE VII
[See Chapter V]
GRANT NO.64 - LAW AND JUSTICE

(Amount in Crores of Rupees)

Major Head	Budget Estimates 2013-14			Expenditure up to March,2014			Expenditure as % of B.E.		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total**	Plan	Non-Plan	Total
1		2			3			4	
"2014"-Administration of Justice	197.00	140.78	337.78	6.91	158.99	165.90	3.51	112.94	49.11
"2015"-Election	0.00	400.50	400.50		646.02	646.02	0.00	161.30	161.30
"2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	0.00	50.40	50.40		53.49	53.49	0.00	106.13	106.13
"2052"-Secretariat General Services	0.00	94.71	94.71		76.01	76.01	0.00	80.26	80.26
"2070" Other Administrative Services	0.00	11.06	11.06		16.98	16.98	0.00	153.53	153.53
"2552"-Grants-in-aid to North Eastern States	110.00	0.00	110.00			0.00	0.00	0.00	0.00
"3601" Grants-in-aid to . State Govt	756.00	5.00	761.00	895.00	5.00	900.00	118.39	100.00	118.27
"3602" Grants-in-aid to UT Govt.	40.00	0.00	40.00			0.00	0.00	0.00	0.00
"4070" Capital outlay on other Administration Services	0.00	10.02	10.02		1.06	1.06	0.00	10.58	10.58
Total Major Heads	**1103.00**	**712.47**	**1815.47**	**901.91**	**957.55**	**1859.46**	**81.77**	**134.40**	**102.42**

Annexure VIII
Utilisation Certificate Pending as on 28.02.2015

(Rs. in Crore)

States		Amount of UC due and pending in respect of Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure for Judiciary	Amount of UC due and pending in respect of Scheme Gram Nyayalayas
		Central Share	
1	Andhra Pradesh	63.9300	
2	Bihar	0.9065	-
3	Chhattisgarh	1.3200	-
4	Goa	1.2587	0.2520
5	Kerala	4.9095	0
6	Odisha	39.5000	1.2640
7	Rajasthan	2.6087	2.4300
8	West Bengal	0.0000	0
9	Tamil nadu	0.9790	0
10	Uttarakhand	0.0000	0
11	Karnataka	0.0000	0.2520
12	Maharashtra	0.0000	1.5800
13	Jharkhand	0.0000	0.7560
14	Punjab	0.0000	0.2520
15.	Haryana	0.0000	0.2191
1.	Madhya Pradesh	1.7800	0
	Total-States	**117.1924**	**7.0051**
NE States			
1	Sikkim	5.4950	-
2	Assam	58.4490	-
	Total-NE States	**63.944**	
UTs			
1	A & N Islands	2.2686	-
2	Puducherry	4.2059	-
3	Dadar & Nagar Haveli	5.0000	-
4	Govt. of NCT of Delhi	42.5000	-
5	Lakshadweep	0.1176	-
6	Chandigarh	14.2325	-
7	Daman & Diu	0.5873	-
	Total-UTs	**68.9119**	
Grand Total		**250.0483**	**7.0051**

EXPENDITURE STATEMENT 2014-15 - UPTO THE DECEMBER, 2014				
SPENDING UNITWISE & OBJECT HEADWISE DETAILS				
REVENUE SECTION :				***(Amount in actuals)***
OBJECT HEADS	**Expenditure upto 12/14 booked by this Ministry**	**Amount of Authorisation by this Ministry**	**Expenditure against authorisation**	**Total Expenditure**
MAJOR HEAD 2014-ADMINISTRATION OF JUSTICE				
00.114 - LEGAL ADVISERS AND COUNSELS - MINOR HEAD				
07- DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS				
WAGES	867,620			867,620
OFFICE EXPENSES	4,156,147			4,156,147
PROFESSIONAL SERVICES	207,745,164			207,745,164
Total - 114	**212,768,931**	**0**	**0**	**212,768,931**
MAJOR HEAD 2014-ADMINISTRATION OF JUSTICE				
00.118 - COMPUTERIZATION OF DISTRICT AND SUBORDINATE COURTS				
01 - E-COURTS				
INFORMATION TECHNOLOGY				
OTHER CHARGES	1,900,000	97,007,608	25,592,653	27,492,653
Total - 118	**1,900,000**	**97,007,608**	**25,592,653**	**27,492,653**
MAJOR HEAD 2014-ADMINISTRATION OF JUSTICE				
00.800 -OTHER EXPENDITURE - MINOR HEAD				
02 - NATIONAL JUDICIAL ACADEMY				
GRANTS-IN-AID	67,500,000			67,500,000
05 - NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY				
GRANTS-IN-AID	826,542,296			826,542,296
11 - SAJI, DEPTT. OF JUSTICE				
PROFESSIONAL SERVICES	26,702,224			26,702,224
OTHER CHARGES	2,301,627			2,301,627
17- NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS				
ACCESS TO JUSTICE - GOVT OF INDIA				-
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	784,847			784,847
OFFICE EXPENSES	595,695			595,695
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	7,438			7,438
GRANTS-IN-AID	9,219,701			9,219,701
OTHER CHARGES	4,766,758	26,495		4,766,758
TOTAL - 800	**938,420,586**	**26,495**	**0**	**938,420,586**
TOTAL MAJOR HEAD - 2014	**1,153,089,517**	**97,034,103**	**25,592,653**	**1,178,682,170**

MAJOR HEAD 2015-ELECTIONS				
MINOR HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
ELECTORAL OFFICERS	300,000,000			300,000,000
PREPARATION AND PRINTING OF ELECTORAL ROLLS	360,000,000			360,000,000
CHARGES FOR CONDUCT OF ELECTION FOR LOK SABHA ETC	2,572,055,576			2,572,055,576
EXPENDITURE ON ELECTIONS TO RAJYA SABHA	94,139			94,139
EXPENDITURE IN UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE	48,111,807			48,111,807
ISSUE OF PHOTO IDENTITY CARDS TO VOTERS	206,000,000			206,000,000
EXPENDITURE ON P/VP ELECTION	10,197			10,197
DEDUCT RECOVERIES OF OVERPAYMENTS	-339,591			(339,591)
TOTAL MAJOR HEAD 2015	**3,485,932,128**	**0**	**0**	**3,485,932,128**
MAJOR HEAD 2020-COLLECTION OF TAXES ON INCOME AND EXPENDITURE				
00.001 DIRECTION AND ADMINISTRATION - MINOR HEAD				
05- INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	348,511,971			348,511,971
WAGES	437,807			437,807
OVERTIME ALLOWANCES	25,354			25,354
MEDICAL TREATMENT	4,215,778			4,215,778
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	12,069,333			12,069,333
OFFICE EXPENSES	43,774,123	1,594,872	256,963	44,031,086
RENT, RATES AND TAXES	23,669,244			23,669,244
OTHER ADMN. EXPENSES	16,234			16,234
PROFESSIONAL SERVICES	191,767			191,767
MINOR WORKS & MAINTENANCE		5,815,433		-
OTHER CHARGES	1,118,903			1,118,903
DEDUCT RECOVERIES OF OVERPAYMENTS	-4,935			(4,935)
TOTAL MAJOR HEAD 2020	434,025,579	7,410,305	256,963	434,282,542
MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVICES				
00.090 - SECRETARIAT MINOR HEAD				
06-DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	233,187,174	167,910	167,910	233,355,084
WAGES	2,776,305			2,776,305
OVERTIME ALLOWANCES	208,780			208,780

MEDICAL TREATMENT	2,650,761			2,650,761
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	2,682,680			2,682,680
FOREIGN TRAVEL EXPENSES	812,571			812,571
OFFICE EXPENSES	25,722,992	1,472,750	841,271	26,564,263
RENT, RATES AND TAXES	785,688			785,688
PUBLICATION	76,070			76,070
OTHER ADMN. EXPENSES	1,206,154			1,206,154
MINOR WORKS & MAINTENANCE		3,136,000		-
PROFESSIONAL SERVICES	496,300			496,300
GRANTS-IN-AID	4,624,952			4,624,952
GRANTS-IN-AID SALARIES	13,500,000			13,500,000
OTHER CHARGES	1,559,072			1,559,072
TOTAL	**290,289,499**	**4,776,660**	**1,009,181**	**291,298,680**
MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVI ES				
00.090 - SECRETARIAT MINOR HEAD				
31-APPELLATE TRIBUNAL OF FOREIGN EXCHANGE				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	7,429,474			7,429,474
WAGES	90,000			90,000
OVERTIME ALLOWANCE	20,112			20,112
MEDICAL TREATMENT	67,678			67,678
OFFICE EXPENSES	1,560,001			1,560,001
RENT, RATES AND TAXES	55,115,430			55,115,430
OTHER ADMN. EXPENSES	46,162			46,162
TOTAL	**64,328,857**	**0**	**0**	**64,328,857**
MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVI ES				
00.090 - SECRETARIAT MINOR HEAD				
07-LEGISLATIVE DEPARTMENT				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	92,511,094			92,511,094
WAGES	2,294,234			2,294,234
OVERTIME ALLOWANCES	111,116			111,116
MEDICAL TREATMENT	1,593,706			1,593,706
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	350,748			350,748
FOREIGN TRAVEL EXPENSES	10,800			10,800
OFFICE EXPENSES	11,121,927			11,121,927
PUBLICATIONS	1,753,977			1,753,977
OTHER ADMN. EXPENSES	2,219,735			2,219,735
MINOR WORKS	273,565	1,807,140		273,565

PROFESSIONAL SERVICES	1,399,438			1,399,438
OTHER CHARGES	159,962			159,962
TOTAL	**113,800,302**	**1,807,140**	**0**	**113,800,302**
MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVI ES				
00.090 - SECRETARIAT MINOR HEAD				
04-OFFICIAL LANGUAGE WING				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	43,064,623			43,064,623
MEDICAL TREATMENT	586,588			586,588
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	15,416			15,416
OFFICE EXPENSES	2,026,522			2,026,522
RENT, RATES AND TAXES	5,485,122			5,485,122
PUBLICATION	911,207			911,207
OTHER ADMN. EXPENSES	162,205			162,205
ADVERTISING & PUBLICITY		164,169		-
PROFESSIONAL SERVICES	211,600			211,600
OTHER CHARGES	112,974			112,974
TOTAL	**52,576,257**	**164,169**	**0**	**52,576,257**
MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVI CES				
00.090 - SECRETARIAT MINOR HEAD				
08-DEPARTMENT OF JUSTICE				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	23,004,335			23,004,335
WAGES	295,493			295,493
MEDICAL TREATMENT	313,257			313,257
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	428,276			428,276
OFFICE EXPENSES	7,314,241			7,314,241
PUBLICATIONS	30,781			30,781
OTHER ADMN. EXPENSES	830,619			830,619
MINOR WORKS	69,207	5,475,281	1,433,123	1,502,330
PROFESSIONAL SERVICES	1,917,624			1,917,624
TOTAL	**34,203,833**	**5,475,281**	**1,433,123**	**35,636,956**
042-NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	11,372,466			11,372,466
OVERTIME ALLOWANCES	44,057			44,057
MEDICAL TREATMENT	20,037			20,037
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	97,085			97,085
OFFICE EXPENSES	3,955,086			3,955,086
PUBLICATION	509,020			509,020
OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES	492,887			492,887

ADVERTISING AND PUBLICITY	2,033,665			2,033,665
TOTAL	18,524,303	0	0	18,524,303
047-SUPREME COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	6,272,494			6,272,494
MEDICAL TREATMENT	80,065			80,065
OFFICE EXPENSES	918,731			918,731
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	14,204			14,204
TOTAL	**7,285,494**			7,285,494
TOTAL MINOR HEAD 00.090 SECRETARIAT	**581,008,545**	**12,223,250**	**2,442,304**	**583,450,849**
MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVI ES				
00.092 - OTHER OFFICES- MINOR HEAD				
01- CENTRAL AGENCY SECTION				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	38,420,728			38,420,728
WAGES	788,189			788,189
MEDICAL TREATMENT	170,069			170,069
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	66,436			66,436
OFFICE EXPENSES	5,375,747			5,375,747
RENTS, RATES AND TAXES	11,979,504			11,979,504
OTHER ADMN. EXPENSES	130,829			130,829
OTHER CHARGES	135,639			135,639
TOTAL	57,067,141	0	0	57,067,141
05 - NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	6,334,031			6,334,031
WAGES	2,443,704			2,443,704
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	12,203			12,203
OFFICE EXPENSES	1,771,243			1,771,243
OTHER ADMN. EXPENSES	98,955			98,955
MINOR WORKS		365,820		-
PROFESSIONAL SERVICES	1,640,799			1,640,799
OTHER CHARGES	2,391,501			2,391,501
TOTAL	14,692,436	365,820	0	14,692,436
TOTAL - OTHER OFFICES	**71,759,577**	**365,820**	**0**	**71,759,577**
DEDUCT- RECOVERIES OF OVERPAYMENTS	**-6,637**			**-6,637**
TOTAL MAJOR HEAD-2052	**652,761,485**	**12,589,070**	**2,442,304**	**655,203,789**

MAJOR HEAD 2070-OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES				
00.105 - SPECIAL COMMISSION OF ENQUIRY				
01-LAW COMMISSION				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**	**0**		
SALARIES	35,270,983			35,270,983
WAGES	2,450			2,450
OVERTIME ALLOWANCE	158,759			158,759
MEDICAL TREATMENT	330,828			330,828
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	230,016			230,016
FOREIGN TRAVEL EXPENSES	511,507			511,507
OFFICE EXPENSES	7,006,052			7,006,052
RENTS, RATES AND TAXES	66,043,104			66,043,104
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	590,193			590,193
PROFESSIONAL SERVICES	158,000			158,000
OTHER CHARGES	597,646			597,646
TOTAL	**110,899,538**	**0**	**0**	**110,899,538**
MAJOR HEAD 2070-OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES				
00.800-OTHER EXPENDITURE				
01.-VIDHI SAHITYA PRAKASHAN				
OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/14**			
SALARIES	25,531,865			25,531,865
WAGES	62,282			62,282
OVERTIME ALLOWANCE	8,100			8,100
MEDICAL TREATMENT	431,294			431,294
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	150,177			150,177
OFFICE EXPENSES	2,449,526			2,449,526
PUBLICATION	3,897,909	43,475	43,141	3,941,050
OTHER ADMN. EXPENSES	98,168			98,168
PROFESSIONAL SERVICES	357,700			357,700
OTHER CHARGES	131,082			131,082
TOTAL	**33,118,103**	**43,475**	**43,141**	**33,161,244**
TOTOL MAJOR HEAD-2070	**144,017,641**	**43,475**	**43,141**	**144,060,782**
MAJOR HEAD 3601-GRANTS-IN-AID TO STATE GOVERNMENTS				
NON-PLAN GRANTS-SPECIAL COURTS-GRANTS IN AID	47,500,000			47,500,000
GRANTS FOR CENTRALLY SPONSORED PLAN SCHEME	8,258,695,000			8,258,695,000
GRANTS-IN-AID				-
TOTAL MAJOR HEAD-3601	**8,306,195,000**	**0**	**0**	**8,306,195,000**

MAJOR HEAD-3602-GRANTS-IN-AID TO UT GOVTS.				
GRANT FOR INFRASTRUCTURAL FACILITIES				
GRANTS IN AID	0			-
TOTAL MAJOR HEAD 3602	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL REVENUE SECTION	**14,176,021,350**	**117,076,953**	**28,335,061**	**14,204,356,411**
CAPITAL SECTION :				
MAJOR HEAD 4070 - CAPITAL OUTLAY ON OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES.				
DIRECTION AND ADMINISTRATION				
ACQUISITION OF LAND AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS FOR INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL-MAJOR WORKS	17,806,140	**140,486,675**	71,218,740	89,024,880
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS - MAJOR WORKS		446,700		-
TOTAL MAJOR HEAD-4070	**17,806,140**	**140,933,375**	**71,218,740**	**89,024,880**
TOTAL REVENUE + CAPITAL SECTION	**14,193,827,490**	**258,010,328**	**99,553,801**	**14,293,381,291**

GRANT-SUB-HEAD LEVEL EXPENDITURE STATEMENT						
CONTROLLER:22 LAW AND JUSTICE						
DEPARTMENT WISE EXPENDITURE 2013-14						
(Amount in crores of Rupees)						
DEPARTMENT WISE EXPENDITURE 2014-15 (UPTO DECEMBER 2014)						
(Amount in crores of Rupees)						
MAJOR HEAD	**BUDGET ESTIMATE**	**Authorisa-tion**	**Exp. booked by this Ministry**	**Exp. booked by the authorised Ministry**	**Total Exp.**	**ACTUAL AS % OF BE**
2014-ADMINISTRATION OF JUSTICE						
LEGAL ADVISERS AND COUNSELS	31.09		21.28		21.28	68.45
NATIONAL JUDICIAL ACADEMY	10.74		6.75		6.75	62.85
INTERNATIONAL CENTRE FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION(ICADR)	5.50				0.00	0.00
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY	142.00		82.65		82.65	58.20
COMPUTERIZATION OF DISTRICT AND SUBORDINATE COURTS	57.00	9.70	0.19	2.56	2.75	4.82
SAJI	5.00		2.90		2.90	58.00
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY	1.00				0.00	0.00
NATIONAL MISSION - ACTION PLAN IMPLEMENTATION	5.00				0.00	0.00
ACTION RESEARCH AND STUDIES ON JUDICIAL REFORMS	5.00				0.00	0.00
SETTING UP OF MODEL COURTS	26.00				0.00	0.00
E-Court Phase- II	43.30				0.00	0.00
ACCESS TO JUSTICE GOVERNMENT OF INDIA	8.00	0.003	1.54		1.54	19.25
TOTAL MH-2014	339.63	9.703	115.31	2.56	117.870	34.71
2015-ELECTION						
ELECTORAL OFFICERS	50.27		30.00		30.00	59.68
PREPARATION AND PRINTING OF ELECTORAL ROLLS	60.94		36.00		36.00	59.07
CHARGES FOR CONDUCT OF ELECTION FOR LOK SABHA AND STATE/UNION TERRITORY LEGISLATIVE ASSEMBLIES WHEN HELD SIMULTANEOUSLY	370.38		257.20		257.20	69.44

CHARGES FOR CONDUCT OF ELECTION TO PARLIAMENT	0.30		0.01		0.01	3.33
EXPENDITURE ON UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE	6.60		4.81		4.81	72.88
ISSUE OF PHOTO IDENTITY CARDS TO VOTERS - REIMBURSEMENT OF STATE GOVERNMENT	38.05		20.60		20.60	54.14
EXPENDITURE ON ELECTRONIC VOTING MACHINES (EVMs)	0.01				0.00	0.00
EXPENDITURE ON PRESIDENTIAL/VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS	0.08				0.00	0.00
DEDUCT RECOVERIES OF OVERPAYMENTS			-0.03		-0.03	
TOTAL MH - 2015	**526.63**	**0.00**	**348.59**	**0.00**	**348.59**	**66.19**
2020 - COLLECTION OF TAXES ON INCOME AND EXPENDITURE						
INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL	55.60	0.74	43.40	0.03	43.43	78.11
NATIONAL TAX TRIBUNAL	0.04					0.00
TOTAL MH - 2020	**55.64**	**0.74**	**43.40**	**0.03**	**43.43**	**78.06**
2052-SECRETARIAT GENERAL SERVICES						
OFFICIAL LANGUAGES WING	9.38	0.02	5.26		5.26	56.08
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS	38.64	0.48	29.03	0.10	29.13	75.39
LEGISLATIVE DEPARTMENT	16.12	0.18	11.38		11.38	70.60
DEPARTMENT OF JUSTICE	5.03	0.55	3.42	0.14	3.56	70.78
APPELLATE TRIBUNAL OF FOREIGN EXCHANGE	8.25		6.43		6.43	77.94
UNIFIED LITIGATION AGENCY	7.00		5.71		5.71	81.57
SALSA	1.77		0.73		0.73	41.24
NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS	3.23	0.04	1.47		1.47	45.51
NATIONAL LEGAL SERVICE AUTHORITY	4.77		1.85		1.85	38.78
TOTAL MH - 2052	**94.19**	**1.27**	**65.28**	**0.24**	**65.52**	**69.56**

2070 - OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES						
SPECIAL COMMISSIONS OF ENQUIRY - LAW COMMISSION	13.82		11.09		11.09	80.25
INTERNATION LAW ASSOCIATION	0.01				0.00	0.00
VIDHI SAHITYA PRAKASHAN	5.26		3.31		3.31	62.93
TOTAL MH-2070	19.09		14.40	0.00	14.40	75.43
2552 - GRANTS-IN-AID TO NORTH EASTERN STATES	**110.30**		**0.00**		0.00	0.00
					0.00	
3601-GRANTS-IN-AID TO STATE GOVERNMENTS						
ADMINISTRATION OF JUSTICE - SPECIAL COURTS	5.00		4.75		4.75	95.00
ADMINISTRATION OF JUSTICE - OTHER GRANTS-ASSISTANCE TO STATE GOVTS FOR ESTABLISHING AND OPERATING GRAM NAYALAYAS	0.01					
ADMINISTRATION OF JUSTICE - OTHER GRANTS-GRANTS FOR INFRASTRUCTURAL FACILITIES FOR JUDICIARY	782.39		825.87		825.87	105.56
TOTAL MH - 3601	**787.40**		**830.62**	**0.00**	**830.62**	**105.49**
3602-GRANTS-IN-AID TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS	60.00					0.00
4070-CAPITAL OUTLAY ON OTHERAMDINISTRATIVE SERVICES						
ACQUISITION OF LAND AND CONSTRUCTION OF BUILIDNG FOR INSTITUTE OF LEGISLATIVE DRAFTING & RESEARCH	0.01					
ACQUISITION OF LAND AND CONSTRUCTION OF BUILIDNG FOR INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL	54.30	14.05	1.78	7.12	8.90	16.39
ACQUISITION OF LAND AND CONSTRUCTION OF BUILDING FOR NATIONAL TAX TRIBUNAL	0.01				0.00	0.00
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS	0.05	0.04	0.00		0.00	0.00
TOTAL MH-4070	**54.37**	**14.09**	**1.78**	**7.12**	**8.90**	**16.37**
GRANT TOTAL	**2047.25**	**25.80**	**1419.38**	**9.95**	**1429.33**	**69.82**